Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ८] द्वितीय विधान सभा के आठवें सत्र, १९६० का २९वां दिवस [संख्या २०

बृहस्पतिवार, दिनांक २३ मार्च, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी, सहकारी, वित्त, सिंचाई, स्वायत्त शासन, श्रम, पंचायत, करारोपण, चिकित्सा, सामुदायिक विकास सार्वजनिक निर्माण एवं खाद्यान्न विभाग]

प्रश्न संख्या ५८८

श्री अध्यक्ष : श्री हजारीलाल बोकोलिया।

प्रश्न संख्या ५८९

श्री सुगनचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र।

श्री कैलाशप्रसाद माथुर द्वारा झालावाड़ स्टेट बैंक से लिया गया ऋण

५९०. श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या श्री कैलाशप्रसाद माथुर, झालावाड़ वाले ने झालावाड़ स्टेट बैंक से ऋण लिया था? क्या उससे कोई जमानत ली गई थी?

(ख) उक्त कर्जदार ने कितना ऋण सन् १९५४ के पहले चुकाया था?

(ग) क्या इस कर्जे के एवज में उक्त कर्जदार की जायदाद की कुर्की की गई थी? यदि हां, तो क्या क्या जायदाद कुर्क की गई थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(घ) इस कुर्क की गई जायदाद में से कौनसी जायदाद नीलाम कर दी गई और कौनसी जायदाद अभी नीलाम नहीं की गई है और वह अब कहां और किसके कब्जे सुरक्षित है? इसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृ

उप मंत्री, वित्त (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) जी हां। श्री कैलाशप्रसाद

Page No.2

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

माथुर, झालावाड़ वाले ने झालावाड़ स्टेट बैंक से ऋण लिया था। इस ऋण की धन-राशि व शर्तें जिनके आधार पर यह ऋण दिया गया था तथा जमानत के रूप में रखे गये उपकरण का पूर्ण ब्यौरा संलग्न स्टेटमेंट 'अ' में है।

(ख) कर्जदार श्री कैलाशप्रसाद ने सन् १९५४ के पहले कोई कर्ज की राशि वापिस नहीं की।

(ग) जी हां, इस कर्ज़ के एवज़ में उक्त कर्जदार की जायदाद जो कुर्क की गई थी उसका ब्यौरा स्टेटमेंट 'ब' में दिया हुआ है।

(घ) इस कुर्क की गई जायदाद में से जो जायदाद नीलाम कर दी गई उसका ब्यौरा स्टेटमेंट 'स' में दिया हुआ है। जो सामान नीलाम नहीं किया गया है उसका विवरण 'द' में दिया हुआ है। जो सामान नीलाम नहीं हुआ उसको जेल बिल्डिंग-झालावाड़, में सुरक्षित रखा है तथा एस. डी., ओ. झालावाड़ के चार्ज में है।

(कृपया-परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामचन्द्र : यह कर्जा लिया था उस वक्त जमानत पहले जमा करा दी गई थी या बाद में ली गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जमानत में तो उसके सामने जमीन रखी थी, जब कर्जा लिया उसी वख्त।

श्री रामचन्द्र : जो सामान जमानत में बतलाया वह पहले उसके पास मौजूद था या बाद में खरीदा ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार मशीनरी वगैरह में कर्जा देती है तो फर्म को पैसे दिलाये जाते हैं और खरीद शुदा सामान को उसमें गिरवी रख देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): कितना कर्ज़ा चुका है नीलाम से ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ५१० रुपया एक दफा, ६६ रु०, ३७ न० पै० दूसरी दफा, फिर १६४ और इसके बाद १५८ रुपया। यह चुका है।

श्री रामचन्द्र : यह नकद जमा किया है या कुर्क करके ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कुर्क करके जमा किया है।

श्री रामचन्द्र : जायदाद मुख्तलिफ तारीखों में कुर्क क्यों की गई ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह तो जायदाद की नेचर पर है। कोई पेरिशेबल है या उसके मेन्टीनेन्स पर खर्चा करना पड़ता है, किसी में भाव-कीमतें ठीक नहीं आयें तो वेट करना पड़ता है। और यह भी हो सकता है कि अलग अलग समय कुर्क किया हो।

श्री रामचन्द्र : क्या उसकी इस जायदाद के साथ जमीन भी कुर्क की गई थी ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं, जमीन नहीं, जमीन की फसल कुर्क की गई थी ?

Page No.3

श्री रामचन्द्र : उसकी जमीन कितने बीघा में खड़ी थी ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मूलचन्द डागा ।

श्री रामचन्द्र : श्रीमान्, प्रश्न अभी पूरे नहीं हुए; मुझे १ मिनट और दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने काफी पूछ लिया है।

श्री रामचन्द्र : और भी पूछना है। जो जायदाद सुरक्षित बताई है वह क्या मौजूद है और सुरक्षित है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी हां, जो कुर्क की है वह सुरक्षित है।

श्री रामचन्द्र : किस आधार पर फरमा रहे हैं कि वह सुरक्षित है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : हमें सूचना मिली है उसके आधार पर। सुरक्षित के मायने आप क्या लेते हैं हमारी कस्टडी में है ?

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन है कि जिस शक्ल में मशीनरी कुर्क की गई है अब भी वह उसी शक्ल में है क्या ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शायद उस शक्ल में तो न हो क्योंकि ४-५ वर्ष से मशीनरी कुछ काम में नहीं आ रही है, आइडल पड़ी हुई है। तो उस शक्ल में तो नहीं हो सकती।

श्री रामचन्द्र : यह तो दूसरी बात है, पर जितने पुर्जे होने चाहिये वे तो सब हैं न, उनमें से तो गायब नहीं हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : विभागीय सूचना यह है कि जिस हालत में कुर्क की गई उसी हालत में है।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : तो फिर उस मशीनरी को अब तक डिस्पोज़ ऑफ क्यों नहीं किया गया ? डिस्पोज़ ऑफ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिस्पोज़ ऑफ करने की कोशिश की गई पर डिस्पोज़ ऑफ हो नहीं सकी। पहले चम्बल वालों को कहा कि वे ले लें उन्होंने देखा और कहा कि यह वहां काम में नहीं आ सकती। फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी कहा गया कि यदि आपके काम में आ सकती हो तो ले लें, पर उन्होंने भी कहा कि यह उनके कोई काम में नहीं आ सकती। अब जेल डिपार्टमेंट वालों से पूछा है कि उनके यहां कैदियों से खेती का काम लिया जाता है उस काम में यह मशीन आ सकती है कि नहीं ? कलेक्टर की चेअरमैनशिप में इसको डिस्पोज़ ऑफ करने के लिये एक कमेटी मुकर्रर कर दी है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने यह नहीं देखा कि जायदाद उसके पास है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री रामचन्द्र : मुझे बताया गया है कि आइडल पड़ी रहने के कारण खराब होने की बात नहीं है कि वहां पड़ी पड़ी खराब हो गई हो, नष्ट हो गई हो पर उसमें से कई चीजें निकाल कर बेच दी गई हैं। बहुत से पुर्जे

Page No.4

(श्री रामचन्द्र)

हटा कर बेच दिये गये हैं। जांच कर ली जाय कि उसमें से कितनी चीजें गायब हैं।

श्री अध्यक्ष : वेस्ट तो हुआ है, मन्त्री महोदय कह रहे हैं न।

श्री रामचन्द्र : वेस्ट नहीं, माननीय अध्यक्ष, चीजें ही मौजूद नहीं हैं। पड़ी हुई नष्ट हो जाती तो दूसरी बात थीं पर कल–पुर्जों को उठा कर बेच दिया गया है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जांच कर ली जायगी, अगर आप कहते हैं कि सामान चोरी किया गया है, मिसएप्रोप्रियेशन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील में गिरालिया बांध का कार्य

५६१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या पाली तहसील के गिरालिया बांध का सर्वे संपूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को इस साल की वर्षा के पहले पहले शुरू करने का इरादा रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) क्या सरकार को यह मालूम है कि इस योजना से पाली तहसील के १२ गांवों को लाभ होगा? यदि हां, तो फिर इस कार्यवाही को देरी से अमल में क्यों लाया जा रहा है?

उप–मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) सर्वे सम्पूर्ण नहीं हुआ है।

(२) सर्वे सम्पूर्ण न होने के कारण सम्भव नहीं है।

(३) पूरा तखमीना बनने के बाद ही यह पता लग सकता है कि इससे कहां कहां लाभ होगा।

श्री मूलचन्द डागा : सिंचाई विभाग की सर्वे की कोई मियाद मुकर्रर होनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : मियाद नहीं डाली जा सकती क्योंकि टैक्निकल मामला है, जांच करनी पड़ती है। फाउन्डेशन वगैरह के कई कारण हैं जिनकी वजह से मियाद नहीं डाली जा सकती लेकिन जल्दी की जाती है यथा सम्भव।

प्रश्न संख्या ५६२

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

कृषि संस्थाओं में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा एवं रिसर्च की सुविधाएं

५६३. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

Page No.5

(श्री पी० के० चौधरी)

1. How many intistutions are there in the State which train students for 4 years B. Sc. Agricultural course ?

2. What is the intake capacity of each of these institutes and what is the actual number of students on their roll ?

3. Does any of the existing institutes possess facilities for post-graduate course and researches? If not, does the Government propose to make arrangements for imparting training in post graduate courses and research facilities in any one of these institutes during the current plan period ?

उप मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) ३ संस्थाएं ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं, परन्तु राजस्थान कृषि कॉलेज, उदयपुर में इस प्रकार की शिक्षा चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री पी. के. चौधरी : मुझे सूची प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री दौलतराम सारण : आप मुझ से ले लीजिये, मैंने तो मेज दी है ।

श्री पी० के० चौधरी : पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री दौलतराम सारण : 1. Rajasthan College of Agriculture, Udaipur-Intake capacity 160 per year.
No. of students- 352.

2. S. K. N. Govt. College of-Agriculture, Jobner.
Intake capacity.
No. of Students 207.

3. Dayananad College, Ajmer-(Private)

Intake Capacity	40,
No. of Students	29
Total Intake Capacity	280
No. of Students	588

श्री पी० के० चौधरी : ३ नं० का जवाब नहीं दिया ।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो दे दिया । फिर सुन लीजिये : " जी नहीं, परन्तु राजस्थान कृषि कॉलेज, उदयपुर में इस प्रकार की शिक्षा चालू करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । "

श्री पी० के० चौधरी : ये तीन कॉलेजेज़ हैं उनमें सबसे पुराना कौनसा कॉलेज है? Which is the oldest one ?

श्री दौलतराम सारण : जोबनेर ।

श्री पी० के० चौधरी : जोबनेर में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और रिसर्च के लिये प्रबन्ध क्यों नहीं किया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जोबनेर में उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितनी उदयपुर में हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पोस्ट ग्रेजुएट वगैरह के लिये क्या भवन की सुविधा होती है ?

श्री दौलतराम सारण : जी, कई फेसिलिटीज़ आवश्यक हैं, वे तो होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री पी० के० चौधरी : One question more. उदयपुर में जो भवन वगैरह हैं वे सरकार ने बनाये हैं या प्राइवेट पार्टीज़ ने बनाये हैं ?

श्री दौलतराम सारण : सरका ने बनाये हैं ।

श्री पी० के० चौधरी : जोबनेर में क्यों नहीं बनाया ?

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकतानुसार जोबनेर में भी बना रही है ।

श्री पी० के० चौधरी : क्या सरकार जोबनेर में पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स चालू करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अभी कहीं चालू नहीं किया है।

श्री दौलतराम सारण : अभी केवल विचार चल रहा है ।

मजदूरों के मुकदमों की कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्ज़

५६४. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बतालाने की कृपा करेंगे: श्रम विभाग में कितने मजदूरों के मुकदमों की कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्ज़ कब से चल रही है ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : इस समय श्रम विभाग में कुल ५५ विवादग्रस्त मामले समझौता वार्त्ता में हैं जिनकी एक नकल सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : कई मुकदमे आज साल—डेढ़ साल से लेबर ऑफिसर के पास पड़े हुए हैं । इसमें इतनी देर क्यों हुई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनमें डिले क्यों हुई है, उसकाकारण दिया गया है। इसमें कई कारण हो सकते हैं । बहुत से वकर्स नहीं आये होंगे । मगर फिर भी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : श्री शार्दूल टैक्सटाइल मजदूर युनियन श्री; गंगानगर का ४. ५. ५६ के बारे में क्या कर रहे हैं ? यह पेज २ पर है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैंने कहा कि बहुत से केसेज़ पड़े हैं । बहुत से लोग समय पर एटेन्ड नहीं करते । इसलिये देर हो जाती है । मगर हमारे विभाग की तरफ से देर नहीं होती है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयचन्द्र मोहिल ।

ग्राम पंचायत इसरदा के सरपंच का चुनाव

५६५. **श्री जयचन्द्र मोहिल** [कपासिन-सु०—श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) द्वारा

Page No.7

(श्री जयचन्द्र मोहिल)

पूछा गया] : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) ग्राम पंचायत, ईसरदा के सरपंच का चुनाव किस सन् में किस तारीख को हुआ ?

(ख) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत के सरपंच ने जब से वे चुने गये हैं, अब तक किसी भी मीटिंग में भाग नहीं लिया है ? यदि हां, तो उस समय से अब तक पंचायत की कितनी मीटिंग हुई ?

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन सरपंच ने त्यागपत्र भी दे दिया है ? यदि हां, तो किस सन् में, किस तारीख को और उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) क्या यहां इस पंचायत में श्री जटाशंकर पारीक नामक व्यक्ति सरपंच का कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो कब से और किस अधिकार से ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस पंचायत के उप-सरपंच के चुनाव हेतु वर्त्तमान पंचायत के चुनाव समय से लेकर अब तक चीफ पंचायत ऑफिसर के ऑफिस जयपुर से चार मर्त्तबा आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो किस २ तारीख को ?

(च) क्या यह सत्य है कि उक्त चारों तारीखों के समय पंचायत चुनाव अधिकारी, सवाई माधोपुर तहसील के तहसीलदार को बनाया गया था ? यदि हां, तो इन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया या नहीं ? चारों बार निर्वाचन अधिकारी ने क्या २ रिपोर्ट दी ?

(ट) उपरोक्त चारों तारीखों पर किसी भी तारीख पर चुनाव अधिकारी ने सरपंच का चुनाव होने की सूचना पंचायत विभाग को दी या नहीं ? यदि दी, तो किस तारीख को ? क्या इस रिपोर्ट पर पंचायत विभाग ने उप-सरपंच के चुनाव को मान्यता दे दी है ? यदि हां, तो किस तारीख को किस नम्बर से ?

(ठ) क्या यह सही है कि श्री जटाशंकर पारीक ने अपने सरपंच के कार्यकाल में पंचायत कोष से २,८००) रु० का निजी उपयोग किया और उसकी जांच पंचायत इन्सपेक्टर ने कर विभाग को रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय): (क) सन् १९५८ में दिनांक २१-३-५८ को।

(ख) यह सत्य नहीं है। सरपंच ने बैठकों में भाग लिया है। कुल बैठक दिनांक २७-१-६० तक ६९ हुई हैं।

(ग) जी हां। दिनांक २३-१-५९ को। परन्तु त्याग-पत्र नियमानुसार मुख्य पंचायत अधिकारी को संबोधित न होने से वापिस पंचायत में लौटा दिया गया। पुनः ५.१२.५९ को प्राप्त हुआ और वह जिलाधीश के पास स्वीकृति हेतु लौटा दिया गया है।

(घ) जी हां। दिनांक १७-८-५८ से। बिना अधिकार; अपने आपको उप-सरपंच समझ कर वह कार्य करता रहा है।

(ङ) जी हां। दिनांक १५-१-५९, १५-५-५९, २४-७-५९ और ३०-८-५९।

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

(च) जी हां। उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया। १५-१-५६ का चुनाव एक दूसरी पंचायत के चुनाव में संलग्न होने के कारण तहसीलदार न करवा सका। २६-४-५६ को तहसीलदार ने कलेक्टर, सवाई माधोपुर को यह पत्र लिखा कि पंचायत का एक पंच उसके नोटिस में लाया है कि उप-सरपंच तो काम कर रहा है; उसका स्थान रिक्त नहीं। अतएव स्पष्टीकरण करें कि चुनाव कराया जावे या नहीं। उसका स्पष्टीकरण ३०.८.५६ तक न होने के कारण शेष तीन तारीखों को चुनाव स्थगित करना पड़ा।

(ट) जी नहीं। शेष प्रश्न ही नहीं उठता।

(ठ) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपने बताया कि चुनावों की तारीखें बराबर स्थगित होती रहीं। ये तारीखें किसके द्वारा निश्चित की गई थीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चुनाव की तारीख तो आज कल कलेक्टर करते हैं, पहले गवर्नमेंट करती थी।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न के बारे में जो तारीखें स्थगित की गईं वे किसके द्वारा मुकर्रर की गई थीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : गवर्नमेंट के द्वारा।

श्री भैरोंसिंह : क्या वह पेपर गवर्नमेंट के पास नहीं था, जो तहसीलदार ने बाद में लिख कर भेजा था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीख मुकर्रर होने के बाद में इत्तिला दी थी।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने तारीख किस प्रकार से मुकर्रर कर दी, यह आप स्पष्टीकरण करें ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्पष्टीकरण कलेक्टर से मांगा गया जो आया नहीं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जो अपने आपको सरपंच मानता है पंचायत समिति....

एक मंत्री : यह तो पंचायत का प्रश्न है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह अलग से प्रश्न है।

श्री पी० के० चौधरी : आप कहते हैं कि उसने अपने आपको सरपंच बताया....

श्री अध्यक्ष : वे तो इसको स्वीकार नहीं करते हैं।

(यह तो आपत्ति की बात है)।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनावों को स्थगित करने का अधिकारी नहीं है, चुनावों को स्थगित नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने कानून की बात फिर कर दी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बाद में तो वह सरपंच बन गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या पंचायत अधिकारी को यह अधिकार था कि वह ऐसी बातें लिखता कि आया चुनाव कराया जावे या नहीं, जब कि ऐसी स्थिति है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : विशेष परिस्थितियों में कर सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : यह समझ में नहीं आता कि एक उप-सरपंच का चुनाव नहीं होते हुए भी वह काम करता है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : बिना चुने हुए काम करता है ।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट को ऐसे अधिकारियों की प्रोटेक्शन नहीं करनी चाहिये जो इस तरह की कार्यवाहियों करते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जिसने गैरकानूनी तौर पर काम किया है, बाकायदा काम नहीं किया है तो उसे ऐसा नहीं करने देंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : निर्वाचन अगर नहीं हुआ और कानून के खिलाफ रखा गया तो उसके खिलाफ क्या गवर्नमेंट एक्शन लेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा अभी पाया नहीं गया । अगर पाया जायेगा तो जरूर एक्शन लेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप इस समय तक यह कहने की स्थिति में हैं कि नहीं कि उसने गैर कानूनी तरीके से काम किया या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी तक नहीं है ।

श्री पी. के. चौधरी : कानून के दायरे के बाहर जाकर चुनाव पोस्टपोन कर दिया और चुनाव अधिकारी ने कर दिया; क्या सरकार इसके खिलाफ एक्शन लेगी ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब आप सरकार के ध्यान में लाये हैं । अब तक सरकार की नजरों में ठीक किया है । अब आप ध्यान में लाये हैं इसकी जानकारी कर लेंगे ।

एक माननीय सदस्य : क्या यह कार्य उन्होंने आपसे पूछ कर किया और करते रहे या उन्होंने यह जानते हुए कि उनको कोई अधिकार नहीं है फिर भी काम करते रहे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : धांधली करते रहे ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): कानून के खिलाफ धांधली से काम करते रहे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चुनाव से वापिस चुन कर आये हैं ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : धांधलीबाजी करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : एक आदमी प्रजातन्त्र में धांधलीबाजी करता रहे और बाद में वापिस चुनावों में आ जावे तो उसी तरह से वह आ गया ।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : एक आदमी चुनावों के पहले से धांधली कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते थे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब तो वह चुन कर आ गया है। अब क्या कार्यवाही की जा सकती है? चुनाव के पहले कार्यवाही हो सकती थी।

डॉ० चन्द्रकला : उसको खड़ा नहीं होने देना चाहिये था?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पंचायत विभाग कानून की तरफ ध्यान नहीं देकर प्रजातन्त्र की तरफ ज्यादा ध्यान देती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कानून काम चलाने के लिये होते हैं। यह देखना पड़ता है कि कानून का ईमानदारी से पूरा पालन करते हैं या नहीं। काम को रोकने के लिये तो कानून नहीं है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : पंचायत के कानून समझने के लिये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कैटल ब्रीडिंग फार्म, बस्ती हेतु घास की खरीद में अनियमितता

५६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि Cattle Breeding Farm, Bassi पर इस वर्ष १०,००० मन के लगभग का घास खरीदा गया है?

(२) यदि हां, तो इसका टेंडर नोटिस कब निकाला? किस २ के किस २ दर के टेंडर्स आए तथा टेंडर्स कब खोले गये और किसका टेंडर किस दर का मंजूर हुआ?

(३) क्या यह सही है कि घास के टेंडर्स मंजूर करने से पहले फोरेस्ट डिपार्टमेंट से भी घास की दरें मालूम की गई थीं? यदि हां, तो जंगलात विभाग ने उस समय घास की क्या रेट्स बतायी थी?

(४) क्या यह सही है कि टेंडर स्वीकार करने से पहले और भी कई व्यक्तियों ने घास कम कीमत से दिये जाने की दर्ख्वास्तें पेश की थीं? यदि हां, तो किन २ ने और किस २ दर से?

(५) क्या यह सही है कि घास की ऊंची दरें स्वीकार करने से सरकार को लगभग ८,०००) रु० का नुकसान हुआ है?

(६) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में एन्टी-करप्शन विभाग ने जांच की है और इस सम्बन्ध की विभागीय फाइल भी एन्टी-करप्शन विभाग के अधिकार में है?

(७) एन्टीकरप्शन विभाग की जांच यदि कोई हुई हो तो उसका क्या २ नतीजा रहा?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां।

(२) इसका टेन्डर नोटिस १३-११-५८ को संचालक, सार्वजनिक सम्पर्क कार्यालय, जयपुर द्वारा भेजा गया था जो स्थानीय पत्रों में १०-१२-५८ को छपा था।

निम्न फर्मों के निम्न दरों पर टेंडर नोटिस आये हैं :

जेठानन्द होतचन्द, ब्रह्मपुरी, जयपुर ५) रु० प्रति मन।

Page No.11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हरिमलदास खान चंदानी, जयपुर ३)८७ नये पैसे।

बच्चूमल पामनदास, जयपुर ३)६४ नये पैसे।

महादेव प्रसाद बृजमोहन ५) प्रति मन।

हरिमलदास खानचंदानी, जयपुर का ३)८७ नये पैसे का टेन्डर मंजुर किया गया।

(३) जी हां। जंगलात विभाग की दरें इस प्रकार आयीं। २)६० नये पैसे घास की दर और १) यातायात भाड़ा जयपुर से बस्सी तक प्रति मन। कुल ३)६० नये पैसे प्रति मन।

(४ से लेकर ७) तक के सवाल का जवाब फाइल विभाग के पास नहीं होने से नहीं दे पाये।

श्री भैरोंसिंह : फाइल कियेलिए गई हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच हो रही है एन्टीकरप्शन में।

श्री भैरोंसिंह : किस बात की ?

नाथूराम मिर्धा : टेंडर ठीक तरह से नहीं लिये और उसमें सरकार को लोस हुआ है जैसा कि आपने भी अपने प्रश्न में कहा। यह फाइल पहले ही एन्टीकरप्शन विभाग में भेज दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या आपका पशु पालन विभाग भी ऐसा समझ रहा है कि घास खरीदने के मामले में सरकार को नुकसान हुआ है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टेंडर नोटिस जैसा मैंने बताया लोवेस्ट टेंडर वाले से घास खरीदा गया, इससे मुझे कोई लोस दिखता नहीं। लेकिन फिर भी किसी ने शिकायत की होगी इसलिए एन्टीकरप्शन विभाग में फाइल मांगी गई जहां कि इसकी जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : फाइल कब से गई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : २४-१०-५६ को।

श्री भैरोंसिंह : कोई डिपार्टमेंटल जांच भी की गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपने फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की रेट्स बतायी २)६० नये पैसे जो कि पहले से भी कम है और एक रुपया यातायात के चार्जेज़ बताये वे किस आधार पर हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह फोरेस्ट वालों ने लिख कर भेजा था।

श्री भैरोंसिंह : २)६० पैसे प्रति मन घास की कीमत लिखी और ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज़ का एक रुपया प्रति मन घास का फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने लिखा, यह किस आधार पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने लिखा है। वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। आप कह रहे हैं, मैं इसको फिर देख लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

Page No.12

किशोरपुरा पंचायत की बैठकें पंचायत भवन में नहीं किये जाने के सम्बन्ध में

५६७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किशोरपुरा पंचायत का प्रधान कार्यालय और पंचायत भवन किशोरपुरा में होते हुए भी पंचायत की बैठकें वहां क्यों नहीं होती हैं ?

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश भी जारी किये हैं ?

(ग) यदि हां, तो फिर पंचायत की बैठक पंचायत भवन में क्यों नहीं की जाती है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) पंचायत के १२ पंचों के मतानुसार खुर्रा पंचायत के सेंटर में होने के कारण बैठक किशोरपुरा में न कर खुर्रा में की जा रही है ।

(ख) जी हां । केन्द्र किशोरपुरा ही रहने का आदेश दिया है ।

(ग) पंचायत भवन जो जिला बोर्ड द्वारा बनवाया गया है वह स्कूल के कार्य में आ रहा है, इस कारण वहां बैठक नहीं हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : पंचायत की बैठक दिन में होती है या रात में ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दिन में भी हो सकती है और रात में भी ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : इस पंचायत का नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : किशोरपुरा ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किशोरपुरा।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत का नाम किशोरपुरा है तो क्या पंचायत का स्थान बदलने के लिए सरकार ने आदेश दिये थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार के आदेश ये हैं कि किशोरपुरा में ही रहे ।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ कि पंचायत की बैठकें सरकार के आदेश के खिलाफ दूसरी जगह पर हो रही हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह माना जा सकता है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह अपने आदेशों का पालन करवा सके ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं मानता हूं कि सरकार इस स्थिति में है कि वह अपने आदेश का पालन करवा सके ।

श्री भैरोंसिंह : जब आपने बताया कि सरकार के आदेश के विपरीत किशोरपुरा में मीटिंग न होकर दूसरी जगह होती है, क्या यह सरकार के आदेश के विपरीत यह आचरण नहीं है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कार्यवाही हो रही है ।

Page No.13

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : पंचायत क्षेत्र में कहीं भी हो सकती है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनके निश्चय से हो सकती है। वैसे जहां हैडक्वार्टर है वहीं पर होनी चाहिये। उनकी सम्मति दूसरी जगह के लिए है।

डॉ० चन्द्रकला : फिर पंचायत भवन में स्कूल क्यों सरकार ने लगा रखा है ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : आपने फरमाया कि १२ पंचों के अपने निर्णय से दूसरी जगह मीटिंग कर रहे हैं; तो निर्णय से मीटिंग हो रही है तो फिर कार्यवाही क्यों कर रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : १२ पंचों के निर्णय से हो रही है लेकिन ज्यादा भी पंच हो सकते हैं।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : The Hon'ble Member from Jaipur pointed to ask about the School, that has not been replied.

डॉ० चन्द्रकला : उसमें स्कूल क्यों चलने लगा है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्कूल वालों ने मांगा है। स्कूल वालों के लिए जगह नहीं होगी। पंचायत वालों ने दे दिया होगा। वैसे देते-लेते ही रहना चाहिये, सहयोग होना ही चाहिये आपस में।

श्री अर्जुनदास : Whether the school timings are day time or the night ?

श्री अध्यक्ष : उसका उत्तर दे दिया है दिन में भी हो सकती है।

श्री अर्जुनदास : Whether they are held in day time or in night ? होती है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

इम्पोर्टेड न्यूज प्रिन्ट पर सेल्स टैक्स

५६८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मंत्री, कर विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) इम्पोर्टेड न्यूज प्रिन्ट पर राजस्थान में कितना सेल्स टैक्स लिया जाता है ?

(ख) न्यूज प्रिन्ट के इम्पोर्ट पर सेल्स टैक्स देने से किस २ श्रेणी के और कौन २ वंचित किये हुए हैं तथा कब से ?

(ग) न्यूज प्रिन्ट के इम्पोर्ट के सम्बन्ध में ५६-५७, ५७-५८, ५८, ५६ व ५६-६० में किस २ व्यक्ति व फर्म से न्यूज प्रिन्ट के कितने २ इम्पोर्ट पर कितना २ सैल्स टैक्स लिया गया है ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कर तथा आबकारी मंत्री (श्री रामचंद्र चौधरी) : (क) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत न्यूज़ प्रिन्ट के इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं है किन्तु इसकी बिक्री पर टैक्स लिया जाता है। जिसकी दर दिनांक १. ४. ५५ से ६. ३. ५८ तक ३.१।८ पर्सेन्ट थी उसके पश्चात् दिनांक १०. ३. ५८ से ४ पर्सेन्ट हो गई है ।

Page No.14

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(ख) न्यूज़ प्रिन्ट की बिक्री पर कर देने से किसी भी श्रेणी का विक्रेता मुक्त नहीं है—

(ग) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : इस तालिका में जिन विक्रेताओं या फर्मों के नाम दिये हुए हैं क्या उनके बारे में ऐसा समझना चाहिये कि उनको इम्पोर्टेड न्यूज़ प्रिन्ट मिलता था ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया कि न्यूज़ प्रिन्ट बाहर से मंगाने पर इम्पोर्ट टैक्स नहीं है, बिक्री कर लगता है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं यही पूछ रहा था कि विक्रेताओं के नाम लिस्ट में दे रखे हैं, क्या ऐसा समझना चाहिये कि वे न्यूज़ प्रिन्ट के विक्रेता हैं ?

श्री रामचंद्र चौधरी : न्यूज़ प्रिन्ट आता है और जितना बेचा है उस पर सेल्स टैक्स लिया जाता है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने विक्रेताओं के नाम लिखे हैं । जिन फर्म्स के लोगों के नाम लिख रखे हैं तो क्या वे न्यूज़ प्रिन्ट के विक्रेता हैं ?

श्री रामचंद्र चौधरी : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : उस स्थिति में आपने नवयुग के सामने कुछ नहीं लिखा है, केवल डोटे-डोटे कर रखा है ?

श्री रामचंद्र चौधरी : नवयुग पर ५५-५६ में टैक्स लगा है ७४०) १२ नये पैसे, ५६-५७ में १७१) ६४ नये पैसे । यह तो उसने दाखिल कर दिया । उसके बाद नोटिस जारी किया गया । कुछ आया नहीं इसलिए एक्सपार्टी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने लिस्ट दी है उसके आगे नवयुग के लिए डोटे-डोटे कर रखा है ?

श्री अध्यक्ष : यह लिस्ट है जिसमें रुपया जिनसे वसूल हुआ है उन विक्रेताओं के नाम दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जिनसे वसूल हो रहा है मैंने उनकी लिस्ट मांगी नहीं । वसूल नहीं हुआ है उसमें नवयुग है और उनके नाम के आगे डोटे-डोटे किया हुआ है ।

श्री रामचंद्र चौधरी : वह विक्रेता नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : पहले ही मैंने इसीलिए पोइन्टेड क्वेश्चन किया था कि ये सारे के सारे विक्रेता हैं तो आपने हां भरी । तो क्या पहले वाला जवाब सही है या यह दूसरा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो न्यूज़ पेपर यहां से निकलते हैं उसमें वे शामिल हैं, जो टैक्स अदा करते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : नवयुग में किसी की बकाया नहीं है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो बकाया है उसकी वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री भैरोंसिंह : न्यूज़ प्रिन्ट की खरीद

(श्री भैरोंसिंह)

है उसका टैक्स बाकी है। आपने लिखा कि खरीदने पर टैक्स नहीं लगाते, बिक्री कर लेते हैं। आप कहते हैं कि नवयुग विक्रेता नहीं है, इधर आप कहते हैं कि नवयुग में बाकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक इन्टरस्टेट टैक्स भी लगता है।

श्री भैरोंसिंह : यह कौनसा टैक्स बाकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उन्होंने जो खरीदा है उसकी सारी इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है। जो प्राइवेट न्यूज़ प्रिन्ट उन्होंने खरीदा है, जे. एन. सिंह, त्रिपोलिया बाजार से खरीदा है ४१,३५०) रु० का। यह ५७-५८ में खरीदा है। ८२,५६४) का यह ५८-५६ में खरीदा है। उस पर टैक्स लगा है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ है कि ५७-५८ में जो न्यूज़ प्रिन्ट का पेपर खरीदा उसकी जो स्टेट ड्युटी थी वह दी है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें ऐसा होता है कि जो यदि दूसरों से खरीद लेते हैं तो उसमें जो टैक्स होता है वह उसको देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री बतायें कि नवयुग ने अमुक दूकान से खरीदा उस दुकानदार ने सेल्स टैक्स चार्ज कर लिया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो माल बाहर से एक्सपोर्ट होकर आता है और जो डीलर उसको बेचता है उस वक्त सेल्स टैक्स चार्ज कर लेता है। बहुत से अखबार न्यूज़ प्रिन्ट खरीद लेते हैं, वे डायरेक्टली अदा कर देते हैं। अखबार वाले अपने पास में न्यूज़ प्रिन्ट में से थोड़ा बहुत किसी को बेचते हैं। उनसे सेल्स टैक्स रह जाता है तो वह मांग लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : नवयुग ने जो डाइरेक्टली इम्पोर्ट किया न्यूज़ प्रिन्ट, उसका टैक्स बाकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो यहां उन्होंने खुदरा कोई बिक्री की उसका Sales Tax बाकी है।

श्री भैरोंसिंह : वह कितना बाकी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनके खिलाफ नोटिस इश्यु किया उस पर हाजिर नहीं हुए ५७-५८ तक का तो दे दिया है, उसके बाद का रिटर्न दाखिला नहीं किया, बराबर नोटिस दे रहे हैं एक्सपार्टी कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने नोटिस किस बेसिस पर दिया है, इम्पोर्टेड न्यूज़ प्रिन्ट लिया है इस वास्ते ?

श्री अध्यक्ष : ये हमेशा से टैक्स देते आये हैं और आयन्दा जो नहीं दिया है उसके लिये नोटिस दिया है। गवर्नमेंट तो सतर्कता बरत रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हो सकता है उसने आगे का भी दे दिया हो और जबर्दस्ती उसको नोटिस देकर परेशान किया जाता हो, यह भी ठीक नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले टैक्स देते रहे हैं जिस समय का रिटर्न दाखिला नहीं किया है उसके लिये नोटिस जारी हो गया। अगर उससे हम सेटिसफाइ नहीं होते हैं तो एक्सपार्टी असेस कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ५७–५८ में नोटिस दिया था, न्यूज़ प्रिंट इम्पोर्ट का कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया, सेल्स टैक्स भी जमा नहीं कराया और ५८–५६ के पीरियड का भी कम्पलीट नहीं कर सके; इसका क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : १६५७–५८ में और ५८–५६ में क्रमशः ४१ हजार और ८२ हजार का न्यूज़ प्रिंट खरीदा जिसके डिटेल्स मैंने दे दिये। डाइरेक्टली जो खरीदा वह भी बता दिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

बस्सी, नागौर एवं अलवर के कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पर खर्च हेतु स्वीकृत धनराशि

५६६. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

सन् १६५८–५६ में बस्सी, नागौर और अलवर के कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पर खर्चे के लिये कितनी कितनी रकम स्वीकृत थी ?

(२) किस किस फार्म पर कितनी कितनी रकम खर्च हुई ?

(३) यदि किसी फार्म पर एक्सेस एक्सपेन्डीचर हुआ है तो क्यों और किसके हुक्म से ?

(४) एक्सेस एक्सपेन्डीचर के लिये सरकार की आज्ञा कब प्राप्त कर ली गई थी और खर्चा कब किया गया ?

(५) बस्सी, नागौर तथा अलवर के कैटल ब्रीडिंग फार्म्स में कितने कितने मवेशी रखे जाने की स्वीकृति है और ५८–५६ में इन फार्म्स पर पूरे वर्ष में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने कितने मवेशी रहे ? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १६५८–५६ में बस्सी के हेतु १,०२,०३५ रु०, नागौर के हेतु ७३,६६० रु० एवं अलवर के हेतु ४१,१०० रु० स्वीकृत था।

(२) बस्सी फार्म पर १,०१,६६८।६७ न.पै.
नागौर ,, ७३,५०२।०३ न.पै.
अलवर ,, ४०,६१५।८० न.पै.

(३) जी नहीं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) फार्मों में पशु–धन की निश्चित संख्या रखने की कोई स्वीकृति नहीं है। तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : आपने जो यह तालिका दी है उस तालिका के अनुसार या तो बराबर या कुछ कम डिफरेन्स से जानवर हर जगह

(श्री भैरोंसिंह)

पर हैं, जानवरों की संख्या में विशेष अन्तर नहीं। लेकिन जो खर्चा होता है बस्सी फार्म पर इतना ज्यादा क्यों होता है जब कि उनमें उतने ही मवेशी रहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जानवरों में भी बराबरी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : दो-दो, चार-चार का फर्क है ! आप जानवरों को देख लीजिये। बस्सी फार्म के अन्दर कम से कम जिस महीने में जानवर रहे हैं उनकी संख्या २७७ है और ज्यादा से ज्यादा ३०४ है। इसके अलावा २३४ और ज्यादा से ज्यादा २७७ है। इसमें भी ज्यादा फर्क नहीं। सब का फीडिंग स्केल फिक्स्ड है। फिर वहां खर्चा ज्यादा क्यों होता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जानवर भी ज्यादा हैं और बड़े जानवर भी हैं जिस कैटेगरी के जानवर रहे हैं उसी हिसाब से बजट बनता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाय कि जानवरों के रखने के अनुपात से बस्सी फार्म का खर्चा अलवर फार्म से ज्यादा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जानवरों के सम्बन्ध में डिटेल्स एक्सपेन्डीचर देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां स्टाफ भी बहुत ज्यादा है। बस्सी फार्म में गाएं भी ज्यादा हैं। जमीन भी ज्यादा जहां है पर फार्म है, वहां पर हरा फोडर भी तैयार किया जाता है व फीडिंग के इन्तज़ाम की व्यवस्था भी है। दूसरी दूसरी कई एक्टीविटीज़ हैं जो बड़े पैमाने पर चलाई जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह समझा जाय कि कैटल ब्रीडिंग के हैड में यह शामिल है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बजट में कोई कैटल ब्रीडिंग हैड नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : माइनर हैड में होगा !

श्री नाथूराम मिर्धा : अलग अलग बजट हैड्स हैं वे आपके सामने हैं, आप उनमें देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : आपने दो बातें बतायीं। मेरे पास जो सूची आई है उसके अन्दर टी० ए०, डी० ए० और पोस्टेज का सवाल है वह सब जगह एक सा है? वैसी हालत में बस्सी फार्म में ज्यादा खर्चा किस प्रकार से है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : जानवरों के सम्बन्ध में बातें हो रही हैं, अच्छा हो कि चेम्बर में जाकर बात कर लें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद है कि मैं आपको इसमें शामिल नहीं कर सका। मैं निवेदन कर रहा था सारे बजट एस्टीमेट्स जो दिये हैं उसमें टी० ए०, डी० ए० पोस्टेज आदि का खर्चा सब जगह समान है और कैटल ब्रीडिंग पोइन्ट ऑफ व्यू से विशेष अन्तर न होते हुए भी नागोर, अलवर फार्म की अपेक्षा बस्सी फार्म में ज्यादा खर्चा होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप स्टेटमेन्ट को देखिये, कहीं तो बछड़े हो हैं और कहीं बड़े जानवर है, उससे भी फर्क रह जाता है।

श्री भैरोंसिंह : जानवरों की संख्या में तो दो-दो और चार-चार का फर्क है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप फिगर्स देखिये बस्सी फार्म में फीडिंग चार्जेज़ हैं ७२ हज़ार रुपया, नागोर में है ६४, ६४० रुपया और अलवर में है करीब २८ हज़ार; इसी तरह से जानवरों की संख्या में भी फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : आप देखिये अलवर में गायें दूध में ६६, गायें सूखी ५१, बछड़िया २२ उधर गाय दूध में बसी में ४८, गायें सूखी ५६, गायें ब्याई १; इस तरह से गायों का टोटल अलवर में ज्यादा है और खर्चा ज्यादा बस्सी पर होता है। ये विपरीत बातें निकलती हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गायों की संख्या के साथ साथ अन्य जानवरों की भी संख्या दी हुई है, उसे भी आप देख लें। इसके अलावा राशन्स में भी वेरिएशन हो सकता है, उसका मुझे ज्ञान नहीं।

भीलवाड़ा नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा घोटाले

६००. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५९ में भीलवाड़ा नगरपालिका के श्री फतेह मोहम्मद नाकेदार क्लर्क ने चुंगी के एक व्यापारी से ४,८००) रुपये वसूल किये तथा नगरपालिका की पतर में केवल ८००) ही दिखाया है ?

(ख) क्या यह सही है कि इसी नगरपालिका के श्री गंगाराम नाकेदार चुंगी ने सांगानेर नाके पर सन् ५५-५६ की रोकड़ का पन्ना नम्बर २६ फाड़ कर गबन का कार्य किया ?

(ग) क्या यह सही है कि उस समय के अकाउन्ट्स ऑफिसर ने उस पर नोट भी लगाया था तथा रोकड़ सील बन्द की गई थी ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त रोकड़ को श्री प्रेमचन्द नामक म्युनिसिपल कर्मचारी ने कर्मचारियों से मिल कर उसे जला दिया है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (क) जी नहीं।

(ख) जांच हो रही है।

(ग) ऐसे आरोप लगाने पर कार्यालय द्वारा जांच की जा रही है। रोकड़ सीलबन्द कर दी गई है।

(घ) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय: जिस व्यापारी से ४८००)रु. लिये हैं और जिसका ८००)रु. ही लिखा है तो आपने उसके लिए 'जी नहीं'' कहा, आपने उस व्यापारी से भी पूछा है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो जांच हो रही है।

श्री दयाकृष्ण विजय : वह जांच कब से हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : वह जांच जल्द खत्म करवा दीजिये।

श्री सम्पतराम : सारे कागजों को देखने-मंगाने में देरी हुई है, सारे कागज़ म्युनिसिपल बोर्ड के दफ्तर में थे। एक-दो महीने में निश्चित रूप से एक्शन ले लिया जावेगा, अगर वाकई डिफॉल्टर है तो।

राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत अनिवार्य करों को लागू करना

६०१. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट, १९५९ लागू होने के उपरान्त अभी तक अनिवार्य कर प्रभावित क्यों नहीं किये गये ?

(ख) अनिवार्य करों को राजस्थान सरकार किस ढंग से लागू कर रही है ?

(ग) क्या सारे राजस्थान के लिये एक ही सूची रहेगी या अन्य राज्यों की तरह प्रादेशिक सूचियों के रूप में ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (क, ख, और ग) यह मसला सरकार के विचाराधीन है।

श्री मूलचन्द डागा : कब से है साहब विचाराधीन ?

श्री सम्पतराम : जब से नया कानून लागू हुआ।

नवयुग प्रेस के व्यवस्थापक व मालिक के खिलाफ स्टेट इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन द्वारा दावा

६०२. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत नवयुग प्रेस (नवयुग प्रिन्टर्स) के व्यवस्थापक व मालिक प्रेस के कर्मचारियों के वेतन से उनके कन्ट्रीब्यूशन की कटौती करते रहे हैं और उसके जमा न कराने पर डिप्टी रीज़नल डाइरेक्टर, इन्चार्ज स्टेट इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन, राजस्थान, जयपुर ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में व्यवस्थापकों के विरुद्ध दावा दायर कर रखा है ?

(ख) यदि हां, तो कितनी रकम का और किस किस के विरुद्ध यह दावा दायर किया गया है और कब ?

(ग) क्या यह सही है कि प्रेस की इस कार्यवाही से प्रेस कर्मचारियों में काफी असन्तोष है ? यदि हां, तो सरकार इस प्रेस को ब्लैक लिस्ट अथवा अन्य कार्यवाही क्यों नहीं करती है ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : यह मामला लेबर रूल्स के अन्तर्गत आता है और रीजनल डाइरेक्टर, इन्चार्ज स्टेट इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के अन्तर्गत आता है जो भारत सरकार के अन्तर्गत काम करते हैं। इसलिये इस विभाग में सूचना उपलब्ध नहीं है। जो सूचना उपलब्ध है वह फिर भी मैंने भेज दी है।

श्री भैरोंसिंह : सम्बन्ध तो नहीं है, पर लेबर वैलफेयर के पोइन्ट से क्या आपके पास सूचना भी नहीं आई कि ऐसा कोई मुकदमा चल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रीजनल ऑथोरिटी का ऑफिस यहां है उनको जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : आप कोई कमिटमेन्ट न करें, कमिटमेन्ट के लिये मैं नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

कह रहा, वह तो केस कोर्ट में चल रहा है। पर मैं तो आपसे इतना जानना चाहता हूं कि आपको लेबर वैलफेयर के पोइन्ट से इसकी जानकारी है या नहीं कि इस सम्बन्ध का कोई केस कोर्ट में चल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : केस चल रहा है तो मजिस्ट्रेट चला रहा है। आप उनसे जानकारी लें।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपका औपचारिक सम्बन्ध नहीं है पर नैतिक सम्बन्ध भी है, या नहीं यही बता दें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरा कोई औपचारिक है न सम्बन्ध नैतिक है, मेरा तो जाब्ते का सम्बन्ध है।

श्री भैरोंसिंह : आपको पर्सनली इसकी जानकारी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर्सनली तो मुझे बहुत सी जानकारी है और पर्सनली अगर मुझे जानकारी है भी तो मैं उसे देने को बाध्य नहीं।

श्री भैरोंसिंह : यह कौन सा जवाब है कि जानकारी देने को तैयार नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह मामला इनके अन्तर्गत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यहां अगर कोई सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का ऑफिस है और उसमें अगर कोई चोरी हुई तो क्या इनके अन्तर्गत नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष : चोरी हो जावे तो मामला उनके समाश्रत का हो गया।

श्री भैरोंसिंह: इसी तरह मेरा कवेश्चन, अध्यक्ष महोदय, यह है कि लेबरर्स से जब वे वेतन में से इन्शोरेन्स कराने के नाम पर पैसा काटते रहे और वसूल करते रहे इन्श्योरेन्स के नाम से लेते रहे और वह पैसा वे इन्श्योरेन्स के ऑफिस में जमा नहीं करा कर स्वयं ही खाते रहे और इस पर जब रीजनल डाइरेक्टर इन्चार्ज ने उनको नोटिस दिया तो लेबर वैलफेयर के नाम पर सरकार खर्चा करती है और बहुत कुछ करने की बातें करती है, तो क्या यह सही है कि अब तक सरकार को इसकी सूचना नहीं हो कि उनके नवयुग प्रेस के मालिक के खिलाफ कोर्ट में कोई केस चल रहा है ? सरकार को इसकी कोई सूचना है या नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। सरकार आगे क्या करती है, यह नहीं जानना चाहता। मैं तो यह जनाना चाहता हूं कि सरकार को केस चलने की सूचना है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : कोर्ट में केस तो चल रहा है, यह तो कहा है।

श्री भैरोंसिंह : कहां ? यही थोड़ा कहा नहीं उन्होंने।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विभागीय तौर से जवाब देने के लिये बाध्य नहीं हूं। यह लॉ में नहीं आता। I still say. I am not expected to give reply to this question because it does not concern me. मैं बाध्य नहीं हूं इसका जवाब देने के लिये। यह कहना कि मेरी पर्सनल जानकारी में है या नहीं, मेरी जानकारी में तो हजारों

Page No.21

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

बातें हैं। आप उनको पूछ नहीं सकते। आप जाब्ते में पूछ सकते हैं। जाब्ते में मैंने आपको जवाब दे दिया कि यह भारत सरकार से सम्बन्धित मामला है। आप उनसे जानकारी करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कोर्ट तो राजस्थान में है। गवर्नमेन्ट यह तो पूछ सकती थी कि....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यही तो....

श्री श्रीभानसिंह : I am speaking to the Chair. When that has nothing to do with the Central subject, तो यह तो जानकारी दे सकते थे कि इस तरह का केस राजस्थान के किसी भी कोर्ट में चल रहा है या नहीं ? यह तो डिनाई या कन्फर्म कर सकते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान सरकार के लेबर डिपार्टमेन्ट में कोई इस तरह की सूचना नहीं है। अगर कहीं केस चल रहा है तो यह सूचना आप लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछ सकते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : श्रम मन्त्रीजी को कोई सूचना नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : श्रम विभाग को कोई सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माननीय श्रम मन्त्री महोदय श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ?

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्या माननीय सदस्य को ऐसी कोई सूचना नहीं है ?

श्री भैरोंसिंह : आप इन्कार करें कि सूचना है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : The Government has informed us that the case is Sub-Judice.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह चाहता हूं कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं, सबजुडिस की बात नहीं करता ?

श्री अध्यक्ष : इन्फॉर्मेशन है तभी तो इत्तला भेजी है।

श्री भैरोंसिंह : वह भी कह दें कि इन्फॉर्मेशन है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्फॉर्मेशन देने के लिये मैं बाध्य नहीं हूं। कोई रूल नहीं है इस तरह का कि जिससे मैं बाध्य होऊं I am not bound to give reply.

श्री श्रीभानसिंह : यह तो कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जिसकी जानकारी चाही गई हो।

आपको देने में क्या ऐतराज है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप इन्सिस्ट करते हैं इसलिये मैं भी इस पर इन्सिस्ट करता हूं। जिसका लेबर डिपार्टमेंट से सम्बन्ध नहीं उसकी जानकारी हमें है या नहीं, इसे जानने के लिये वे क्यों इन्सिस्ट करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इन्सिस्ट नहीं कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जहां तक लेबर डिपार्टमेन्ट का सम्बन्ध है, whether they are our State Government or Central Government

Page No.22

(श्री पी० के० चौधरी)

employees ; that information you are bound to have and you are not....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I have Categorically said this, I am not bound to have this information and to reply.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो सवाल ऐसा है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की आड लेकर किसी के लिये भी जवाब देने से इन्कार कर दें। यह कह दें कि हमें जानकारी नहीं है तो कुछ समझ में आ सकता है। पर वे यह नहीं कह सकते कि जानकारी है पर नहीं दे सकते या देते नहीं। अब वह केस सबजुडिस है या क्या है, यह भी मैं कोई डिटेल नहीं जानना चाहता। मैं तो सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि माननीय श्रम मन्त्री महोदय को इस तरह की इस बात की सूचना है कि नहीं कि केस कोर्ट में चल रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : जिस विभाग से पूछने का हो उस विभाग से पूछना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : If the Hon'ble Member asked a question whether the Nav Yug Paper is covered by this State Employees Scheme, then the Labour Minister is supposed to give a reply to it.

श्री बद्रीपसाद गुप्ता : You put that question separately, I will give you reply to that question but not to day.

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन मैं और पूछ लूं। क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर से आने वाले सदस्य ने श्रम मन्त्री महोदय को एक रिपोर्ट लाकर इस बात की दी है कि लेबर इन्श्योरेन्स स्कीम के अन्तर्गत नवयुग प्रेस के व्यवस्थापक व मालिक ने कर्मचारियों के वेतन से उनके कन्ट्रीब्यूशन का कटौती का पैसा बीमा ऑफिस में जमा नहीं करवाया जिसके कारण उनके खिलाफ एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा है और उस केस में काम जल्दी नहीं हो रहा है इसलिये जल्दी की जाने की सरकार कोशिश करे। इससे मजदूरों में असन्तोष है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : इसका मालिक कौन है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग सवाल है। आप पूछ कर देख लें।

श्री भैरोंसिंह : आपको सूचना दी है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह सूचना देने के लिये बिल्कुल बाध्य नहीं हूँ।

श्री भैरोंसिंह : आपको इसकी सूचना दी या नहीं, जवाब नहीं देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप बार-बार इन्सिस्ट करते हैं। I am not bound to give reply under the Rules, of which I have the protection.

श्री श्रीभानसिंह : Under which rule ? Please quote the rule.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : The rule is there.

Page No.23

श्री श्रीभानसिंह : But where is that ? Please quote the rule. I have also got the Rules of Procedure. You cannot take shelter by saying that under the Rules you are not bound to reply this question.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : Well, I will show you.

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, जो बार बार कहा कि रूल्स के अनुसार मैं जवाब देने को बाध्य नहीं किया जा सकता, बार बार रूल्स का शैल्टर लेते हैं तो वे बतावें which is that Rule ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आप, कौनसा रूल है जिसके अन्तर्गत मुझे पूछना चाहते हैं ?

श्री श्रीभानसिंह : On a point of order, our rule is that the question has been admitted once by the Chair, this is sufficient that the Minister should give a reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझको इसकी जानकारी नहीं है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अन्तर्गत है।

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : माननीय सदस्य बहुत दफा भावावेश में आकर पूछते हैं और ऐसे पूछते हैं जैसे हम तो कोई बहुत गुनाहगार हैं। हमसे अगर रिप्लाई लेना है तो नम्रतापूर्वक सवाल पूछना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : हकीकत बिना समझे सोचे उप-मन्त्री खड़े न हों तो ज्यादा अच्छा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं रूल कोट कर दूं तो? Rule 37: The right to ask a question is governed by the following conditions, namely :

(i) It shall not relate to a matter with which a Minister is not Officially connected."

(करतल ध्वनि)

श्री भैरोंसिंह : आगे का रूल पढ़िये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूल पढ़ते नहीं हैं और खामखाह में इन्सिस्ट करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप आगे का रूल पढ़िये न। मैं आगे का रूल आपको बता रहा हूँ इस बात का कि सवाल का जवाब देना है या नहीं, जवाब के लिए सवाल एडमिट करना या न करना इसका अधिकार माननीय मंत्री महोदय को या सरकार को नहीं है, इस सदन के अध्यक्ष को है। और इस रूल के अनुसार मेरा क्वेश्चन एडमिट हो गया है इस बेसिस पर अध्यक्ष की ओर से कि इसका जवाब आपको देना है। तो वह रूल भी पढ़ कर आप हाउस को सुना दें।

श्री अर्जुनदास : Who is owner of this paper Sir, ?

प्रश्न संख्या ६०३

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणिया।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द डागा।

पाली तहसील में बकाया बीज की वसूली

६०४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पाली तहसील में किन किन लोगों में अभी तक बीज बकाया है तथा उनसे बीज अभी तक वसूल नहीं किये जाने की क्या कारण है ?

उप-मंत्री, कृषि (श्री दौलतमल सारण): अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध की सूचना एकत्रित नहीं हो सकी है, इसलिये इसे अगली टर्न पर रख लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

ग्राम पड़िहारा, तहसील रतनगढ़ के अस्पताल को सम्पूर्ण ग्रामों के बीच में लाना

६०५. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पड़िहारा तहसील रतनगढ़ में सरकारी अस्पताल वहां के दूसरे ग्रामों से अधिक दूर पड़ता है ?

(२) यदि हां, तो क्या सरकार मरीज़ों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उक्त अस्पताल को वहां के ग्रामों के बीच में लाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(३) क्या यह सही है कि पड़िहारा अस्पताल की बिल्डिंग खराब हालत में है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) पड़िहारा, ग्राम पड़िहारा से लगभग एक मील दूर है

(२) जी नहीं।

(३) पड़िहारा की बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, बिल्डिंग बनने पर कहा जावेगा।

सहकारी प्रशिक्षण शालाओं के प्रिन्सिपल

६०६. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या सहकारी मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राज्य में कितनी सहकारी प्रशिक्षण शालाएं हैं ?

(२) इन प्रशिक्षण शालाओं के प्रिन्सिपल का ग्रेड क्या है तथा प्रिन्सिपल को क्या क्या काम करने पड़ते हैं एवं कितने पीरियड्स लेने पड़ते हैं ?

(३) क्या इन प्रशिक्षण शालाओं के लिये स्वतंत्र रूप से प्रिन्सिपल न रख कर सम्बन्धित सहायक पंजीयक सहकारी समितियों को ही पदेन प्रिन्सिपल बनाने का सरकार का इरादा है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दो।

(२) ग्रेड २००।१५। २७५।२०। ३७५ ई. बी. २५। ६०० है। प्रिन्सिपल को कार्यालय के कार्य का संचालन, वित्तीय अधिकारों का प्रयोग, विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, परीक्षा का प्रबन्ध और छात्रावास की देख रेख का कार्य करना पड़ता है तथा उसे प्रत्येक सप्ताह में १२ से १८ पीरियड लेने पड़ते हैं।

(३) जी नहीं।

Page No.25

ग्राम पंचायत, झाड़ली, जिला सीकर

६८७. श्री **भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, झाड़ली (जिला सीकर) के पंचों का चुनाव दिनांक ११-३ ५८ को हुआ था ?

(ख) यदि हां, तो कितने पंचों का ? इस पंचायत में कुल पंचों की संख्या कितनी है ?

(ग) इन पंचों को शपथ दिलाई गई या नहीं और नहीं तो क्यों ? इन पंचों के नामों का बजट में पब्लिकेशन हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) ग्राम पंचायत झाड़ली की पंचायत में अब कौन कौन पंच अथवा सरपंच कार्य कर रहे हैं और उनका चुनाव कब कब हुआ था ? यह पंचायत अब किस कानून एवं नियम के अन्तर्गत कार्य कर रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं । दिनांक ११-३-५८ को हुआ है ।

(ख) १४ पंचों का । पंचों की कुल संख्या १४ है ।

(ग) जी नहीं । क्योंकि सरपंच का चुनाव उस समय नहीं हुआ और शपथ पंचों को सरपंच द्वारा दिलवाने का ही नियम था। दिनांक ७-८-५८ को पब्लिकेशन हो चुका ।

(घ) श्री भागीरथ, सरपंच, व श्री माली-राम, श्री रामनारायण, श्री भंवरसिंह, श्री धाना, श्री गोपीराम, श्री सांवतराम, श्रीमूलाराम, श्री मूल्यराम, श्री रूपनाथ राम, श्री खेता, श्री हनुमाना, श्री प्रहलादसिंह, श्रीमती छोटी, श्री बालु-पंच कार्य कर रहे हैं । सरपंच का चुनाव ५-७-५६ को व पंचों का ११-३-५८ को हुआ है ।

सरपंच के अतिरिक्त जो पंच पंचायत में कार्य कर रहे हैं वह नियम के विरुद्ध हैं क्योंकि सरपंच का चुनाव देर से हुआ जिससे पंच समय पर शपथ नियमपूर्वक नहीं ले सके ।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने पंचों के नाम बताये कोई 'सिंह' और कोई 'राम', तो क्या ये वही पंच हैं जिनका कि चुनाव ११-३-५८ को हुआ ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जी हां, वही हैं।

श्री भैरोंसिंह : इन पंचों ने कब शपथ ग्रहण की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्योंकि सरपंच के चुनाव नहीं हुए थे इसलिए पंचों ने शपथ नहीं ली ।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि पंच कार्य कर रहे हैं मेरा प्रश्न यह था कि ११-३-५८ को पंचों के चुनाव होकर उन्होंने शपथ कब ग्रहण की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कार्य कर रहे हैं, पर जब प्रश्न उठा कि जो पंच कार्य कर रहे हैं उनका कार्य करना कानून के माफिक है या नहीं, तब यह पाया गया कि वह नियम के विरुद्ध है ।

श्री भैरोंसिंह : पंचों ने शपथ ग्रहण की है या नहीं और अगर की है तो, कब की?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नहीं की ।

श्री भैरोंसिंह : यह शपथ ग्रहण नहीं करवाने के बारे में जो आपने बताया कि सरपंच के चुनाव नहीं हुए थे तो क्या दूसरे अधिकारियों के सामने शपथ ग्रहण की कार्यवाही नहीं करा सकते थे ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : नियम तो ऐसा है कि सरपंच ही शपथ ग्रहण करवाते हैं।

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि अगर सरपंच नहीं हो तो शपथ किसी मजिस्ट्रेट के सामने ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा नियम में है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : ऐसा कायदे में नियम तो नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : कायदे में तो नियम है । क्या यह सही है कि सरपंचों के अलावा दूसरों के शपथ दिलाने का प्रावधान एक्ट में है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो वह कह चुके कि सरपंचों के अलावा दूसरे नहीं दिला सकते ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर): क्या रिटर्निंग ऑफिसर जो कि चुनाव कराता है वह शपथ दिला सकता है, या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : दिला सकता है, या नहीं दूसरी बात है लेकिन इस केस में नहीं दिलाई गई ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो सवाल है कि क्यों नहीं दिलाई गई ? अगर सरपंच का चुनाव एक साल तक नहीं हो तो क्या पंच यों ही बैठे रहें ?

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : जब कि सरपंचों को तहसीलदार शपथ दिला सकता है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई रिटर्निंग ऑफिसर पंचों को शपथ क्यों नहीं दिला सकता ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जो निर्वाचन अधिकारी चुनाव कराता है वह चुनाव के पश्चात् ऐसे चुने हुए सदस्यों को शपथ ग्रहण करा देता है ? यदि ऐसे नियम हैं तो उनकी तामील क्यों नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आती ....

श्री अध्यक्ष : शपथ नहीं हुई । आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हुई तो उसका जवाब मिल चुका है कि सरपंचों के चुनाव नहीं हुए इसलिए पंचों को शपथ ग्रहण नहीं करा सके ।

श्री भैरोंसिंह : यही तो मेरा प्रश्न है कि क्यों नहीं करा सके ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

पाली शहर में कॉम्प्रिहेन्सिव वाटर सप्लाई स्कीम के इन्जीनियर के बंगले का फिल्टर हाउस के पास निर्माण

६०८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पाली शहर में कॉम्प्रिहेन्सिव वाटर सप्लाई स्कीम के इन्जीनियर का बंगला फिल्टर हाउस (Filter Plant head works)

(श्री मूलचन्द डागा)

के पास बनाना योजना में निर्धारित था ?

(२) यदि हां, तो क्या योजना के अनुसार बंगला हैडवर्क्स पर ही बनाया गया है या वहां से एक मील दूर ?

(३) एक मील दूर बंगले में रहने वाले इन्जीनियर से वाटर सप्लाई प्लांट को क्या लाभ होगा ?

(४) यदि सरकार यह उचित समझती है कि इसका उपयोग वाटर सप्लाई योजना को नहीं है तो क्या सरकार उस बंगले को नगरपालिका को सौंप कर दूसरा बंगला वाटर सप्लाई योजना पर बनाने का विचार रखती है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। यह बंगला दूसरे सरकारी बंगलों के पास बनाया गया है।

(३) इस बंगले से हैडवर्क्स दूर नहीं है। केवल १० मिनट का रास्ता है जिससे उसकी देख रेख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

(४) ऐसी हालत में दूसरा बंगला हैडवर्क्स पर बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा : जो पहले इसका प्लान बना था उसमें बंगला कहां बनाने का था ?

श्री अध्यक्ष : ऐसे बंगले से आपको क्या मुश्किल हो गई ? बंगला कहीं भी बने ?

श्री मूलचन्द डागा : वहीं पर मकान बनना चाहिए। इन्जीनियर का मकान एक मील दूर है जहां से उसको देखभाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले प्लान में यह था कि जहां फिल्टर प्लान्ट होगा वहीं बंगला बनेगा। फिर उसमें रद्दोबदल क्यों की गई पहले वाले प्लान में ?

श्री अध्यक्ष : कहां बने, कहां नहीं बने यह तो अधिकारी ही बता सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पहले योजना थी उसमें ऐसा ही था।

श्री अध्यक्ष : योजना बदल भी तो सकती है।

(विराम)

श्री किशनाराम।

रतनगढ़ राजकीय अस्पताल में अव्यवस्था

६०६. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि रतनगढ़ में डी० एम० एच० ओ० का ऑफिस होते हुए भी वहां के सरकारी अस्पताल में मरीजों का डॉक्टरों द्वारा कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता तथा आये दिन डॉक्टर मरीजों को बाजार से दवाई खरीद कर लाने के लिए परेशान करते हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल में सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता ?

(ग) उक्त अस्पताल का पिछले तीन सालों में उच्च अधिकारियों द्वारा कब कब

Page No.28

(श्री किशनाराम)

मुआयना किया गया ? कृपया अंतिम मुआयने की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(घ) क्या यह सही है कि रतनगढ़ राजकीय अस्पताल के डॉक्टर तथा कम्पाउन्डर्स सारे दिन प्राइवेट प्रेक्टिस में लगे रहने के कारण मरीजों को समय पर दवाई नहीं दे सकते ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) गत तीन सालों में डॉ० बी० एन० शर्मा, संचालक चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर, ने दिनांक २१-८-५८ को मुआयना किया था जिसकी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(घ) जी नहीं । अतः अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

प्रश्न संख्या ६१०

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६११

श्री आनन्दसिंह कछवाहा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन ।

जिला गंगानगर की पंचायतें

६१२. **श्री रामकिशन** (नोहर) : क्या पंचायत मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) जिला गंगानगर में कितनी ऐसी पंचायतें हैं जिनमें भूतपूर्व सरपंचों ने नये सरपंचों को चार्ज नहीं दिया है ?

(२) कितनी व कौनसी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सरपंचों पर पंचायतों के गबन के केस चलाये गये ?

(३) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मुनसरी के चुनाव दिनांक ८-७-५६ को हुए थे जिनमें श्री बक्सुराम हरिजन निर्वाचित हो गया था किन्तु उक्त पंचायत के सरपंच ने गलत रिपोर्ट देकर एक हरिजन को सरकार द्वारा नामजद करवा लिया ? यदि हां, तो सरपंच की इस गलत कार्यवाही पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) पांच पंचायतें ऐसी हैं जिनके भूतपूर्व सरपंचों ने नव-निर्वाचित पंचों को चार्ज नहीं दिया है।

(१) राजपुरा (२) जोगीवाला,

(३) शेरड़ा, (४) मेगाना, (५) कोहला।

(२) पंचायत ३५ बी बी, लालगढ़ जाटान मांजूवास ।

(३) जी हां, जिलाधीश द्वारा जांच करवाई जा रही है।

एक माननीय सदस्य : यह चार्ज क्यों नहीं दिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चार्ज दिलाने की कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत नियम के अन्तर्गत ऐसी धारा नहीं है जिसके अनुसार एक गये हुए सरपंच को नव-निर्वाचित पंच को चार्ज दिलाया जा सके ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जो अभी पंचायत एक्ट में संशोधन पेश किया गया है उसके द्वारा इस कमी की पूर्ति की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री।

चौगान, जयपुर शहर में कोलियों की बस्ती के लिए प्लॉट देने के सम्बन्ध में

६१३. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) चौगान, जयपुर शहर में बसाई गई कोली बस्ती में कितने लोगों ने प्लॉट लेने के लिए दरख्वास्तें दी थीं ?

(२) उनमें से कितने लोगों को प्लॉट एवं सहायता दी गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि कुछ लोगों को प्लॉट नहीं दिए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) अब बाकी बचे हुए लोगों को वहां पर प्लॉट कब तक दे दिए जायेंगे ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सम्पत-राम) : (१) ३० हरिजन व्यक्तियों ने।

(२) जमीन के अतिरिक्त किसी को सहायता नहीं दी गई।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि ६० व्यक्तियों ने इसके लिए दरख्वास्त दी थी ?

श्री सम्पतराम : इस जमीन के लिए न तो दरख्वास्तें मांगी गई पर वहां के कौन्सलर ने अपनी सिफारिश के साथ कुछ आदमियों की जिनको प्लॉट्स की बहुत आवश्यकता थी उनकी लिस्ट पेश की थी जिस पर नगरपालिका ने विचार करके ३० आदमियों को अलॉट की।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : बाकी जो रह गये हैं उनको जमीन देने के लिए क्या व्यवस्था है ? ६० व्यक्तियों में से ३० को नहीं हुआ है। उनको जमीन नहीं मिली है।

श्री सम्पतराम : एडिशनल लोगों को जमीन के अलॉटमेंट का प्रश्न इस बात से सम्बन्धित नहीं है। वह अलग से पूछा जा सकता है। उनको देने की व्यवस्था हो सकती है। उसका प्रयत्न करेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभ नगर-सु०) : ६० आदमियों में से ३० की सिफारिश हो गई और बाकी की सिफारिश क्यों नहीं की गई ?

Page No.30

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : ३० आदमियों के साथ इस तरह से पक्षपात हुआ और ३० बेकार रह गये, क्या बात है !

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

जोधपुर म्युनिसिपल क्षेत्र के लिए फूड इन्सपेक्टर्स

६१४. **श्री अनूपसिंह** (बलोतरा) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जोधपुर म्युनिसिपल क्षेत्र के लिये कुल कितने फूड इन्सपेक्टर्स की जरूरत है और अभी तक कितने रखे हुए हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सन् १९५७ में जन स्वास्थ्य विभाग के फूड इन्सपेक्टर नगर पालिका क्षेत्र का काम करते थे, जिनको बाद में हटा लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(ग) क्या नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर ने ११ सेनिटरी इन्सपेक्टर्स की लिस्ट डाइरेक्टर मेडीकल सर्विसेज़ के पास भेजी थी, जिसमें सिर्फ ५ को फूड इन्सपेक्टर्स लिया गया, जब कि बाकी के सभी प्योर फूड एक्ट के तहत रॉयल सेनिट्री इन्स्टिट्यूट, बॉम्बे के क्वालिफाइड थे ?

(घ) डाइरेक्टर मेडीकल सर्विसेज़ ने किस आधार पर ५ उम्मीदवार को चुना व ६ को रिजेक्ट कर दिया जब कि सब की योग्यता बराबर थी ?

(ङ) क्या नगरपालिका के बृहत क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बाकी के योग्य सेनिटरी इन्सपेक्टरों को फूड इन्सपेक्शन के पॉवर देने का सरकार विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) इस विभाग को जोधपुर म्युनिसिपल क्षेत्र के लिये फूड इन्सपेक्टर की जरूरत की जानकारी नहीं है। इसके लिये कमिश्नर, म्युनिसिपल बोर्ड जोधपुर को लिखा है। चेअरमैन म्युनिसिपल बोर्ड या डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ की सिफारिश पर म्युनिसिपेलिटी के सेनिटरी इन्सपेक्टर्स को फूड इन्सपेक्टर के स्थान पर नियुक्त किया जाता है। आजकल जोधपुर नगरपालिका में ६ फूड इन्सपेक्टर्स कार्य कर रहे हैं और २ सेनिटरी इन्सपेक्टर्स को फूड इन्सपेक्टर के स्थान पर नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी हां, सरकार ने नगरपालिका के सेनिटरी इन्सपेक्टरों की फूड इन्सपेक्टर्स के स्थान पर नियुक्ति कर दी है। उनके क्षेत्र में पी० एफ० ए० एक्ट लागू करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की है। जन स्वास्थ्य विभाग के इन्सपेक्टर्स केवल शुरू में ही नगर पालिकाओं को सहायता के लिए जब तक कि उनके खुद के फूड इन्सपेक्टर्स नियुक्त न हों फूड ऑफिसर्स लगाये गये थे।

(ग) इस प्रकार की कोई लिस्ट मेडीकल विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ ने सन् १९५७ में ५ सेनिटरी इन्सपेक्टरों के नाम फूड इन्सपेक्टर के लिये भेजे थे जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा हुई है। इसके बाद में नगरपालिका ने ३ सेनिटरी इन्सपेक्टर्स का नाम अलग अलग भेजा। इनमें एक की नियुक्ति हो चुकी है, २ की नियुक्ति का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Page No.31

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

(ङ) जी हां। अगर यह सब पी० एफ० ए० रूल्स, १९५५ के रूल नं० ८ में आते हैं और इनको फूड इन्सपेक्टर नियुक्त करने की अपनी आवश्यकता को देखते हुए चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड सिफारिश भेजे।

श्री अनूपसिंह : डाइरेक्टर ऑफ सिविल सप्लाइज़ ने ११ आदमियों की लिस्ट दी थी और उनमें ५ को ही सिलेक्ट किया था जब कि ११ की जरूरत थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नहीं, लोकल बोडीज़ से उनका एपोइन्ट हुआ था और उसका मेडीकल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अनूपसिंह : जब कि सारा सिलेक्शन डाइरेक्टर ऑफ मेडीकल सप्लाईज़ के हाथ में होता है तो उसमें से ५ को लिया और ६ को निकाल दिया जब कि क्वालिफिकेशन उनकी बराबर थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ ने नहीं किया है। जोधपुर म्युनिसिपल बोर्ड ने किया है। लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से हुआ है मेडीकल विभाग से नहीं हुआ।

श्री अनूपसिंह : यह कैसे मालूम हुआ कि उस क्षेत्र के लिए ५ ही फूड इन्सपेक्टर्स की जरूरत है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी म्युनिसिपेलिटी की जिम्मेदारी है। म्युनिसिपेलिटी को जितनी आवश्यकता हो उतने आदमी रखे।

जयपुर शहर की गंदी बस्तियों के सुधार की व्यवस्था

६१५. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर शहर में कहां कहां कौन २ सी गंदी और कच्ची बस्तियां (Slum areas) हैं?

(ख) क्या इन बस्तियों में सुधार करने के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो वह योजना कब तक क्रियान्वित होगी?

(ग) क्या यह सच है कि नगर के भीतरी भाग में गन्दी बस्तियों को समाप्त कर वहीं के हरिजनों को बसाने के लिये कोई योजना बनाई गई है?

(घ) उक्त योजना किन किन बस्तियों पर लागू होगी और उसके अन्तर्गत कितने हरिजनों को बसा दिया जायेगा?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री संपतराम) : (क) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(ख) जी हां, इन बस्तियों के विकास के लिये योजना बनाई गई है, जो अभी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) इस तरह की योजनाएं फिलहाल निम्नलिखित बस्तियों के लिये तैयार की गई हैं :

१. तोपखाना देश, रेगर-कोली बस्ती।

२. गुलाब बाड़ी, हरिजन बस्ती।

Page No.32

(श्री सम्पतराम)

३. रास्ता बालानन्दजी, हरिजन बस्ती।

इन योजनाओं के अन्तर्गत क्राउन एक्ट के तहत ज़मीन दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्थान के अन्य शहरों में गन्दी बस्तिया हैं....

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

डॉ० चन्द्रकला : इसका अन्तिम प्रश्न है कि उनके अन्तर्गत कितने हरिजनों को बसा दिया जायेगा, इसका उत्तर बाकी रह गया है।

श्री सम्पतराम : सारी योजना विचाराधीन है कि कहां पर ज़मीन ली जायेगी, उसमें कितने प्लॉट काटे जायेंगे और कितने कितने एक एक जगह पर बसाये जायेंगे और कितनी जगहों पर बसाये जायेंगे, यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता है, और कितनी फेमिलीज़ को वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ फेमिलीज़ को उसी जमीन पर कन्जेश्शन को कम करते हुए प्लाट काट कर बसाया जायगा और कुछ को बाहर ले जाया जायेगा। आज डेफिनिटली बताने की सूरत में नहीं हूं कि कितनी ज़मीन कहां कहां पर काटी जायेगी।

डॉ० चन्द्रकला : प्रश्न (ख) के उत्तर में 'जी हां' कहा गया है। मैंने पूछा था कि हरिजनों को बसाने के लिए क्या कोई योजना है तो इसका मतलब यह है कि 'जी हां' तो वह योजना बन गई तो वह किस रूप में बनी है ? आपने सारी बातों को तय किया होगा ?

श्री सम्पतराम : टाउन इम्प्रूवमेंट इंजीनियर द्वारा नगरपालिका को कहा गया कि गंदी बस्तियों को ठीक करके ठीक तरह से बस्तियां बसाई जायं। कन्जेश्शन को कम करने के लिए दूसरी जगह जमीन देकर बसाये जायं। उसकी एक योजना बना कर इन्जीनियर के पास टैक्निकल एग्ज़ामिनेशन के लिए भेज दी गई है। उनसे एग्ज़ामिन होकर गवर्नमेंट के पास आयेगी तब फाइनल निर्णय होगा।

डॉ० चन्द्रकला : मंत्री महोदय को कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। एक भाग प्रश्न का था कच्ची बस्तियों के बारे में और दूसरा शहर के अन्दर हरिजन बस्तियों के लिए था। उसके लिए आपने कहा कि योजना बनाई गई है और योजना बनाने की बात के लिए कहा गया कि टाउन प्लानिंग की मदद से होगा। लेकिन जो शहर के भीतर हरिज़नों को बसाने की बात है उसके बारे में प्रश्न पूछ रही हूँ उसके लिए आपने 'जी हां' कहा है तो वह योजना क्या है।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : गन्दी बस्तियों का....

(अशान्ति)

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर द्वारा फायर फाइटिंग युनिट की खरीद।

६१६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि म्युनिसिपल कौंसिल, जयपुर द्वारा एक फायर फाइटिंग

Page No.33

(श्री भैरोंसिंह)

युनिट के लिये टेन्डर नोटिस निकाला गया है ? यदि हां, तो कब ? कृपया टेन्डर नोटिस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) क्या यह सही है कि इस टेन्डर नोटिस में टेन्डर देने अथवा फायर फाइटिंग युनिट सप्लाई करने का बहुत कम समय रखा गया है ? यदि नहीं, तो कितना कितना ?

(ग) क्या यह सही है कि यह समय कम इसलिये रखा गया है कि युनाइटेड मोटर्स, राजस्थान के पास एक मरसेड्स बेन्ज़ (Mercedes Benz) पर फिट किया हुआ फायर फाइटर है उसको खरीद लिया जावे ?

(घ) क्या यह सही है कि यह फायर फाइटर कंपनी का डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल है तथा इसको डिमॉन्स्ट्रेशन में भारत के कई स्थानों पर काम में लिया है ?

(ङ) क्या यह सही है कि फायर ब्रिगेड रूल्स के अनुसार डीज़ल चैसिस उपयुक्त नहीं समझे गये हैं ?

(च) क्या यह सही है कि डीज़ल तथा पेट्रोल के फायर फाइटिंग युनिट की कीमत में काफी अन्तर है ? यदि हां, तो कितना ?

(छ) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध की सूचना एडीशनल चीफ सेक्रेटरी को प्रश्नकर्त्ता सदस्य द्वारा फोन पर २० तारीख को दी गई है ?

(ज) क्या सरकार इस खरीद को रोकने के आदेश जारी करेगी और यदि खरीद लिया गया है तो खरीद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री संपतराम): (क) जी हां।

(ख) जी हां। १० दिन का।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(ङ) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(च) अन्तर कितना होगा, पता नहीं।

(छ) जी हां।

(ज) आवश्यकता नजर नहीं आती।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में जांच की है कि इसकी डिलीवरी के लिए इतना कम समय क्यों रखा गया था ?

श्री सम्पतराम : सरकार ने इसकी जांच भी की है और जांच करने के बाद आदेश दिये हैं कि अब टेन्डर के मुताबिक खर्च करने की जरूरत नहीं है। डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स एण्ड सप्लाईज़ के मुताबिक जो जो इसके रिकॉनाइज्ड डीलर्स हैं उनसे म्युनिसिपल बोर्ड खरीद ले। उनके रेट्स फाइनल हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि म्युनिसिपैलिटी ने डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स से परामर्श किये बिना ही ऐसी एक मशीनरी के सम्बन्ध में जो टेन्डर इन्वाइट किये थे उसमें रकम ज्यादा इन्वोल्व्ड थी ?

Page No.34

श्री सम्पतराम : उनको डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स ने लिखा था कि यह हमारे पास इस प्रकार से नहीं है, आप दूसरे लोगों से जितना जल्दी हो सके ले लो। जहां तक टेन्डर्स इन्वाइट करने के बारे में सवाल है तो मैंने डिटेल में जानकारी की थी। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ग्रान्ट-इन एड के रूप में रुपया मिला था और उस समय फाइनेन्शियल इअर क्लोज़ होने वाला था और उस रुपये को खर्च करने की बहुत आवश्यकता महसूस हुई थी और नगरपालिका को जल्दी में वह रुपया खर्च करना था और खरीद करनी थी। उसके बाद में एन्क्वायरी से मालूम हुआ कि टेन्डर इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है और वैसे ही खरीद कर सकते हैं और उसके डिटेल में जाकर रेग्युलेराइज़ करके उन फर्म्स से जिनको कि डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स ने रिकॉनाइज़ कर रखा है उनसे खरीद करने की व्यवस्था कुछ सामान बम्बई से खरीद करना था जो कि उनकी रिकग्नाइज्ड फर्म थी।

श्री भैरोंसिंह : डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स से जो कॉरस्पोन्डेन्स हुई तो वह टेन्डर इन्वाइट करने से पहले हुई थी या बाद में ?

श्री सम्पतराम : डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स को लैटर लिखा था लेकिन उन्होंने कहा कि ५–६ महीने में देंगे तो उसके ऊपर मामला क्लोज़ हुआ। लेकिन बाद में यह कहा गया कि आपके अलावा जो रिकॉग्नाइज्ड इन्स्टियूशन्स हों जिन से यह ले सकते हैं तो उनको बताया गया कि ४–५ इन्स्टिट्यूशन्स और हैं इसलिए वहां से खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर ने लैटर लिखा था उसका संतोषप्रद उत्तर नहीं आया तो टेन्डर इन्वाइट किये गये थे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि टेन्डर इन्वाइट करने से पहले डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स ने नगरपालिका को यह सूचना दे दी थी कि इस प्रकार की मशीनरी अमुक अमुक फर्म से इतनी इतनी कीमत पर खरीदी जा सकती थी ?

श्री सम्पतराम : मैंने इसको स्वयं ने एडमिट किया है टेन्डर इन्वाइट करने की ज़रूरत नहीं थी और बाकायदा एक सेट-लाइन है। उस सेट-लाइन पर पर्चेजेज़ हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है न कि डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोज़ल्स की यह सूचना आने के बाद अनावश्यक रूप से टेन्डर इन्वाइट किये गये ?

श्री सम्पतराम : सेन्क्शन का लैटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आया था उसमें इस प्रकार की बात नहीं थी कि इस प्रकार का करें। जनरल बात है सारे हिन्दुस्तान के लिए कि फायर फाइटिंग युनिट जहां कहीं भी पर्चेज़ होती है वह डाइरेक्टर ऑफ सप्लाइज़ से बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड जो इन्स्टिट्यूशन है उनके ज़रिये खरीद करें या उनके पास सामान हो तो उनसे खरीद लें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह टेन्डर इन्वाइट करने से पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर ली थी ?

श्री सम्पतराम : सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं थी। सरकार के पास रुपये आये उनको ग्रान्ट-इन-एड के रूप

(श्री सम्पतराम)

में जयपुर और जोधपुर नगरपालिका को दे दिये ।

श्री भैरोंसिंह : ६० हज़ार रुपयों की मशीनरी खरीदने के लिये टेन्डर इन्वाइट किये उसके लिये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति ले ली थी ?

श्री अध्यक्ष : ये कहते हैं कि इसमें स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : स्वीकृति की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, मैंने सूचना दी उसके बाद कार्यवाही रोक दी गई है । उसके लिये चाहे मुझे श्रेय न दें गवर्नमेंट के २०-३० हजार रुपये बचाने का लेकिन उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये जिन्होंने शॉर्ट पीरियड दिया ताकि दूसरे टेन्डर न आ पावें ।

जिला पाली की ग्राम पंचायत सादड़ी में नगरपालिका कायम करना

६१७. श्री बेनीराम गहलोत (खारची): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि जिला पाली के ग्राम पंचायत सादड़ी की जन संख्या १०,००० से अधिक है ? यदि हां, तो वहां पर नगरपालिका आज तक कायम नहीं करने का क्या कारण है ? और अब कब तक नगरपालिका कायम करदी जावेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): जी हां ।

नये एक्ट (राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट, १६५६) के जारी होने तक प्रस्थापना (proposal) स्थगित रखा गया था । अब प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । उचित कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है ।

ग्राम पंचायत जोगीवाला के भूतपूर्व सरपंच द्वारा किए गये गबन में कार्यवाही

६१८. श्री लच्छूराम (मन्डावा) : क्या पंचायत मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, जोगीवाला, तहसील भादरा के चुनाव दिनांक ८-७-५६ को हो चुके थे, मगर भूतपूर्व सरपंच ने वर्त्तमान सरपंच को आज तक चार्ज नहीं दिया ?

(२) सरकार ने उपरोक्त चार्ज को दिलवाने में क्या कार्यवाही की है और भविष्य में इस संबंध में क्या करने का विचार है ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायत के भूतपूर्व सरपंच ने इस पंचायत की तमाम रकम व सामान का गबन कर लिया है ? सरकार ने इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(४) क्या सरकार उपरोक्त गबन के बारे में भूतपूर्व सरपंच पर मुकदमा चलायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) चार्ज के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने को कलेक्टर, गंगानगर को ५-११-५६ को व पुनः ३-२-६० को लिखा

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

गया। चार्ज न देने के कारण नये सरपंच ने फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, भादरा की अदालत में मुकदमा दायर करा दिया है। उसके फैसले की प्रतीक्षा है।

(ग) जांच से अभी गबन सिद्ध नहीं हुआ है। अतः सरकार द्वारा कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) अगर जांच से गबन आदि पाया जावेगा तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री लच्छूराम : आपने कलेक्टर को लिखा था कार्यवाही करने के लिये, तो क्या आपके पास वापिस सूचना आ गई कि कलेक्टर ने कुछ किया है, या नहीं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्योंकि मजिस्ट्रेट के यहां कार्यवाही चल रही है इसलिये कलेक्टर इसमें क्या करेगा?

बाईस गोदाम (जयपुर) के आस-पास की भूमि की अवाप्ति हेतु जारी किए गये नोटिस।

६१६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि जयपुर साउथ स्टेशन के नज़दीक बाईस गोदाम के आस पास कुछ भूमि अवाप्त करने का नोटिस जारी किया गया है? यदि हां, तो कब कब कितनी कितनी भूमि अवाप्त करने का नोटिस दिया गया? कृपया नोटिस की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(२) इस भूमि में कुल कितने क्षेत्रफल के खेत आते हैं? उन खेतों की सालाना उपज क्या है? क्या यह वही क्षेत्र नहीं है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में साग-तरकारी पैदा होकर जयपुर तथा दूसरे शहरों को जाती है?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ३५

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

तहसील हिन्डोन में बांध की पाल ऊंचा करना

२७-२-६० का स्थगित प्रश्नोत्तर

३५. **श्री उम्मेदीलाल** (करोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :-

(१) क्या यह सही है कि तहसील हिण्डोन में अगर बांध की पाल ऊंची कम होने के कारण हिण्डोन के दक्षिण और पश्चिम इलाकों के लिए नहर नहीं निकल सकती है?

(२) क्या सरकार इस बांध की १० फीट की ऊंचाई करने का इरादा रखती है? अगर हां, तो यह कब तक हो जायेगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री :
(श्री हरिश्चन्द्र)
(१) जी नहीं, अगर बांध की पाल

Page No.37

(श्री हरिचन्द्र)

जितनी ऊंची है उसी के भरने के लिये पर्याप्त पानी हर साल नदी में नहीं आता है अस्तु और ऊंची करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

दि० ७-३-६० का स्थगित प्रश्न
जयपुर में एम. एल. एज़. के लिए निर्मित बंगलों के निर्माण में खर्चा

२५५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर में एम. एल. एज़. बंगलों में अब तक कितने बंगले बने हैं तथा एक बंगले के निर्माण में कुल कितना रुपया सरकार का लगा है ?

(ख) क्या इसका निर्माण सरकार ने स्वयं करवाया है या ठेके से करवाया है ? यदि ठेके से करवाया है, तो कृपया बतावें कि एक बंगले के निर्माण का ठेका क्या था, तथा उसके बनाने की क्या शर्तें थीं ? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(ग) क्या सरकार को यह मालूम है कि उक्त क्वार्टर्स चूने लग गये हैं तथा दीवालों में नीचे तथा ऊपर अभी से सील पड़ गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) :(१) खर्च विवरण इस प्रकार है:

६ बी टाइप बंगले	२२,३०० रुपये	
२ बी टाइप बंगले	२८,६२३	रु०
४ ,, ,, ,,	२४,७४४	रु०
६ सी ,, ,,	१४,०००	रु०
४ सी ,, ,,	१८,७२७	रु०

(२) ठेके से। ठेकों का विवरण निम्न प्रकार है :

६ बी टाइप बंगले	१३,०३६	रु. प्रत्येक
२ बी ,, ,,	२२,२०५	रु. ,,
४ बी ,, ,,	२५,६२३	रु. ,,
६ सी ,, ,,	१२,२३६	रु. ,,
४ सी ,, ,,	१३,८६३	रु. ,,

शर्तों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) कुछ में सील आई थी उनकी मरम्मत करदी गई है।

(४)

टाइप आॅफ बंगले	नाम असिस्टेन्ट इन्जीनियर	नाम एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर
६ बी	श्री के. के. सरीन	श्री दुर्गाप्रसाद जैन
६ सी		श्री के. गोपीनाथराव
२ सी	श्री महेशचन्द्र शर्मा	श्री एस. एडवानिअप्पा
४ सी	,,	,,
४ बी	,,	,,

(५) इस प्रकार की सील पहली वर्षा में हो जाना स्वाभाविक है; ऐसी स्थिति में जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मुरलीधर व्यास: ठेके पर दिये गये लेकिन एक ही टाइप के बंगलों पर अलग अलग खर्चा क्यों हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र : अलग अलग समय पर बने हैं इसलिये ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने २२ हज़ार का खर्चा बताया उसमें सरकारी जमीन की कीमत भी शामिल है या खाली बिल्डिंग बनाने का यह खर्चा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : जो बंगले बने हैं उनकी कीमत बताई है ।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन क्वार्टर्स में पानी चूआ है उसका कारण क्या है ?

श्री हरिश्चन्द्र : एहेयर क्रेक होने के कारण ।

श्री मुरलीधर व्यास : जयपुर में सभी मकान बनते हैं क्या वे एक बार चूते हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : सभी नहीं चूए हैं, कुछ चूए हैं ।

दि० ८-३-६० के स्थगित प्रश्न

पंचायत समितियों द्वारा कृषकों की तकावी

२७२. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि कई पंचायत समितियां कृषकों की हालत को ध्यान में रख कर तकावी नहीं देती ?

(ख) क्या यह भी सच है कि लालसोट पंचायत समिति उन्हीं को तकावी देती है जो १० रु. एडवान्स कमीशन देते हैं ?

(ग) यदि हां, तो सरकार उपरोक्त समितियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगी और कब तक ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : आप इसकी जांच करवाएंगे तो मैं सबूत देने को तैयार हूँ ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : क्या फरमाया ?

श्री अध्यक्ष : आप जांच करावें तो ये सबूत दे सकते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जरूर करायेंगे ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : अश्रव्य ।

श्री अध्यक्ष : आप यह मान लीजिये कि ये सबूत देंगे ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : स्पेसिफिक केसेज़ बतायेंगे तो जरूर जांच करायेंगे ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि प्रदर्शनी दिल्ली का राजस्थान पेवीलियन

१. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(श्री भैरोंसिंह)

(क) क्या यह सही है कि कृषि प्रदर्शनी दिल्ली के राजस्थान पेविलियन में राज्य के कृषि विभाग की ओर से राजस्थान की कृषि सम्बन्धी बहुत ही कम तथा महत्वहीन सामग्री रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) यदि नहीं, तो कृपया कृषि विभाग की ओर से जो सामग्री रखी गई है उसके महत्व सहित एक पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) यह सही नहीं है।

(ख) विशेष विवरण संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

चित्तौड़गढ़ में सरकार द्वारा कृषि फार्म की स्थापना

२. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु.) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में कृषि फार्म सरकार द्वारा स्थापित है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) जब से यह फार्म स्थापित हुआ है तब से अब तक किस किस सन् में कितना कितना खर्चा किस किस निमित्त हुआ तथा कितनी कितनी आय किस सन् में किस किस प्रकार से हुई ?

(३) इस फार्म के पास कृषि हेतु कुल कितनी भूमि है और इस हिसाब से प्रति बीघा प्रति साल की औसतन आय क्या क्या हुई ?

(४) इस फार्म में कुल कितने छोटे-बड़े अधिकारी (कर्मचारी) काम कर रहे हैं और उनकी क्या क्या शैक्षणिक योग्यता, अनुभव है और प्रत्येक की कितनी कितनी तनख्वाह है ?

उत्तर

(१) जी हां। फार्म की स्थापना जून १९५३ में हुई है।

(२) सूचना संलग्न तालिका (अ) में है।

(३) फार्म का क्षेत्रफल १०२ एकड़ है। इसमें १९५९-६० तक ४० एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई गई है। इस साल में औसतन आय कृषि योग्य भूमि में १८१) रु. प्रति एकड़ हुई।

(४) सूचना तालिका (ब) में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों से गेहूँ की खरीद

३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या खाद्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) सरकार ने कुल कितना गेहूं कहां कहां किस भाव में अब तक खरीदा है ?

(२) कुल अनाज की खरीद में सरकार का कितना रुपया लगा ?

(३) जो अनाज खरीदा गया वह किसके मार्फत खरीदा गया ?

(४) क्रय-विक्रय समिति को सरकार ने कितना रुपया दिया व उसने कितना अनाज खरीदा और बेचा ?

Page No.40

(श्री मुरलीधर व्यास)

(५) क्या सरकार खरीद के गेहूं को वितरण कराने में मुनाफा लेना चाहती है ?

उत्तर

(१) सरकार ने सन् १६५६-६० में ३१-१-६० तक ३,६२,३६३ मन गेहूं भिन्न भिन्न जिलों में जिसके विवरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है, खरीदा। गेहूं की खरीद की कीमतें जो सरकार ने दी हैं वे यह हैं :–

फार्मी गेहूं १५ रु० प्रति मन

सफेद गेहूं १४ रु० प्रति मन

लाल गेहूं १३ रु० प्रति मन

(२) अनाज की खरीद में अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार ४५,४४,४६० रुपया लगा है।

(३) अनाज या तो राज्य सरकार द्वारा सीधा खरीदा गया था या राज्य सरकार की ओर से राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ की मार्फत खरीदा गया था।

(४) संघ को सरकार ने १० लाख रुपयों का कर्जा दिया है और संघ ने १,०३,३५६ मन गेहूं खरीदा है। अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार संघ के खरीदे गेहूं में से ३८,२५७ मन गेहूं बेचा जा चुका है।

(५) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करता हूँ कि श्री हीराभाई ने ४ मार्च से १५ मार्च तक विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सभा की राय है कि उनको अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति (बिजनेस एडवाइजरी कमेटी) के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं और यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव उपस्थित हुआ।

(विराम)

क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

१२.२७ म० प०

Page No.41

(श्री सूबेदारसिंह)

मांग संख्या १६–चिकित्सा

(अग्रेतर वाद–विवाद)

मांग संख्या १६ पर बहस हो रही थी। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर समय काफी लिया जा चुका है पर अब भी कुछ सदस्य रह गये हैं जिनके कटौती प्रस्ताव बाकी हैं। अब इस पर १ घंटा बहस होगी। अब अगर प्रत्येक पर थोड़ा थोड़ा समय लेंगे तो सारे माननीय सदस्यों को जिन्होंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, बोलने का मौका मिलेगा और उसके बाद १॥ बजे के बाद मंत्रीजी उत्तर देंगे।

[उपरोक्त मांग पर निम्नलिखित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए। :

श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह प्रस्ताव करेंगे:—

(५६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (सदर हॉस्पिटल, धौलपुर में एक बेड्स (Beds) न बढ़ाने पर बहस करने हेतु)

(६०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर सदर हॉस्पिटल की X Ray की मशीन की खराबी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द प्रस्ताव करेंगे:—

(६४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (छाया खण्डों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर या डिस्पेन्सरी न खोलने पर विचार करने हेतु)

(६५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (जालोर जिले के छाया खण्डों में चिकित्सा की कोई सुविधा न होने पर विचार करने हेतु)

(६६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा दवाइयों के बेचने वालों पर लाइसेन्स का प्रतिबन्ध होने के कारण जनता की असुविधा पर विचार करने हेतु)

(६७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (जिला जालोर की सांचोर तहसील हैड क्वार्टर पर मेटर्निटी होम खोलने पर विचार करने हेतु)

श्री सोहनलाल भटनागर प्रस्ताव करेंगे:—

(७२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर में मेडीकल कॉलेज खोलने पर बहस करने हेतु)

(७३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (सलूम्बर में डिस्पेन्सरी भवन के अभाव पर विचार करने हेतु)

(७४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (टी० बी० अस्पतालों में बैडस (Beds)

(श्री सोहनलाल भटनागर)

की कमी व मरीजों को भर्ती करने में अनियमितता पर बहस करने हेतु)

श्री प्रभुलाल पुरोहित प्रस्ताव करेंगे:–

(७८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १००) रु० की कटौती की जाय (लालसोट डिस्पेन्सरी के बजट वृद्धि पर बहस करने हेतु)

श्री चन्द्रसिंह प्रस्ताव करेंगे:—

(८३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (बरड़ौद चिकित्सालय में औषधि सप्लाई की कमी पर वाद–विवाद करने हेतु)

श्री भैरोंसिंह (१४) प्रस्ताव करेंगे:—

(८४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (हॉस्पिटल में दवाइयों की खरीद में की जाने वाली अनियमितताओं पर विचार करने हेतु)

(८५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (हॉस्पिटलस् में डॉक्टर्स की नियुक्तियों में सामान्य नियमों के उल्लंघन पर विचार करने हेतु)

(८६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–मेडीकल में १) रु० की कटौती की जाय (होस्पीटलस में कार्य करने वाली Nurses को इनके समानान्तर वेतन पाने वाले कर्मचारियों के अनुसार मंहगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं न मिलने की स्थिति पर विचार करने हेतु)

(८७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (जनाना हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या के अनुपात में बजट में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार करने हेतु)

(८८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (विभाग द्वारा Pharmacies के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर विचार करने हेतु)

(८९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (आयुर्वेद विभाग में वैद्यों के वेतन स्तर पर विचार करने हेतु)

श्री किशनलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे:—

(९२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (नाथद्वारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों के अभाव पर बहस करने हेतु)

श्री हरिप्रसाद यादव प्रस्ताव करेंगे:—

(९३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (धरियावाद डिस्पेन्सरी में डॉक्टरों के अभाव पर बहस करने हेतु)

(९४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (भूपालसागर में लेडी डॉक्टर के अभाव पर बहस करने हेतु)

श्री सम्पतराज जैन प्रस्ताव करेंगे:—

Page No.43

(श्री सम्पतराज जैन)

(६५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले के अस्पतालों में औषधियों की कमी व मन्जूर शुदा बजट की औषधियां समय पर न पहुँचने पर बहस करने हेतु)

(६६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जाय (झालावाड़ जिले में चिकित्सा के साधनों की कमी पर बहस करने हेतु)

श्रीमती सुमित्रा देवी प्रस्ताव करेंगी :-

मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा में १) रु० की कटौती की जावे (झुडानियां में औषधालय का भवन खाली पड़ा है इस पर वाद-विवाद करने हेतु)]

श्री सूबेदारसिंह (बाडी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि धौलपुर में सदर हॉस्पिटल में बैड्स बढ़ायें जायं। प्रजातंत्र में सरकार का जहां यह काम है कि समाज का आर्थिक स्तर किस प्रकार से ऊंचा हो वहां साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि जनता का स्वास्थ्य भी चिकित्सा के द्वारा किस प्रकार से ऊँचा किया जा सके। इसी कारण हमारी सरकार ने राजस्थान के कोने कोने में, कस्बों और गांवों में जगह जगह अस्पताल खोलने की व्यवस्था की है। यही नहीं; बल्कि गांवों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोल कर चिकित्सा द्वारा जन संख्या को लाभ पहुंचाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है। वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में बताया था कि कुछ स्थानों पर जैसे सीकर, झुन्झुनूं, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, ब्यावर आदि स्थानों पर बैड्स बढ़ाये हैं। अध्यक्ष महोदय, उसको देख कर मुझे कुछ ख्याल धौलपुर के बारे में हुआ। धौलपुर सब-डिविज़न की आबादी ४ लाख की है। उसमें एक ही अस्पताल है जहां पर ६० बैड्स हैं। गांवों के मरीज़ जब बीमार होकर शहर में आते हैं तब वे बड़ी चिन्ता में पड़ जाते हैं, उनको एडमिशन नहीं; मिलता क्योंकि उनके लिये सिर्फ ६० सीट्स हैं। मरीज़ इतने ज्यादा आते है कि बरामदे भर जाते हैं और इसी कारण से जनता को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलता है। यही नहीं जहां तक महिलाओं का सवाल है प्रसूति-काल के लिये कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जहां महिलाएं जा सकें। इसलिये वे बेचारी मारी मारी फिरती है। इस प्रकार से मरीज़ों के लिये धर्मशालाओं में, मन्दिरों में या किसी और जगह ठहरने की इजाजत नहीं है। वे लोग ठहरना चाहते हैं लेकिन ठहरने की जगह नहीं है। जब हम बरामदों में भरे हुए मरीजों को देखते हैं तो अवश्य महसूस होता है कि एक ओर जयपुर जैसे शहर में जहां की आबादी ५ लाख है. हो सकता है उसके आसपास १०-२० माइल इधर उधर से मरीज आते हों लेकिन इनके लिये चिकित्सा की बहुत अच्छी व्यवस्था है और दूसरी तरफ धौलपुर का अस्पताल है यहां पर डिस्ट्रिक्ट भर में सिर्फ एक ही अस्पताल है और उसमें भी पूरी जगह नहीं है, यह सोचने की बात है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मरीज इतने आते हैं कि बरामदे भर जाते हैं, मन्दिरों और धर्मशालाओं में जगह नहीं मिलती इसलिये इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिये। साथ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो सुन्दर हॉस्पिटल है, उसके साथ जनाना अस्पताल और है। राजस्थान जिस वक्त बना था उस वक्त जनाना अस्पताल और इस अस्पताल, दोनों में मिलाकर १५०

Page No.44

(श्री सूबेदारसिंह)

बैड्स थे। इस प्रकार आज १५० बैड्स होते तो हमारा अस्पताल बी ग्रेड में होता और इस नाते वहां सरकार अधिक खर्च करती और अधिक खर्च करने से जनता को अधिक लाभ पहुँचता। किन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे विभाग के जो टेक्निकल व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ कर इस हॉस्पिटल के दो टुकड़े कर दिये, एक मरदाना हॉस्पिटल और एक जनाना हॉस्पिटल। एक में ६० बैड्स रह गये और एक में ६० बैड्स रह गये और इस प्रकार यह हॉस्पिटल बी ग्रेड के बजाय 'सी' ग्रेड में रह गया और जो खर्चा सरकार को करना चाहिए था वह नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि दोनों अस्पताल एक एरिया में बने हुए हैं, इन दोनों की बिल्डिंग मिली हुई है, एक जगह है, इसलिए उनको एक कर दीजिये। इसके साथ ही साथ यहां पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मरीज़ हज़ारों की तादाद में आते हैं। अगर देखा जाय तो वहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, बरामदा भरा हुआ रहता है। इसलिए सरकार को निश्चित् रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि धौलपुर राजस्थान के एक सिरे पर है, जहां से जयपुर आना बड़ा मुश्किल है और भरतपुर भी आना चाहें तो आगरा होकर आना पड़ेगा। वहां के मरीज़ अगर आगरा जाते हैं, ग्वालियर जाते हैं तो वहां उनको एडमिशन नहीं मिलता। क्या ही सुन्दर हो, जब आप इस विभाग पर इतना रुपया खर्च करते हैं, जगह जगह बैड्स बढ़ा रहे हैं, [तो धौलपुर के हॉस्पिटल में बैड्स बढ़ाने की ओर ध्यान दें ?

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव धौलपुर सदर हॉस्पिटल की एक्स-रे की मशीन की खराबी से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि मशीन खराब होती है और ठीक भी होती है लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक्स-रे की मशीन राजस्थान बनने के बाद नहीं ली गई, धौलपुर रियासत, भूतपूर्व राज्य के जमाने से चली आ रही थी, वह ठीक काम करती थी। यदि कभी मशीन खराब हुई भी तो एक मशीन की कम्पनी को कॉन्ट्रेक्ट दे रखा था, उसको एक टेलीग्राम किया या टेलीफोन कर दिया। और आदमी दिल्ली से आकर, आठ दस घंटे के अन्दर आकर, २४ घंटे के अन्दर अन्दर मशीन को ठीक कर देता था। उसके जरिये मरीजों को लाभ मिलता था और डॉक्टरों को सुविधा होती थी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि राजस्थान सरकार ने इस प्रकार के कॉन्ट्रेक्ट को तोड़ कर एक टैक्निशियन को रख दिया। मैं निवेदन करूं कि वह मशीन दो अगस्त, १९५९ को खराब होती है। वहां से एकदम टेलीग्राम दिया जाता है, टेलीफोन किया जाता है और उसके उत्तर में यहां से डाइरेक्टर साहब ने टेलीग्राम कर दिया कि टैक्निशियन जल्दी पहुँच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि छः महीने हो जाते हैं लेकिन वह टैक्निशियन धौलपुर में नहीं पहुंचता है। उस अस्पताल में २५-३० फ्रेक्चर के केसेज़ रोज आते हैं। जहां इस प्रकार के मरीज आते हैं, वहां की हालत देखिये कि किस प्रकार दर्दनाक हो जाती है। गरीब मरीजों के पास साधन न होने के कारण उनकी उल्टी सीधी हड्डी जुड़ जाती हैं और कुछ लोगों को एडमिट नहीं किया जाता है, वे अपने घर लौट जाते हैं।

(श्री सूबेदारसिंह)

हां, चन्द ऐसे अमीर आते हैं तो कार में बैठ कर आगरा चले जाते हैं और वहां से फॉटो करवा कर ले आते हैं और फिर भर्ती हो जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उस टैक्निशियन के पीछे, उसके बैकिंग पर कौनसी शक्ति है कि छः महीने हो जाते हैं फिर भी वह वहां नहीं पहुंचता है ? वहां से टेलीग्राम किये जाते हैं, टेलीफोन करते हैं, यहां से डाइरेक्टर महोदय ऑर्डर करते हैं, वहां पर वह ऑर्डर पहुंच जाता है कि टैक्निशियन आ रहा है लेकिन वह छः महीने तक नहीं जाता। या मैं समझता हूं कि ये टैक्निशियन शहर के अन्दर और टैक्निकल बातों में लगे रहते होंगे, इसलिए फ़ुर्सत नहीं मिलती होगी, या इतना काम होगा कि धौलपुर की तरफ नहीं जाने दिया जाता। मेरा निवेदन है कि अब तो मशीन ठीक हो गई है। किन्तु मैंने इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि उस हॉस्पिटल में कितने मरीज़ एडमिट हुए, कितने मरीज़ वहां से निकले, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। अगर जवाब मिलता तो मालूम होता कि कितनी सोचनीय स्थिति है। वहां हजारों मरीज़ आये लेकिन इस मशीन के खराब होने से वे वापिस चले गये, उनकी क्या दशा होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो टैक्निशियन रखा जाय, वह टेलीफोन मिलते ही, टेलीग्राम मिलते ही सरकारी वाहन से वहां जाकर व्यवस्था करे, मशीन को ठीक करे। अगर यह व्यवस्था न हो तो क्या सरकार को गरीब लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करना है कि वह छः-छः महीने तक वहां न जाय, इससे किस तरह फायदा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव पेश करके अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री हीरा भाई।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा विभाग की मांग पर मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला, "छाया खंडों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर या डिस्पेन्सरी न खोलने पर विचार करने हेतु" है, दूसरा "जालोर जिले में छाया खंडों में चिकित्सा की कोई सुविधा न होने पर विचार करने हेतु" है, तीसरा "विभाग द्वारा दवाइयों के बेचने वालों पर लाइसेन्स का प्रतिबन्ध होने के कारण जनता की असुविधा पर विचार करने हेतु" है और चौथा "जिला ज़ालोर की सांचोर तहसील हैडक्वार्टर पर मेटर्निटी होम खोलने पर विचार करने हेतु" है।

अध्यक्ष महोदय, आज छाया खंडों की स्थिति यह हो गई है कि वहां चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं हो रहा है। यहां तक कि जसनपुरा की समिति ने सरकार के पास इस तरह का आवेदन भेजा था कि माडवली में बिल्डिंग तैयार है, वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोला जाय। इसके साथ ही रायसिंह की जनता ८० हज़ार का कलेक्शन करके देने को तैयार है किन्तु आपके डाइरेक्टर का १४-१-६० को पत्र मिला कि छाया खंडों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने का, जैसे कि ब्लॉक एरिया

(श्री लक्ष्मीचन्द)

में डिस्पेन्सरी खोलते हैं, का प्लान में प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि चिकित्सा के सम्बन्ध में छाया खंड बिना चिकित्सा के रहेंगे। मैं समझता हूं कि या तो मंत्रीजी सोचते हैं कि जो शेडो ब्लॉक्स हैं वहां बीमार नहीं होते हैं, या वहां पर जनता रहती नहीं है, या सरकार को वहां की जनता के स्वास्थ्य की चिन्ता ही नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का निर्णय लेना वहां की जनता के साथ सरकार के द्वारा सौतेला बर्त्ताव करना है। अगर आप वहां की जनता को जनता मानते हैं तो जो शेडो ब्लॉक्स हैं, वहां की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे स्वास्थ्य विभाग का कर्त्तव्य है। आज जो सरकार है उसको चलाने वाली जनता है, सरकार के हुक्म को मानने वाली जनता है, सरकार को सुरक्षा में रहने वाली जनता है वह जनता अपने स्वास्थ्य का प्रबन्ध करवाना चाहती है। उस जनता के लिए आप शेडो ब्लॉक्स में चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं कर सकते, उन को स्वास्थ्य की सहूलियतें नहीं दे सकते हैं तो आप लोग इस प्रकार प्लान के अन्दर रवैया रख कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, यह न्यायसंगत बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जालोर जिले की जनता आठ लाख रुपये का द्रव्य खर्च करने को तैयार है। मोरसिंह में अस्पताल की बिल्डिंग बनवाई है। दासव, रामसिंह, माडवली में ऐसे ऐसे लोग हैं जो होस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन शेडो ब्लॉक्स के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि शेडो ब्लॉक्स में सरकार चिकित्सा के बारे में व्यवस्था नहीं करेगी या जनता के स्वास्थ्य का किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं करेगी चाहे वहां के लोग बीमार हों या तन्दुरुस्त हों, हमारी सरकार कोई चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं करेगी। इस प्रकार जो द्रव्य वहां की जनता द्वारा व्यय होने जा रहा है, स्वास्थ्य के नाम पर लोग खर्च करना चाहते हैं, सरकार इस प्रकार की नीति से उसको बन्द कर देगी। जब तक उस एरिया को ब्लॉक डिक्लेअर नहीं करते हैं तब तक वहां की जनता स्वास्थ्य रक्षा किये बगैर रह जायेगी। जब वहां जनता डिस्पेन्सरी बनवाना चाहती है, ६०, ७० हज़ार का प्लान है डिस्पेन्सरी का, जो आपका एप्रूव्ड नक्शा है उसके माफिक डिस्पेन्सरी की बिल्डिंग बनाने को तैयार है तो स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आपके विभाग को वहां डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिये। अगर इसके लिए आपके प्लान में प्रोविज़न नहीं है तो आपको प्रोविजन करना चाहिये। जो आपने पॉलिसी अख्तियार की है कि ब्लॉक एरिया में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलेंगे तो शेडो ब्लॉक की ६०,७० हजार की पोपुलेशन है वहां क्या इस व्यवस्था से लोग वंचित रहेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन के अन्दर स्वास्थ्य को प्रथम सुख माना जाता है। अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा सरकार नहीं करेगी तो क्या वे लोग उन्नति कर सकते हैं? वे उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए वहां पर डिस्पेन्सरी खोलनी चाहिये, चाहे आपको खर्च क्यों न करना पड़े। इसके अलावा खर्च की सरकार को चिन्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार और कामों के लिए टैक्स लगा कर प्रोविजन करते हैं उसी प्रकार स्वास्थ्य की रक्षा करने की सहूलियत लोगों को देना

(श्री लक्ष्मीचन्द)

सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है। जहां लोग इस ओर उत्साहित हैं उनको सरकार को उत्साहित करना चाहिये, जहां लोग ६०—७० हज़ार की बिल्डिंग बनाने के लिए खर्च बर-दास्त करने के लिए तैयार हैं, डिस्पेन्सरी बनाने के लिए तैयार हैं तो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने में कोई विशेष आपका खर्चा नहीं होने वाला है, इसलिए वहां डिस्पेन्सरी खोलें। इसके साथ ही साथ एड—पोस्ट भी जगह जगह खोलने चाहिये। जहां पर पंचायत का सेन्टर हो, वहां एड। पोस्ट होना चाहिये, जिससे कम्पाउन्डर वहां पटवार क्षेत्र में मामूली दवायें डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है। अगर जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे तो उससे आप कुछ उम्मीद भी कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो आप जनता से क्या उम्मीद कर सकते हैं ?

दूसरा, दवाओं के विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्राइमरी हैल्थ सेन्टर एक ब्लॉक में खोलेंगे। इसके साथ ही साथ छोटी मोटी दवायें भी गांवों के अन्दर मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके लिए लाइसेन्स लेना जरूरी होता है। जहां डिस्पेन्सरी होती है वहां तो लाइसेन्स मिल जाता है लेकिन और गांवों के अन्दर जो कुनेन की गोलियां, सिबाजोल की गोलियां, मामूली दवायें बेचता है, जिसकी साल भर में मुश्किल से १० रुपये की बिक्री होती है वहां जब वेक्सीनेटर जाता है, डॉक्टर जाता है, वह कहता है कि तुम कुनैन की गोलियां बेचते हो इसलिये तुम्हें पुनिशमेंट दिया जाता है, यह कहा जाता है तुम ये दवायें नहीं बेच सकते। गांवों में डॉक्टर नहीं होता। अगर किसी को बुखार आ जाय तो सरकार के द्वारा वहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, ऐसी डिस्पेन्सरी का प्रबन्ध नहीं है इसलिये अगर किसी को मामूली बुखार हो तो मामूली गोलियां लेकर वह आराम पा सके। लेकिन जो गोलियां बेचता है उसको परेशान किया जाता है। अगर गांव में कोई इंजेक्शन बेचता हो तो एक बात है लेकिन जो गोलियां बेचता है उसको परेशान किया जाता है; जब कि इन गोलियों से इमीजियेटली फायदा हो सकता है। अगर किसी गांव में किसी को बुखार आ जाता है तो वह दवा के लिए सांचोर आ नहीं सकता। अगर उसी गांव में कोई गोलियां बेचता है तो वह पकड़ा जाता है, उसको कहा जाता है तुम मेडिसन क्यों बेचते हो ? अगर वह सांचोर तक नहीं पहुँच सकता है। जिससे उसको रिलीफ नहीं मिल सकता है। इसलिए सरकार का फर्ज है कि वह हर गांव में डिस्पेन्सरी खोले क्योंकि जो दवाइयां बेचने वाले होते हैं उनको इतना ज्ञान तो नहीं होता है कि किसी बीमारी में कौनसी दवाई दी जाय। साधारण दवाई, साधारण गोलियां बेचने में तो कोई ऐसी बात नहीं है। साधारण गोलियां रखें तो उससे किसी आदमी को उस वक्त जरूर रिलीफ मिल सकता है।

मेटर्निटी होम के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सांचोर में मेटर्निटी होम नहीं है, औरतों के डिलीवरी होती है तो वहां किसी प्रकार का प्रबन्ध नहीं होता है तो इस प्रकार तो सरकार के दृष्टिकोण में फर्क है। आदमियों के लिये और दृष्टिकोण है कि आदमियों के लिये तो प्रबन्ध है और औरतों के लिये इस प्रकार का कोई प्रबन्ध सरकार की ओर से नहीं है। यह दोनों के लिये

(श्री लक्ष्मीचन्द)

अलग अलग दृष्टिकोण क्यों ? औरतों को भी समान रूप से सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है । औरतों के लिये भी हर तहसील में एक बच्चाखाना खोल दिया जाना चाहिये । पुराने जमाने में तो डिलीवरी कराने वाली बुढ़ी औरतें होती थीं । वे इस कार्य में होशियार होती थीं पर वे पुरानी तो गुज़र चुकी हैं और जो नई हैं उनको एक्सपीरियेन्स नहीं । इस कारण से बच्चे मर जाते हैं और कई दिनों तक उनको बीमारी भुगतनी पड़ती है । इसलिये मेरा निवेदन है कि सांचोर में एक मेटर्निटी होम खोल दें ।

सांचोर में एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोला गया वह तो कागजों में ही खोला गया है, वह कागजों में ही दौड़ रहा है, खुला नहीं है । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि मेरे चार कटौती प्रस्ताव हैं उन पर सरकार वचार करेगी और जल्दी से जल्दी उचित नर्णय लेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय अध्यक्ष, इसमें मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं । पहला है उदयपुर में मेडीकल कॉलेज खोलने हेतु । माननीय अध्यक्ष, आये दिन सदन में सबसे बड़ी बात जो कही जाती है वह डॉक्टरों की कमी के बारे में है । हॉस्पिटल्स इन अर्बन एरिया २६४ और इन रूरल एरिया १६२ हैं और जन संख्या के हिसाब से पचास-साठ हजार के पीछे एक डॉक्टर रहता है ! डॉक्टर्स अर्बन एरिया में ज्यादा हैं और रूरल एरिया में कम हैं । सबसे बड़ी प्लानिंग की बात है कि डॉक्टरों की इस कमी को दूर किया जाय । प्रथम और द्वितीय ,पंचवर्षीय योजना बनाते वक्त हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि कितने डॉक्टर्स परसोनल होने चाहिये इसीलिये हालांकि हमारे पास पैसा काफी था हम वह पैसा खर्च नहीं कर सके । जैसा कि एक्सप्लेनेशन में लिखा है :

"Decrease in revised estimates 1959-60 is due to vacant posts of doctors and other technical staff which could not be filled in on account of non-availability of trained staff."

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कोरम पूरा नहीं है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : इस दृष्टिकोण से बिलकुल साफ है कि हमारे यहां मैडिकल कॉलेजेज की कमी है । एक जयपुर में है और दूसरा बीकानेर में खोला है । तृतीय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये अभी से विचार नहीं करेंगे तो यह डॉक्टरों की कमी यों की यों ही बनी रहेगी । तृतीय पंचवर्षीय योजना में यदि कॉलेज़ खोलेंगे तो चौथी प्लान में जाकर वे लोग काम कर सकेंगे अब प्रश्न यह रह जाता है कि कौनसा ऐसा स्थान होगा जहां यह मेडिकल कॉलेज खोलें । प्रथम यहां कॉलेज है, दूसरा बीकानेर में खोला गया । हॉस्पिटल्स, बैड्स की संख्या आदि को देखते हुए मेरे खयाल से उदयपुर ही उपयुक्त स्थान है और मैं सरकार का ध्यान उदयपुर की इस उचित मांग की तरफ आकर्षित करता हूं ।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है, जैसा कि मैंने अर्ज किया ज्यादातर अर्बन एरिया की

Page No.49

(श्री सोहनलाल भटनागर)

तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है, रूरल एरिया का ध्यान नहीं रखा जाता। इसी तरह इक्विपमेंट अस्पतालों की बिल्डिंग्स का बजट देखेंगे तो रूरल एरिया में छोटे टाउन्स में एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा रहा है जब कि अर्बन एरिया में लाखों रुपया खर्च किया जाता है। इसलिये सरकार से मांग की है कि सलूम्बर में डिस्पेन्सरी रेन्टल बिल्डिंग में चल रही है उसके लिये भवन बनाया जाय।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है टी. बी. के मरीजों व उनके लिये अस्पतालों में बैड्स के सम्बन्ध में। राजस्थान में कुल ३०८ बैड्स टी. बी. के मरीजों के हैं और टी. बी. के पेसेन्ट्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। टी. बी. सेनिटोरियम वगैरह में मरीजों को नहीं भेजते हैं तो यह बीमारी और अधिक बढ़ती है और अधिक फैलती है। ऐसी दशा में यह जो ३०८ बैड्स की संख्या है वह बहुत कम है। बैड्स की संख्या में कमी होने के साथ साथ भर्ती करने के प्रश्न में बड़ी गड़बड़ियां होती हैं। जो लोग गरीब होते हैं उनको ६-६ महीनों तक, ८-८ महीनों तक भर्ती नहीं किया जाता है और जिनकी सिफारिश होती है वे जल्दी भर्ती कर लिये जाते हैं इसलिये टी. बी. के बैड्स में वृद्धि की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती प्रस्ताव मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८ पर है। तहसील लालसोट में केवल कस्बे में एक अस्पताल है और उस अस्पताल में मरीजों की माहवारी औसत १० हजार के लगभग है। चार बैड्स का प्रबन्ध है, काफी अर्से बाद अब एक योग्य डॉक्टर वहां पहुँचे हैं, दो कम्पाउन्डरों में से एक कम्पाउन्डर तो दिन भर लिखा-पढ़ी का काम करता रहता है, एक बुढ़िया क्रेक माइन्ड नर्स है जो स्वभाव वश मरीजों से उलझ पड़ती है और निरर्थक वाद-विवाद करके कभी जनता को और कभी सरकार को बुरा भला कहती है। सरकार के अधिकारियों को कई मर्तबा कहने के बावजूद भी ट्रेन्ड मिड्वाइफ की व्यवस्था नहीं की गई है। स्त्रियों के प्रसवकाल के समय यह अभाव बहुत खटकता है। अस्पताल के मरीजों की संख्या को और रोज की जरूरी दवाओं को देखते हुए वहां दवाइयों की बहुत कमी रहती है, डॉक्टर द्वारा जो इन्डेन्ट डी. एम. एच. ओ. को दिया जाता है वह थोड़ी बहुत हेर फेर के बाद मंजूर हो जाता है लेकिन स्टोर से जब दवा लेने को आदमी पहुंचता है तो आधी से ज्यादा दवाइयों को स्टोर कीपर कम कर देता है और कहता है ये दवाइयां स्टोर में मौजूद ही नहीं हैं....

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ा है क्या वक्तव्य आपका ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : हां साहब, थोड़ा बड़ा है।

स्टोर में मौजूद नहीं हैं तब कहां से दें ? और यह इन्कारी जरूरी दवाओं के लिये होती है, गैर जरूरी दवाइयां आवश्यकता से अधिक दे दी जाती हैं, जो व्यर्थ में नष्ट होती हैं या किसी न किसी रूप में डॉक्टर उसका उपयोग करते हैं। दवाओं का जो

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

कोटा दिया जाता है उसमें इन्जेक्शनों का तो पूर्ण अभाव रहता ही है, कभी कभी कागज का पेटा भरने के लिये साल भर में दो सौ ४०० मामूली इन्जेक्शन्स दे दिये जाते हैं वे भी गरीबों के काम में नहीं आते। बल्कि मामूली बुखार वाले मरीज से २) रु० लेकर इन्जेक्शन लगाये गये हैं। सबसे मामूली चीज, पट्टियों की भी कमी रहती है। फोड़े फुन्सी के मरीज भी बाज़ार से पटिटयां खरीद कर लाते हैं तब बैण्डेज होता है। औषधियों के अभाव के कारण डॉक्टर अधिकतर शीशियों में गंगाजल का उपयोग करके घास काटते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर को सर्जरी करने के लिये औजार भी पूर्णत: अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं। मामूली ऑपरेशन के लिये भी डॉक्टर को अपनी इज्जत रखने के लिये गांठ के पैसों से औजार खरीद कर काम चलाना पड़ता है।

आप लोगों को जान कर यह आश्चर्य होगा कि औज़ार और यन्त्रों के अभाव में भी लालसोट के एक भूतपूर्व डॉक्टर निहालसिंह ने बड़े २ सफल ऑपरेशन किये हैं। तब सब मरीज़ उसके पास ही आते थे और चार सौ या पांच सौ हुए। लेकिन सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। कुछ कुछ सर्जरी के लिये आवश्यक औज़ार और यन्त्रों की भी आवश्यकता होती है।

बजट को देखने से मालूम होता है कि लाखों और करोड़ों रुपया इस विभाग पर खर्च होता है और इसका लाभ अधिकतर शहर के रहने वालों को मिलता है। भारत की अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है लेकिन उन गांवों के तहसील हैड क्वार्टर पर भी दवाइयों का पूर्ण प्रबन्ध न होना गांव के निवासियों का दुर्भाग्य ही कहा जायगा। इस इलाके में से अनेक असाध्य बीमार शल्य चिकित्सा के लिये लालसोट आते हैं, लेकिन बैड्स की पूर्ण व्यवस्था न होने के कारण उन गरीबों को अस्पताल के फर्श पर पड़े रह कर दुख के दिन काटने पड़ते हैं। अत: इस प्रकार के अभावों की पूर्ति सरकार ने अभी तक नहीं की है और सरकारी यंत्र की अव्यवस्था के कारण चिकित्सा के प्रबन्ध में सरकार असफल रही है इसलिये निर्धारित बजट में से १००) की कटौती रु० की जावे।

अगर सरकार इस अव्यवस्था को दूर करके लालसोट अस्पताल में दवाइयों का, औजारों और यन्त्रों का, बैड्स का और मिडवाइफ का निकट भविष्य में आवश्यकता के अनुसार पूर्ण प्रबन्ध करने का आश्वासन दे तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्रसिंह यादव (बहरोड) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १६, मुख्य शीर्ष ३८-चिकित्सा में १) की कटौती की जाय (बरड़ोद चिकित्सालय में औषधि सप्लाई की कमी पर वाद विवाद करने हेतु)

अध्यक्ष महोदय, यह हॉस्पिटल एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां पर काफी आबादी में लोग रहते हैं और तकरीबन वहां पर ७ या ८ लाख की आबादी है जहां के लोग यहां पर आते हैं लेकिन वहां पर दवाइयों का जो सिलसिला है वह ऐसा है, उसमें अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता

(श्री चन्द्रसिंह यादव)

कि कल की दवाइयों की जो लिस्ट पड़ी दवाइयें हैं और उसमें इंजेक्शन्स भी हैं। लेकिन जब भी वहां पर जावें वहां पर टिन्चर आइडीन के सिवाय कारमिनेटिव मिक्श्चर मिलेगा। चाहे वह मरीज़ किसी भी बीमारी का क्यों न हो और चाहे वह दवा उस मरीज पर काम करे या न करे। इसके अलावा डॉक्टरों ने बड़ा अजीब तरीका अपनाया है। अव्वल तो दवाइयें कम मिलती हैं और मिलती हैं तो कहते हैं कि भाई इस मर्ज पर तो इंजेक्शन लगेगा। वह बाहर की दूकान पर मिलता है उससे जाकर ले आओ। तो अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सिलसिला है कि जैसा कि किसी वक्त में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि इन्सानों में सबसे होशियार कौम कौन है? तो बीरबल कहता है कि बनिया सबसे ज्यादा होशियार है। बादशाह ने कहा कैसे ? तो बीरबल ने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। उसने बादशाह को बताया और एक दिन सारे के सारे बनियों को बुलाया और कहा कि एक छोटा सा तालाब है, कल सब इसमें एक एक लोटा दूध डाल देना। अध्यक्ष महोदय, जो भी बनिया था उसने यह सोचा कि इतने बड़े तालाब में एक लोटा पानी का दूध में मिल जायगा और कोई पता नहीं लगेगा। इस प्रकार से सब के सब बनियों ने सोचा और एक एक लोटा पानी का उस तालाब में डालते गये। दूसरे रोज बादशाह को दिखाया गया कि वह तालाब पानी से भरा है और दूध की एक बूंद भी नहीं। बादशाह ने कहा कि यह क्या तब बीरबल ने कहा कि हर बनिये ने यह सोच लिया कि सब लोग दूध डालेंगे तो एक लोटा पानी उसमें न मालूम कहां चला जायगा। यही ठीक चीज़ यहां हॉस्पिटल में चल रही है। कल और आज की सब डिबेट है उसम सब ने यही जाहिर किया है कि कहीं दवाइयें नहीं तो कहीं बेड्स नहीं हैं तो कहीं कुछ चीज़ नहीं है। मैं यह कहूंगा कि आज ये सारी की सारी चीजें ऊपर से नीचे तक उतर आती हैं। ऊपरवालों ने बताया कि दवाइयों में घोटाला हो गया। कुछ दवाइयें तो वहीं से कम चलती हैं फिर हॉस्पिटल में दवाइयें आती हैं तो नीचे वाले डॉक्टर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को खुश रखने के लिये, प्रभावशाली व्यक्तियों के लिये प्रयोग करते हैं। अच्छे इंजेक्शन होते हैं तो उनके लिये काम में लेते हैं। बीमार तो सभी घरों में होते ही हैं और ऐसे बड़े लोगों के घरों में ज्यादा बीमार होते हैं। अतः वे दवाइयें उनके घरों में जाती हैं और मैं यह अर्ज करता हूं कि उन गरीबों को नहीं मिलती, यह आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में गरीबों को एडमिशन नहीं मिलता और यदि एडमिशन मिल जाए तो फिर दवाई के नाम पर भगवान् का नाम लो। मैंने आपसे कहा कि वहां पर सिर्फ तीन चीज मिलती हैं। एक तो फोड़े फुन्सी होते हैं तो उसके लिये बोरिक एसिड से मरहम जो सबसे सस्ता आता है और आप उसका बजट देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह चार आना या ६ आना पौंड मिलता है। यह कोई भी आउट पेशेन्ट को दिया जाता है। इसके अलावा पेट में, सिर में और अन्य कहीं भी दर्द हो तो कारबोनेट मिक्श्चर दिया जाता है इसमें दो चीजें पड़ती हैं और बाकी पानी मिलाया जाता है। ऐसी हालत में मरीज चार-पांच दिन वहां पर झख मार कर या तो दुनियां से चला जाता है या अपने

(श्री चन्द्रसिंह यादव)

जीवन को रोकर अपने घर पर चला जाता है। एक तो दवाइयों की कमी होती है क्योंकि वे कम सप्लाई की जाती हैं इसके अलावा जब वे छीजते छीजते नीचे तक पहुंचती हैं तो केवल जनता के नागरिकों के लिये पानी ही पानी रह जाता है। मैं ही यह बात नहीं कहता लेकिन जितने भी माननीय सदस्य हैं वे सभी यही बात कहते हैं और मैं यह निवेदन करूंगा कि जब इस प्रकार की पोज़िशन है और सभी लोग यह कहते हैं कि करप्शन है, भ्रष्टाचार है और दवाइयें चोर बाजार में चली जाती हैं, गरीबों को नहीं मिलतीं तो इसके लिये इन्तज़ाम क्यों नहीं किया जाता है ?

मैं जिस हॉस्पिटल का जिक्र कर रहा हूँ वह माननीय मंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्युएन्सी में है। वे वहां पर जाकर देखें तो उनको मालूम होगा कि वहां पर डॉक्टर हॉस्पिटल में आपको शतरंज खेलते मिलेंगे। मरीज तो अन्दर आपको बैठे मिलेंगे। जब उनसे कहा जाता है कि आप शतरंज खेलते हैं और मरीज अन्दर बैठे हैं तो कहते हैं कि दवाइयें तो नहीं हैं मरीज लोग इन्तजार करके चले जावेंगे। हालांकि यह बात मेरे कटमोशन में नहीं है। दवाइयें जो आती हैं वे ऊपर की ऊपर इधर से उधर चली जाती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी का दौरा करेंगे और देखेंगे कि दवाइयों की और हॉस्पिटल की क्या हालत है। डॉक्टर आपको डिस्पेन्सरी के समय में शतरंज खेलते मिलेंगे। ऐसा अगर आपके यहां होता है तो इससे बुरी चीज़ और कहीं नहीं होती है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इसकी तरफ ध्यान देंगे और सुधार करने की व्यवस्था करेंगे। यही मेरा कट मोशन है।

१ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय के संबन्ध में मेरे पांच कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है, उसके संबन्ध में जयपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कल सदन में कुछ बातें प्रस्तुत की थीं और मैं ऐसा समझता हूं कि इन बातों का माननीय मंत्री की तरफ से उत्तर जब भी होगा उसके बाद इस संबन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा कि कुछ खरीद के मामले और हैं जो यदि सरकार प्राइवेट रूप में सुनना चाहे जिस तरह हमारी सरकार के मंत्री समय समय पर सदन में इस प्रकार का आश्वासन दिलाते हैं कि सरकार को प्राइवेट तौर पर बता दिया जाए तो उस प्रकार की बातों का एक प्रकरण जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के समक्ष रखा है और दूसरा प्रकरण मेरे पास रिजर्व में है और माननीय मंत्रीजी चाहेंगे तो मैं उनको बताऊंगा और वे यदि इण्डिपेन्डेन्ट इन्क्वायरी करवाना चाहेंगे तो उस इन्क्वायरी के सामने और भी ऐसे तथ्य प्रकट किये जावेंगे जिन तथ्यों से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य की बातों की पूर्ति होगी और साथ ही साथ नई भी ऐसी चीजें निकलेंगी जिनसे कहा जा सकता है कि विभाग में किस प्रकार से खरीद होती है, उनमें कई प्रकार की अनियमितताओं के आधार पर सरकारी खर्चा किया जाता है। इस विषय में, अध्यक्ष महोदय, यह मैं निवेदन करूं कि राजस्थान का यह चिकित्सा

(श्री भैरोंसिंह)

विभाग, यदि एक प्रकार से देखा जाय तो ऐसा विभाग है जो विभाग सबसे ज्यादा समाज की सेवा कर सकता है। यदि हम हॉस्पिटल में जाकर देखें तो जितने भी मरीज़ हमको सोते हुए मिलेंगे, अन्डर ट्रीटमेन्ट जितने भी मरीज मिलेंगे उनकी सारे शरीर की दशा को देखने के बाद ऐसा आभास होता है कि दुनिया में यदि कहीं स्वर्ग-नर्क का प्रत्यक्ष नमूना देखने को मिल सकता है तो वह हॉस्पिटल में आने पर ही मिल जाता है। मैं यह इस मतलब से नहीं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में इस प्रकार की कोई विशेष अव्यवस्था है लेकिन मैं यह इस कारण से बता रहा हूं कि लोगों में भयानक बीमारियां पैदा होती हैं और उनके कारण उनको हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराना पड़ता है। उनको देखने के बाद यह पता लगता है कि हमारे देश में कितने प्रकार की, कितने नमूने की भयंकर बीमारियां पैदा होती जा रही हैं और उनके इलाज के लिए, व्यवस्था करने के लिए बजट एक्सपेन्डीचर के नाम पर कुछ रुपया निर्धारित करते हैं।

अब देखना यह है कि राजस्थान में जिस गति से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उस गति के माफिक दवाइयां और डॉक्टर्स रख रखे हैं या नहीं ? इस सम्बन्ध में स्टेटिस्टिक्स मैंने देखे हैं जो समय समय पर गजट में प्रकाशित होते हैं। वे जितने आंकड़े हैं उनके अनुपात में बजट को देखा जाय तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, रोग बढ़ते जा रहे हैं, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है किन्तु उसके अनुपात में उपचार के लिए बजट नहीं बढ़ता है। हमारी सरकार कहेगी कि सन् ५२ से लेकर अब तक जिस गति से बजट बढ़ा है तो उससे अन्दाज लगायें तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने ज्यादा रुपया रखा है। ५२ के मुकाबले में आज तक रुपया बढ़ा हुआ मिलेगा; बढ़ा है, लेकिन ५२ के मुकाबले में रोग और रोगियों की संख्या में अन्दाज लगायें तो बजट प्रोविज़न रखे हैं वे नाकाफी हैं। मसलन, उदाहरण के रूप में रखना चाहता हूं। मुझे पिछले दिनों जनाना हॉस्पिटल में जाने का मौका मिला। वहां मैंने देखा....

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : डिलीवरी कराने के लिए गये थे क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसलिए नहीं गया था, किसी बीमार को देखने के लिए गया था। वहां पर मुझे यह जानकारी मिली कि जनाना हॉस्पिटल में एक दिन में १५ से १८ तक डिलीवरी के केसेज़ आते हैं। १५ से १८ तक एक दिन में डिलीवरी के केसेज़ आते हैं, डिलीवरी कराने के लिए महिला आती है उसको चार-पांच दिन तो कम से कम जनाना हॉस्पिटल में रहना ही पड़ता है। कम से कम भी उसको रखा जाय और वह रहे तो उसको चार–पांच दिन वहां पर रहना पड़ता है। उस बेसिस पर १८ लेडीज़ को वहां पर एन्टर करना पड़ता है। वहां पर ऐसी स्थिति देखी गई है कि डिलीवरी का केस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट केस है, ऑपरेशन के केसेज़ भी इम्पोर्टेन्ट हैं मैं इससे इन्कार नहीं करता, लेकिन डिलीवरी में एक इमर्जेन्सी उस समय पैदा हो जाती है कि जब डिलिवरी करने का समय नज़दीक होता है महिला के लिए, एक प्रकार से दौड़ शुरू हो जाती है। इसके लिए

(श्री भैरोंसिंह)

लेडी डॉक्टर के सामने समस्या होती है एकोमोडेशन की, घर वालों के सामने समस्या होती है, डिलीवरी का समय बहुत नज़दीक होने के कारण घर वाले यही सोचते हैं कि चलो जल्दी से जल्दी जाकर हॉस्पिटल में डिलीवरी करा लो। वह इस बात का खयाल नहीं करते कि हॉस्पिटल में जगह है या नहीं। उनके सामने तो केवल यही रहता है कि समय बहुत नज़दीक है और चल कर हॉस्पिटल में महिला की डिलिवरी करा दी जाय। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, एक तरफ जनाना हॉस्पिटल की यह स्थिति है तो दूसरा शहर में कोई मेटर्निटी सेन्टर नहीं है जहां लोग जाकर रिलीफ पा सकें। जनाना हॉस्पिटल का मैंने बजट देखा है। उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। राज्य सरकार एक तरफ कहती है कि पैदावार बढ़ रही है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इधर रोग भी बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा बच्चे पैदा होने से मृत्यु के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रोक-थाम के लिए जनाना हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं है। मैं उन डॉक्टरों और व्यवस्थापकों की आलोचना नहीं करता लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जिस अनुपात से दूसरे राज्यों में इसके लिए व्यवस्था कर रखी है वहां हमारे राजस्थान में पूरी व्यवस्था नहीं है। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों ने व्यवस्था कर रखी है उसकी तुलना में हमारे यहां पर मेटर्निटी पॉइन्ट ऑफ व्यू से सरकार के द्वारा जैसी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में जो प्रोब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए निश्चित रूप से ज्यादा बजट, लेडी हॉस्पिटल, मेटर्निटी सेन्टर और जनरल हॉस्पिटल में रोगियों को एड्मिट कराने और व्यवस्था के लिए धन लगाना पड़े तो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। राजस्थान में लोग ज्यादा रोगी होते हैं या नहीं, इसका अन्दाज़ इससे लगता है कि हॉस्पिटल में कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि एक-दो मरीज़ बाहर से न आते हों, कोई टी. बी. का मरीज़ होगा, कोई दूसरे दूसरे रोगों का, कोई हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहता है, तो कोई लेडी हॉस्पिटल में, कोई सिनिटोरियम में। कोई दिन ऐसा नहीं निकलता कि एक दो रोगी न पहुँचे। इस सम्बन्ध में डॉक्टर्स से पूछताछ की, एक, दो, तीन को रख लिया, लेकिन नम्बर बढ़ता ही जाता है। हॉस्पिटल में जाकर देखें तो पता चलेगा कि कई मरीज़ वार्ड के वरन्डाज़ में सो रहे हैं, भयंकर भयंकर रोगों के मरीज़ वार्डों में सो रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि डॉक्टर्स ज्यादा परिचर्या नहीं करते, करते होंगे लेकिन फिर भी वे रोगियों को एडमिट करने में असमर्थ हैं। राजस्थान में ऐसा हॉस्पिटल है कोई जैलमेर से आ रहा है, कोई भरतपुर से आ रहा है, कोई अलवर से आ रहा है और इस विश्वास से आते हैं कि चलो वहां पर इलाज़ अच्छा हो जावेगा। बड़ा हॉस्पिटल है, एडमिशन होगा या नहीं, यह नहीं मालूम होता, आ जाते हैं, डॉक्टर्स की इच्छा होते हुए भी उनको वे एडमिट नहीं कर सकते, वे असमर्थ हैं उनको एडमिट करने में। राज्य सरकार को चाहिये कि एक लाख, दो लाख, तीन लाख रुपया खर्च होता है तो कर दे परन्तु ऐसी व्यवस्था हॉस्पिटल में कर दे कि जिससे कि राजस्थान के किसी भी कोने से आने वाला आदमी का हॉस्पिटल में

(श्री भैरोंसिंह)
एडमिशन हो जाय, वह वापिस न चला जाय और रोग ग्रस्त होने के कारण उसकी मृत्यु न हो जाय ।

दूसरा है नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स जो हॉस्पिटल में रहते हैं ।उसके सम्बन्ध में मैंने विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था,शायद मंत्री महोदय को वह याद होगा । नर्सेज़ को जितनी तनख्वाह मिलती थी उसके अनुपात में उनको डी. ए. मिलता था । जब सवाल पूछा तो जबाब दिया कि डी. ए. उनका बन्द कर दिया गया और फिक्स्ड १५) रु० डी. ए. के कर दिये। उस प्रोविन्स का नाम मुझे याद नहीं रहा है लेकिन अभी कुछ दिनों पहले फैसला हुआ है, इन हॉस्पिटल में जो नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स हैं उनको ट्रेड यूनियन के अन्तर्गत रिलीफ मिल सकता है, वे रिलीफ पाने के हकदार हैं । मैं मंत्री महोदय से पूछता हूं कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स की शाम ८ बजे से सुबह ८ बजे तक १२ घंटे की ड्यूटी लगाते हैं, मंत्री महोदय श्रम मंत्री होने के नाते भी, जो एक लॉ पेड एम्प्लोई है उससे इतना काम लिया जाता है जो ट्रेड यूनियन के बेसिस पर भी अनुचित है और एक मानवता के नाते भी क्या अनुचित नहीं है'? डॉक्टर्स, चार–छः घंटे जितनी ड्यूटी देते हैं उनको अधिक तनख्वाह देते हैं, उसके बाद उनकी प्राइवेट प्रेक्टिस भी चलती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन जिनको २४ घंटे रुकना पड़ता है, मरीजों की तीमारदारी करनी पड़ती है और ऑपरेशन के बाद जो एक मरीज़ की तीमारदारी करनी चाहिये वह उनको करनी पड़ती है उन नर्सेज और कम्पाउन्डर्स को कोई अधिक तनख्वाह भी नहीं मिलती और न अलाउन्स ही उनको मिलता है और इसके साथ साथ कई प्रकार की अशोभनीय चीजें हुई हैं जिनके बारे में मैं यहां सदन में नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि वे भद्दी चीजें हैं, एक सीमा तक हुई हैं उनकी रोकथाम करने के लिए माननीय मंत्री महोदय को अपने हाथ मज़बूत कर लेने होंगे और तब ही वे रुकेंगी अन्यथा नहीं, न ही वे उनको रोक सकेंगे ।

कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनके द्वारा छोटे २ एम्प्लॉईज़ की तनख्वाह न बढ़ा कर भी कर सकते हैं । अजमेर डिस्पेन्सरी के कम्पॉउन्डर्स को कोटा डिस्पेन्सरी में लगा दिया, कोटा के कम्पाउन्डर्स को बीकानेर में लगा दिया और बीकानेर के कम्पाउन्डर्स को जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लगा दिया । इस प्रकार से उनके अपोइन्टमेंट्स और ट्रान्सफर्स करते हैं तो मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को जरा सहानुभूति के दृष्टिकोण से देखा जाय और जहां तक हो सके जो जिस जिले या डिविजन का है उसको उसी जिले या डिविजन में एकोमोडेट किया जाय और उनको इस प्रकार से दूसरी जगह नहीं भेजा जाय ।

लेकिन हॉस्पिटल्स के अन्दर आज उनकी सर्विसेज़ की कद्र नहीं । कोई डॉक्टर ऐसा नहीं जिसके आपस में डिफ्रेन्सेज़ न हों । डाइरेक्टर महोदय की एक पार्टी है तो डिप्टी डाइरेक्टर महोदय की दूसरी पार्टी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और कम्पाउन्डर्स में पार्टीज़ है । एक रोगी के किसी डॉक्टर ने हाथ लगा दिया तो दूसरा डॉक्टर उससे हाथ नहीं लगाता । प्रोफेशनल एटीकेट की वजह से हो तो कोई बात नहीं लेकिन जहां तक इलाज का सम्बन्ध है उसमें सहायता करनी चाहिये इमर्जेन्सी में ऐसा होता है तो उसके लिये टाइम देना पड़ता है । हो सकता हो, आपसी

(श्री भैरोंसिंह)

रन्जिश के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते । मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करें या न करें लेकिन उनको यह पता है कि इस प्रकार के लोगों की शिकायतें उनके पास भी पहुँची हैं और उन्होंने कइयों के ट्रान्सफर भी किये हैं। ऐसा भी देखा गया है, कहीं लेडी डॉक्टर से किसी डॉक्टर की पटती नहीं या सबोर्डिनेट डॉक्टर्स से उनकी पटती नहीं । इस प्रकार के वातावरण से डॉक्टरों के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का असर पड़ता हो, यह बात नहीं; असर पड़ता है उन रोगियों पर जिनका वे ट्रीटमेन्ट करते हैं । इन दोनों के झगड़ों के बीच में बेचारे मरीज आ जाते हैं और उसका असर नेचुरली उन पर पड़ता है । यहां तक भी हो गया है ऐसे वातावरण के कारण कई केजुअल्टीज़ भी हुई हैं । मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय और सरकार विशेष तौर से देखे कि यह डॉक्टरों में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, इस प्रकार की जो शिकायतें हैं और मरीजों की ओर से जो भी शिकायतें आती हैं उनको सीरियसली लें और इस संबन्ध में इन्क्वायरी करा कर जो दोषी हो उसको उचित दंड दें । इस तरह से आपने किया तो लो पेड एम्प्लॉइज़ की जो ट्रान्सफर, प्रोमोशन आदि की समस्यायें हैं, उनकी जो कठिनाइयां हैं ये छोटी-मोटी कठिनाइयां आसानी से हल हो सकती हैं ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव था आयुर्वेद के विषय में । इस सदन के अन्दर कुछ दिनों पहले चर्चा सुनी थी कि आयुर्वेद विभाग अलग होगा और इस तरह से आयुर्वेद की तरक्की होगी। मंत्री तो इस विभाग के अलग हो गये, बजट भी अलग से है, डाइरेक्टर भी अलग है लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था इस विभाग की होनी चाहिये, वह व्यवस्था नहीं हो पाई है । इस समय इसकी व्यवस्था की आलोचना नहीं करना चाहता किन्तु इतना मैं कह सकता हूं कि इस विभाग के सामने वैद्यों का एक गंभीर प्रश्न पैदा हो गया है । वह इसलिये हो रहा है कि वैद्यों को राजकीय औषधालय में तो रख दिया, ऐसा भी देखा गया जहां रोगियों की संख्या अधिक है वहां वैद्य नहीं और जहां वैद्य है तो उनके पास तीन महीने से अधिक की दवाइयां नहीं रहती । कोई भी ऐसा औषधालय नहीं जहां पर तीन महीने के समय से अधिक की दवा उपलब्ध हो और इसके बाद वैद्यों की शिकायत विभाग के पास या मंत्री महोदय के पास नहीं आयी हो कि हमारे औषधालय में दवाइयां खत्म हो चुकी हैं । तीन महीने बाद जो ९ महीने का पीरियड रहता है उसमें वैद्य हाथ पर हाथ धरे बैठ रहते हैं, जो निकम्मे हैं वे तो बैठे रहते हैं किन्तु जो होशियार वैद्य हैं वे राजकीय औषधालय के नाम पर दवाइयां बनाते हैं और वे मरीजों को देते हैं, उनका पैसा लेते हैं । उनका पैसा लेना इस तरह से तो वाजिब है । जब वे अपने जेब से पैसा खर्च करके दवाइयां बनाते हैं तो उसका पैसा लेना उचित है । जब आप प्रावधान ही इतना ही रखते हैं जो तीन महीने में खर्च हो जाय । आप पर्याप्त धन जुटा नहीं सकते तो ऐसी हालत में जब बजट खत्म हो गया तो वे अपनी अपनी जेब से खर्च करते हैं और इस हिसाब से जितना वे लेते हैं वाजिब है । तो माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज जो स्थिति आयुर्वेद की दवाइयों की है उसके लिये ज्यादा अनुदान करेंगे ।

(श्री भैरोंसिंह)
इसके लिये चिकित्सा विभाग के मंत्री महोदय से भी संघर्ष लेना पड़े तो लें। एक वर्ष में या दो वर्ष में कम से कम इसका बजट भी एलोपेथिक के बराबर ले आयें। जितना खर्चा एलोपेथिक डिस्पेन्सरीज पर होता है उतना ही बजट वे इस विभाग का बना दें। दोनों विभाग अलग अलग जरूर हो गये लेकिन अन्तर कुछ दिखाई नहीं देता। १०-२० हजार रुपये कुछ कम ज्यादा कर दिये इससे काम चलने वाला नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सही मायने में आयुर्वेद की सेवा जो नहीं करता उसमें आयुर्वेद के वैद्य सब से ज्यादा जिम्मेदार हैं। अपने पेट पालने के लिये वे आयुर्वेदिक वैद्य होते हुए भी एलोपेथिक का ट्रीटमेन्ट करते हैं। इस प्रकार से एलोपेथिक ट्रीटमेन्ट अख्तियार करके वे कहते हैं कि एलोपेथिक ट्रीटमेन्ट वे अख्तियार नहीं करते हैं तो उनसे कोई इलाज नहीं करायेगा, वे आयुर्वेद की बहुत बड़ी कुसेवा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसे वैद्यों के सम्बन्ध में कार्यवाही करें और उनके लिये यह नियम बना दे कि वे आयुर्वेद ट्रीटमेन्ट के सिवाय अन्य ट्रीटमेन्ट नहीं करेंगे। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ आयुर्वेद विभाग को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिये। इस प्रकार का कार्य करने से अगर आयुर्वेद के वैद्य मरणासन्न भी पहुँच जायेंगे तो हमें परवाह नहीं करनी चाहिये। जब तक उनमें होमियोपैथिक डॉक्टरों की तरह आत्म-विश्वास अपनी पद्धति के बारे में नहीं जम जाता तब तक इस आयुर्वेद का विकास होना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, इस संबन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि एक वैद्य की शिकायत को लेकर कई बार इस सदन में चर्चा हुई है जो एलोपैथिक ट्रीटमेन्ट करते हैं लेकिन जिनको इन्जेक्शन तक लगाना नहीं आता, जिनको दवा देने का होश नहीं, जिनसे कई ऐसी इन्जरीज़ हो गई हैं जिनके बारे में डॉक्टरों तक की रिपोर्ट है, चूंकि वे वैद्य राजनैतिक अखाड़े में आगये हैं, सरकार के पक्ष में प्रचार करना शुरू कर दिया है इसलिये मंत्री महोदय भी डरते हैं, उन्होंने कई बार ट्रान्सफर के ऑर्डर भी दिये हैं लेकिन मंत्रीजी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव पड़ जाता है हालांकि मंत्री महोदय दबाव में तो आते नहीं किन्तु लिहाज़ में जल्दी आ जाते हैं, वे इस बारे में अत्यन्त-उदार हैं। इस कारण एक तरफ तो ट्रान्सफर के ऑर्डर होते हैं किन्तु ज्योंही वह ऑर्डर पहुँचता है दूसरे ऑर्डर से कैन्सिल हो जाता है। माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे लोसल के वैद्य के बारे में....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : मैंने तो कैन्सिल नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : आपने कैन्सिल नहीं किया, यह मैं कैसे मान सकता हूं? आपके खुद के नाम से तो ऑर्डर्स होते नहीं, तार तो देते हैं डाइरेक्टर महोदय।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : आपका लिहाज़ मान कर नहीं करते होंगे।

श्री भैरोंसिंह : लिहाज़ तो आपका भी नहीं माना, मानते तो आप मंत्रि-मंडल में आ जाते।

सवाल यह नहीं, आज ऐसी स्थिति के अन्दर इस प्रकार के वैद्यों के सम्बन्ध में हमे कदम उठाना पड़ेगा, उनकी रोक-थाम करनी

(श्री भैरोंसिंह)

होगी और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो वैद्य हैं उनकी रोक-थाम करनी होगी और इस आयुर्वेद को इस स्थिति में लाना होगा जिससे इसके बारे में किसी प्रकार की गलत-फहमी न हो। सरकार द्वारा जो औषधालय चल रहे हैं उनका बजट बढ़ाना होगा और जिनको कम तनख्वाहें मिलती हैं उनको भी समान स्तर पर लाना होगा। आज जहां वैद्य और डॉक्टरों का जो विवाद खड़ा हुआ है दोनों ही जब दवाइयां देते हैं, अपने अपने ढंग से इलाज़ करते हैं तो वैसी स्थिति में दोनों वेतन दरों में असमानता नहीं होनी चाहिये।

इसके साथ साथ जहां तक आयुर्वेद औषधियों का संबन्ध है हमें इसके लिये फार्मेसीज़ का निर्माण करना चाहिये, दवाइयों का स्टेन्डर्ड कायम होना चाहिये, आयुर्वेद धाम, धन्वन्तरी औषधालय आदि जिस प्रकार की फार्मेसीज हैं उन फार्मेसीज़ में हम इस प्रकार की देशी औषधियों का निर्माण करें जो छोटे मोटे दर्दों में, रोगों में तत्काल फायदा पहुंचा सके। जिस प्रकार एलोपेथिक मेडिसिन एस्प्रो आदि मिलती है किसी चाय वाले की दूकान पर, पान वाले की दूकान पर चले जाइये आपको ये औषधियां मिलेंगी और तत्काल सिर-दर्द आदि छोटे-मोटी बीमारियों पर तुरन्त असर बताती हैं उसी प्रकार की सस्ती और गुण-कारक आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करना होगा और इसके लिये सरकार अपने बजट में प्रोविज़न करे। इसी प्रकार जोधपुर की फार्मेसीज़ को भरतपुर में चलने वाली फार्मेसीज़ को जड़ी-बूटियों के नाम पर उदयपुर ले जाना उचित नहीं रहेगा। जो जहां पर काम करती है वहीं रहने देना चाहिये। दवाइयों के निर्माण में आबोहवा का भी बहुत स्थान रहता है।

वैद्यों की तनख्वाह के संबन्ध में मैं भी निवेदन किये बिना नहीं रह सकता। राजस्थान में जितने भी वैद्य हैं उनको बहुत कम तनख्वाह मिलती है। उनको भी काम उतना ही करना पड़ता है जितना कि एक वैद्य या डॉक्टर को करना पड़ता है। अस्पताल के घंटे भी उतने ही हैं लेकिन जहां वेतनों को देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अन्तर है। जब हम समाज के अन्दर वैद्यों के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उनकी तनख्वाह की ओर भी ध्यान देना होगा। यदि हमने समाज के अन्दर उनका स्थान बढ़ाया तो आयुर्वेद की महान् सेवा होगी। माननीय मंत्री महोदय वैद्यों की तनख्वाह बढ़ाने के बारे में जो प्रोविजन है उसको बढ़ावें। इसके अलावा वैद्यों के स्थानान्तरण के संबन्ध में वैद्यों को जो हमने बनवास दे रखा है उनको हमें उनके उचित स्थान पर रखना चाहिये। इनको दूर दूर फैंक देने से इनके सामने जो आर्थिक स्थिति पैदा हो गई है वह पैदा न हो। इतना ही निवेदन करता हुआ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और सदन से आशा करता हूं कि आयुर्वेद के विकास में हमें पूर्ण सहयोग दें और इस संबन्ध में मंत्री महोदय भी कुछ कारगर कदम उठावेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनलाल।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव नाथद्वारा में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में डॉक्टरों के अभाव के बारे में है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर इसमें नहीं आता।

श्री किशनलाल शर्मा : डॉक्टरों के अभाव के बारे में है । देलवाड़ा खमनौर में छः प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की मन्जूरी हुए एक साल हो गया । गांव वालों ने बिल्डिंग. के लिये रुपया जमा कर दिया । शिलान्यास भी उसका हो गया पर गवर्नमेन्ट की तरफ से कोई स्टाफ वहां नहीं पहुंचा ।

अध्यक्ष महोदय, और भी मैं निवेदन करूं । यह सूचना आई. पी. एम. ओ. के ज़रिये कि गांव वाले मकान का इन्तज़ाम रहने के लिये कर दें । मकान किराये पर भी ले लिया गांव वालों ने उनके आदेश पर और डॉक्टर भी पहुँच गया पर थोड़े अर्से बाद डॉक्टर को वहां से हटा कर दूसरी जगह भेज दिया । एक तरफ हम लोगों से कहते हैं कि वे प्रयत्न करें दूसरी तरफ जब लोग तैयार हों तो स्थिति यह होती है कि डॉक्टर आता है और चला जाता है । इसी तरह खमनौर का हाल है ।

दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में पी. एम. ओ. साहब पहुँचते हैं । पंचायत समिति के प्रधान और गांव वालों से बातें की और मकान के इन्तजाम के लिये कह दिया और कहा कि यह सामान खरीद लो । पर फिर आदेश आता है कि यह सामान मत खरीदना । यह स्थिति है । थोड़े दिन के लिये नर्स भी भेजी, पर थोड़े दिन बाद तबादला कर दिया । और वहां से कुरावड़ भेज दी गई ।

इस तरह उदयपुर की ये तीन बड़ी तहसीलें हैं । पर इनमें चिकित्सा की सुविधा नहीं है । सिर्फ नाथद्वारा का अस्पताल है जिससे जनता को सुविधाएं मिलती हैं । इन दो अस्पतालों के बारे में भी जब सदन में प्रश्न आया कि लेडी डॉक्टर पहले ठिकाने के वक्त में थी पर बाद में हटा दी गई तो मांग करने पर भेज दी गई, पर बाद में हटा दी गई । आती है, कुछ दिन रहती है और उसका तबादला हो जाता है । मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि करेड़ा तहसील में कई बहिनें प्रसव पीड़ा में अपने प्राण खो बैठी हैं । हम बार बार विभागों के अध्यक्षों से, कर्मचारियों से, अफसरों से निवेदन करते हैं पर इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता ।

हमने तृतीय योजना में प्राइमरी हैल्थ सेन्टरों को सेकन्डरी हैल्थ सेन्टर बनाने की बात कही है । पर आज तो स्थिति यह है कि गांव वालों की तरफ से बिल्डिंग का इन्तजाम और जैसा वे कहते हैं करने पर भी इनके प्रबन्ध की ओर सरकार का विभाग ध्यान नहीं देते । मैं मन्त्री महोदय से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जनता ने सब इन्तजाम आपकी आवश्यकता के अनुसार कर दिया है वहां जल्दी से जल्दी चिकित्सा के समुचित प्रबन्ध का ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख पेश करता हूं ।

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर-सु०): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, he has already spoken once. According to rules, he cannot be permitted twice.

श्री अध्यक्ष : He says, he moved only one motion...

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सद-

Page No.60

(श्री हरिप्रसाद यादव)

स्य का कहना है कि मैं बोल चुका हूं, उनको भान नहीं है कि मैं एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर पाया हूँ। बाकी और हैं मेरे।

श्री अध्यक्ष : आप संक्षेप में और संयम से बातें रखिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं जिन्हें मैंने प्रस्तुत कर रखा है।

कल मैंने धरियावद् के अस्पताल की हालत के बारे में बताया।

वहां जवाहरनगर नामकी एक आदर्श बस्ती है। हमारे राजस्थान सरकार के सामने और भारत सरकार के सामने एक प्रश्न आता है कि आदर्श बस्तियां भी हों तो कैसी हों। उदयपुर की, मेवाड़ की वीर भूमि में जवाहरनगर नामक एक आदर्श बस्ती जो बसाई गई है उस इलाके के लोग उस आदर्श बस्ती की ओर टकटकी लगा कर देखते हैं कि अस्पताल की बिल्डिंग तो सरकार ने बनाई और हमसे परिश्रम भी लिया, पर डॉक्टर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला डॉक्टर ? तो वहां की हजारों वर्षों की पिछड़ी जाति के लोग जिन्होंने बरसों से आन्दोलन किया, राजा महाराजाओं ने जिनका शोषण किया, पंचायती शासन बड़ी मुश्किल से कायम हुआ पर इसके बाद भी लोग इस सदन की ओर निगाहें डालते हैं कि हमें दवाखाना मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा, नर्स मिलेगी, पर वे अभागे के अभागे रह जाते हैं।

(हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन-चार वर्षों से बराबर कोशिश करने के बाद भी स्वास्थ्य मन्त्रीजी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

दूसरी बात मैं माननीय मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि आप वहां जल्दी से जल्दी डॉक्टर और कम्पाउन्डर भेजें।

एक प्रस्ताव मेरा था, 'भोपालसागर में लेडी डॉक्टर का अभाव'।

श्री अध्यक्ष : इस पर तो कल बोल

श्री हरिप्रसाद यादव : मतलब, सारे राजस्थान में ही नहीं भोपालसागर में जहां लेडी डॉक्टर का प्रश्न था राजस्थान के कुल २५–२६ जिलों में एक लेडी डॉक्टर का प्रबन्ध इनसे किया नहीं जाता है। हमारी सरकार एडवर्टाइजमेन्ट निकालती है पत्रों में। पर भले घर की लड़कियां और महिलाएं पसन्द नहीं करतीं। वे टीचर बनना पसन्द करती हैं, पर हैल्थ डिपार्टमेन्ट में जाना पसन्द नहीं करतीं। इसका कारण यह है कि हैल्थ डिपार्टमेन्ट के अधिकारी हैं वे करप्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! ऑर्डर !! माननीय सदस्य कृपया ऐसा नहीं बोलें। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप संयम से बोलें। इस तरह से जनरल और वेग एलीगेशन लगाना ठीक नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : He should be asked to withdraw his words.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : ये शब्द प्रोसीडिंग्स में से वापिस लिये जाने चाहिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : अच्छा, मैं इनको वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप अब बैठ जावें फिर।

श्री हरिप्रसाद यादव : पांच-पांच वर्ष से लेडी डॉक्टर नहीं है तो इसका प्रबन्ध भी करना चाहिये।

अब मैं आयुर्वेद डिपार्टमेन्ट की ओर....

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में आपका कट मोशन नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : भोपालसागर का है साहब। तो मैं निवेदन करूं कि जहाजपुर में एक नर्स भी थी। पर अब वह नर्स और लेडी डॉक्टर नहीं है। वहां कई औरतें जापे में मर गई हैं और मैं आपसे निवेदन करूं कि जब हम सरकार से यह चाहते हैं कि हमारे अस्पताल ही सब कुछ हैं पर वहां स्टाफ नहीं है। आपने आयुर्वेद दवाखाने खोल दिये तो आयुर्वेद संचालक ने स्टाफ ट्रान्सफर कर दिया जब कि उनके बजाय में दूसरा नहीं आता।

(घंटी)

मैंने इस बात पर पहले भी प्रकाश डाला था। वर्षों से जहां जवां में नर्स नहीं है। १०–१२ महिलाओं की वहां जापे में मृत्यु भी हो गई थी। मैं निवेदन करूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी और आयुर्वेद के नये मन्त्रीजी भी इसकी ओर ध्यान देंगे और जनता जनार्दन को सुख सुविधा देकर इस सदन की आवाज को बुलन्द करेंगे।

(हंसी)

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत मांग के सम्बन्ध में है। पहला कटौती का प्रस्ताव झालावाड़ जिले के अस्पतालों में औषधियों की कमी व मन्जूर शुदा बजट की औषधियां समय पर न पहुँचने पर बहस करने हेतु है। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय करना किसी भी समाजवादी राज्य के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। ये जनता के जीवन की प्रधान आवश्यकतायें हैं और राजस्थान सरकार शिक्षा और चिकित्सा पर अन्य सालों के मुकाबले में इस साल काफी खर्च कर रही है। अगर हम १९६०–६१ का बजट देखें तो १९५९–६० के बजट से इसके अन्दर काफी रकम का प्रावधान है। मगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो पैसा खर्च किया जाता है यह पैसा शहरों में अधिक और ग्रामों में कम अनुपात से व्यय किया जाता है। वैसे प्रस्तुत मांग ३ करोड़, १३ लाख, ७३ हजार की है और इसका अनुपात राजस्थान की जनता के ऊपर देखें तो प्रति व्यक्ति २ रुपया आता है। पर यह जो प्रति व्यक्ति २ रुपया व्यय होता है तो क्या यह देहातों में भी २ रुपया ही प्रति व्यक्ति आता है या नहीं आता है इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूं कि यह राजधानी में अधिक, जिला स्तर के अस्पतालों में कम और देहाती स्तर के अस्पतालों में उससे भी कम। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा कि यह स्थिति सारे जिलों के

(श्री सम्पतराज जैन)

अन्दर है। देहाती क्षेत्रों में भी है और हमारे झालावाड़ जिले में भी है।

झालावाड़ जिले के लिए मैं निवेदन करूं कि वहां पर करीब १० छोटे-मोटे अस्पताल हैं और वहां की आबादी ४ लाख १२ हजार की है यानि करीब ४०,००० की जनता के ऊपर एक अस्पताल काम करता है और उसमें क्या हालत है कि एक अस्पताल के पीछे जो कि ४०,००० की आबादी में है, २ या ३ हजार की औषधियां चिकित्सा विभाग वहां देता है। तो इस हिसाब से प्रति व्यक्ति ५ नये पैसे की औषधि एक साल में पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, प्रति व्यक्ति ५ नये पैसे की औषधि दी जाये तो उससे देहाती जनता की क्या चिकित्सा की जा सकती है, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो बजट देहाती क्षेत्रों में अस्पतालों को प्रदान करते हैं यह बहुत ही कम है और यह इतना कम है कि जो औषधि आती है वह छः-छः महीने ही चल कर खत्म हो जाती है और उसके बाद में पानी पिलाया जाता है, पेटेन्ट मेडिसिन्स की बात तो दूर रही। टिंचर वगैरह जैसे देते हैं वह भी पूरे साल नहीं चलती। इस तरह से मुश्किल से औषधियां छः महीने चलती हैं और फिर पूरे साल भर मरीजों को टहलाया जाता है और पानी पिलाया जाता है। ऐसी सूरत में क्या चिकित्सा हो सकती है, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। २ या २॥ हजार का बजट ४०,००० की जनता के लिए रखा जाये तो उसका क्या अनुपात बैठता है, यह मैं पहले निवेदन कर चुका हूं। ऐसी सूरत में एक व्यक्ति के ऊपर ५ नये पैसे राजस्थान सरकार चिकित्सा के लिए व्यय करे तो उससे कुछ भी लाभ जनता को नहीं पहुंच पाता है। इसके मुकाबले में स्टाफ का ही खर्च अधिक है। एक अस्पताल में साधारणत: ८०,००० का बजट डॉक्टर, कम्पाउन्डर और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का होता है। अगर इससे औसतन फैलाया जाये तो प्रति व्यक्ति देहाती क्षेत्र के अन्दर स्टाफ का खर्चा और औषधियों का खर्चा २५ नये पैसे आता है। २५ नये पैसे एक व्यक्ति के ऊपर खर्चे करें और पूरा बजट २ रुपये प्रति व्यक्ति का है तो इस तरह से देहाती क्षेत्र की किस तरह से उपेक्षा की जा रही है, यह खुद गौर फरमा सकते हैं। यह ठीक है कि देहाती क्षेत्रों में अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है और औषधालय तहसीलों में नये नये कायम किये गये हैं। लेकिन उनसे क्या फर्क पड़ने वाला है? २५ नये पैसे स्टाफ और औषधियों के लिए खर्च किये जायें तो यह बहुत कम हैं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज झालावाड़ के अस्पतालों की वही हालत हो रही है। वहां पर साधारणतया यह टिंक्चर वगैरह मैगनेशिया, सोडा बाईकार्ब ही जनता को नहीं मिल पाती हैं तो पेटेन्ट मेडिसिन्स का तो कहना ही क्या। सरकार शिक्षा में काफी तरक्की कर रही है तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी करनी चाहिए। जो बजट दिया जाता है उसके बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं कि बहुत कम रकम देहाती क्षेत्रों के लिए रखी जाती है। जो बजट रखा जाता है वह संतोष के काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसकी ओर ध्यान दिया जायेगा। अब देखिये ३१ मार्च होने को आया, पांच-सात रोज बाद हो जायेगा, अभी तक हमारे वहां १९५९-६० के बजट की औषधियां देहाती क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाई हैं। यानि १९६० खत्म होने आया लेकिन अभी तक १९५९-

(श्री सम्पतराज जैन)

६० के बजट की औषधियां नहीं पहुंच पाई हैं और यह मैं एलोपेथी औषधियों के बारे में निवेदन कर रहा हूं। मैं नहीं समझता कि राज्य का चिकित्सा विभाग क्या करता है पूरे साल जब कि बजट मार्च में ही पास हो जाता है ! पता नहीं पूरे ११ महीने क्या होता है और जो स्वीकृत रकम है वह आखिरी तक भी खर्च नहीं की जाती है। जब साल खत्म होने को आता है तो दवाइयां जल्दी जल्दी में खरीदी जाती हैं और डॉक्टर बिना दवाइयों के इन्तजारी में बैठे रहते हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा यह सत्य बात है। पूरे ११ महीने तो चिकित्सा विभाग सोता रहता है और १२ वें महीने जब कि बजट लैप्स होने को आता है तो आखिरी में दवाइयां परचेज़ की जाती हैं। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि झालावाड़ के देहाती इलाके में जांच करवा कर देख लीजिए, १९५९–६० की दवाइयां वहां अभी तक नहीं पहुंची है और वह ३०–३१ तारीख तक पहुँचेंगी। अव्वल तो पहले ही कोटा कम और बजट कम तो आप समझ सकते हैं कि चिकित्सा की क्या हालत होगी ? ४० हजार की आबादी में थोड़ा सा बजट और उसमें भी दवाईयां समय पर नहीं पहुंचतीं, पेटेन्ट मेडोसिन्स तो पहुंचना दूर रहा। मैं कटौती के प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि औषधालयों में ज्यादा बजट रखें और जो बजट मंजूर है उसकी औषधियां साल के प्रारम्भ में ही भिजवा दें तो पूरे साल की दिक्कतें मिट सकेंगी।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव झालावाड़ जिले में चिकित्सा के साधनों की कमी पर बहस करते हेतु है। इसके विषय में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा मैंने अर्ज किया कि वहां पर ४०,००० की आबादी में एक डॉक्टर रहता है। एक औषधालय में एक डॉक्टर, एक कम्पाउन्डर क्या सेवा कर सकता है, इन ४०,००० व्यक्तियों की, यह आप खुद देख सकते हैं। एक एक अस्पताल में १५० या २०० की संख्या में मरीज़ हैं; उनको एक डॉक्टर और एक कम्पाउन्डर कैसे संभाले ? वहां पर दो–चार साल पहले यह नियम रखे थे कि जहां १०० मरीज़ से ज्यादा की संख्या हो तो वहां एक के बजाय दो कम्पाउन्डर रख दिये जायें। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से जब कि डॉक्टर्स और कम्पाउन्डर्स की कमी है, उधर अस्पताल भी कम हैं, तो फिर झालावाड़ जिले के अन्दर चिकित्सा के साधनों की अत्यन्त कमी है। मैं निवेदन करूं कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट की ४ लाख १२ हजार की आबादी है। वहां एक जच्चाखाना है। वहां पर स्त्रियों की डीलिवरी के समय किस तरह मौतें होती हैं, इसके बारे में पहले एक माननीय सदस्य ने निवेदन किया है। वहां पर दूसरे स्थान नहीं हैं तो डीलिवरी कराने के लिए एक अस्पताल है जो कि जिले के सदर मुकाम के ऊपर है और वहां पर भी बैड्स की इतनी कमी है कि जगह नहीं मिलती। तो ऐसी सूरत में जच्चा खाना जहां कि १५ स्त्रियों के पीछे एक स्त्री की डैथ हो जाती है वहां जच्चा खाने का नहीं होना और जिले में एक ही होना, स्त्रियों को उसमें भी जगह नहीं मिलना क्योंकि बैड्स की कमी है सन् १९५१ से लेकर करीब १० साल होने आये जो वहां के लिए प्लान है वह नहीं बढ़ाया गया है और एक पाई भी झालावाड़ जिले को प्लान के अन्दर नहीं दी गई। ऐसी सूरत में जब

(श्री सम्पतराज जैन)

कि वहां पर जच्चाखाना नहीं, औषधालय नहीं और औषधालयों में पूरा स्टाक नहीं है, तब जनता की क्या सेवा हो सकती है ?

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि वहां की जनता ने अपने पास से टी. बी. वार्ड बनवा कर दिया लेकिन गवर्नमेंट ने आज चार, पांच साल होने को आ गये उसको टी. बी. क्लीनिक बनाने का तय नहीं किया । न वहां पर टी. बी. विशेषज्ञ ही भेजा गया और न टी. बी. के मरीजों के लिए विशेष सुविधा दी गई और न वहां पर साज सामान ही पहुंचाया गया । वहां पर २६ हज़ार रुपया टी. बी. सील का जनता द्वारा इकट्ठा किया हुआ पड़ा है। ऐसी सूरत में जनता ने टी. बी. वार्ड बनाया । तो टी. बी. वार्ड बनाने के बाद टी. बी. विशेषज्ञ नहीं भेजना, दवाइयां नहीं भेजना कहां तक उचित है ? श्रीमन्, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि झालावाड़ जिले की उपेक्षा की गई है उस उपेक्षा को दूर किया जाय ।

वहां पर वार्ड में बेड्स भी बहुत कम हैं और बेचारे मरीजों को खुली छाया के अन्दर रखा जाता है । डॉक्टर इलाज करने से इन्कार नहीं करते हैं और जहां तक हो सकता है उनको सुविधा देते हैं लेकिन जब वार्ड भर जाता है तो उनको बाहर रखा जाता है । यह मैं जानता हूं कि सब कमियां तो दूर नहीं हो सकती हैं लेकिन जो कुछ भी कर सकते हैं वह की जानी चाहिए और जनता को सहूलियत देनी चाहिए । यह जो कुछ भी साधनों की कमी है उसको तुरन्त दूर करना चाहिए । मैं यही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है ।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय आज हाउस में हैल्थ के विषय में कई कटमोशन्स आये । मैं आभारी हूं कि मुझे समय दिया गया हालांकि मेरा कटमोशन नहीं है । कल की बहस में एक चीज हाउस के सामने आई और वह यह थी कि मेडीकल ऑफिसर्स जो मुआयना करते हैं और मेडीकल रिपोर्ट तैयार करते हैं उस संबंध में थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है । मैं हाउस में हैल्थ की ग्रान्ट पर ही यह बात बताना चाहता हूं कि दर हकीकत में इन्सपेक्शन की कमी होने के कारण कई बातें ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था बैठ सकती है, करप्शन समाप्त हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक हो सकता है । लेकिन इन्सपेक्शन कुछ तरीके से नहीं हो पाता है इसलिए वह करप्शन ऐसी स्टेज पर चला जाता है कि उसको हम किसी हद तक खत्म करने में में सफल नहीं हो पाते हैं । बल्कि यह चीज़ अध्यक्ष महोदय, मेडीकल रिपोर्ट के सिलसिले में है कि जब कोर्टस के अन्दर मेडीकल ऑफिसर मेडीकल रिपोर्ट भेजता है तो उस पर अन्तिम डिस्क्रीशन हो जाता है । कोर्ट में जाने के बाद एक्सपर्ट होने के नाते उनकी एवीडेन्स पुख्ता मानी जाती है जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग एवीडेन्स प्रोड्यूस नहीं की जा सके और इस बात से वहां कई मुकदमें ऐसे आ जाते हैं कि कभी पूरा इन्साफ नहीं मिल पाता है । मैं मिसाल के तौर पर, अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही पेथेटिक केस हाउस के सामने रखना चाहता हूं, और मैं

Page No.65

(श्री आबिदअली)

आशा करता हूं कि यह डिपार्टमेंट उस सिलसिले में जानकारी करेगा। एक रेप का केस था उसकी रिपोर्ट हुई थाने में। मलारना डूंगर थाने में रिपोर्ट हुई। रेप १२ साल की लड़की के साथ में हुआ। उस लड़की को अस्पताल में भेजा गया और मेडीकल ऑफिसर ने उसके अन्दर यह रिपोर्ट दे दी कि उसके साथ में रेप नहीं किया गया। वह केस मेरी प्रैक्टिस में आया था। वह सबजुडिस नहीं है। एक्विटल मुल्जिम का हो गया है। इसलिए हाउस के सामने रख रहा हूं। उसके बाद में मैंने मेडीकल ऑफिसर, सवाई माधोपुर से उस लड़की का इन्सपेक्शन कराया तो वहां से वे इस पोज़ीशन में थे कि उन्होंने उसके लिए लिखा कि मामला ७,८ दिन का हो गया है लेकिन बहुत कुछ केस रेप का है। उसके बाद में जयपुर भेजा गया उस केस को और वहां से एक्स-रे होने के बाद यह तय हुआ कि इस लड़की के साथ में वास्तव में रेप हुआ है। अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट। एक मर्तबा मेडीकल रिपोर्ट के अन्दर कहा गया कि रेप नहीं हुआ है और दूसरी जगह मेडीकल डिपार्टमेंट रिपोर्ट करता है कि इस लड़की के साथ में रेप हुआ है। एक १२ साल की लड़की के साथ में मोस्ट हीनियस ऑफेन्स था, उसके अन्दर इतना लीनियन्ट व्यू लिया गया तो नतीजा यह निकला कि जब रिपोर्ट यहां से गई तो उस रिपोर्ट के आधार पर केस का चालान हुआ। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आज जो व्यवस्था कानून की है वह इस प्रकार की है कि डाउट का बेनिफिट जो है वह एक्यूज्ड को जाता है और चूंकि ऑरीजिनल फर्स्ट मेडीकल रिपोर्ट को ब्रश ऑफ नहीं किया जा सकता था और पहली मेडीकल रिपोर्ट रेकॉर्ड में थी और जब यह केस सेशन्स कोर्ट में जाता है और वहां से वह बरी हो जाता है तो सेशन्स जज को भी यह कहना पड़ा कि एक बहुत बड़ा रासकल एक लेकूना की वजह से मेरे हाथ से छूट रहा है। डिपार्टमेंट के सामने चर्चा भी हुई मगर उसका बराबर इन्सपेक्शन नहीं किया गया, उसका इन्वेस्टीगेशन नहीं किया गया, उसकी एन्क्वायरी नहीं की गई और उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उस व्यक्ति के खिलाफ ओरल एवीडेन्स भी उस केस के अन्दर थी। जो लोग लड़की को उठा कर लाये थे उनका कहना था कि १०-१२ जगह ब्लीडिंग जमीन पर आया है। ऐसे ओरल एवीडेन्स भी मौजूद थे। तमाम और एवीडेन्सेज़ होते हुए भी, चूंकि मेडीकल ऑफिसर, की रिपोर्ट रेकॉर्ड पर थी उसको ब्रश ऑफ नहीं किया जा सकता था, उसको लीगल्ली ब्रश ऑफ नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस बिना पर वह केस एक्विटल हो गया।

जब कि हमारे यहां इन्सपेक्शन का प्रोविज़न है, लेकिन उनका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं होने के कारण आज इस किस्म की ज्यादती पब्लिक के साथ होती है। यह मलारना डूंगर का केस है और मुल्जिम को छूटे हुए कोर्ट से अभी एक महीना ही हुआ है। अभी हाल का केस है। इसलिए मैं जो बार बार हाउस के अन्दर इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूं कि इस प्रकार का इन्सपेक्शन हो कि किसी को कहीं से निकलने का मौका नहीं मिले। ऐसे मामलों में सरकार क्यों नहीं कार्यवाही करती है जिस मामले में डॉक्युमेन्टरी एविडेन्स मौजूद हैं? ठीक ढंग से इन्क्वायरी करा ली जाय। उसकी डिपार्टमेंटल इन्क्वा-

(श्री आबिदअली)

यरी ठीक ढंग से हो जाय तो बहुत हद तक इस किस्म की जो व्यवस्था है वह दुरुस्त हो सकती है और दूसरी चीज़ यह है कि यह दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बन सकती है। इस केस की भी ठीक ढंग से इन्क्वायरी होनी चाहिए क्योंकि आइन्दा दूसरा जो स्टाफ है उसकी आंखें इस सम्बन्ध में खुल जायें। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं अपना यह व्यू रखना चाहता हूं।

दूसरी बात, संक्षेप में एक ही मिनट लूंगा, हॉस्पिटल्स, डिस्पेन्सरीज़ के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। यह बात सही है कि बजट के जो आंकड़ें आये हैं वे आंकड़ें इतने सेटिसफेक्ट्री नहीं हैं। आज हमारी आबादी एक तरफ बढ़ रही है। इस आबादी के बढ़ने के मुकाबले में अगर यह चाहें कि बजट में उतना प्रोविज़न हो तो जितने भी अस्पताल या डिस्पेन्सरीज़ हैं उनकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है। जहां तक मेरी जानकारी में है और यह जानकारी, जो फेसिलिटी एक एम. एल. ए को करने के लिए दी गई है उस हिसाब से है कि वर्किंग जो है वह सेटिस्फेक्टरी है और जितनी दवाइयां अभी अस्पताल में दी जाती हैं, उनके लिए भी यह नहीं कहा जा सकता है, अगर इम्पार्शियल ओपीनियन सब की ली जाय तो इस नतीजे पर पहुंच पायेंगे कि मेडीकल की जितनी व्यवस्था हमारे यहां पर चल रही है वह सेटिस्फैक्ट्री ढंग से है। साधारण सी बात है कि हम देखते हैं कि आज एलोपेथिक ने इतनी तरक्की की है। जितने भी हमारे मेडीकल ऑफिसर काम कर रहे हैं वे चेष्टा करते हैं कि पब्लिक का ठीक ढंग से डाइग्नोसिस हो। उसके साथ साथ बैटर किस्म का ट्रीटमेंट हो, और इस संबंध में सारी बात बता देता हूं। जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं और जहां जहां का मेरा अनुभव है कम से कम वहां पर व्यवस्था ठीक है। लेकिन लिमिटेड बजट के कारण बजट के अन्दर व्यवस्था कम है। इस वजह से जितनी एडिक्वेट फेसिलिटी दे सकते हैं बल्कि इन्क्रीज़ कर सकते हैं वह नहीं कर पाते हैं। जो ५८-५६ में प्रोवाइड किया गया है उसमें कमी नहीं हो सकती, जरा कन्ट्रोल और चैकिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर हो तो यह व्यवस्था आसानी से बैठ सकती है। मिसाल के तौर पर, माननीय अध्यक्ष सवाई माधोपुर के लिए बजट के अन्दर प्रोविज़न है और मंत्री महोदय भी जानते हैं और उन्होंने रीयलाइज भी किया है कि प्रोविजन है कि दो डॉक्टर्स रखे जायें और एक लेडी डॉक्टर का भी वहां पर प्रोविज़न है। लेकिन वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर काम कर रहा है। वह डॉक्टर मैं कह सकता हूं कि बहुत एफिशियेन्ट हैं और बहुत पेन्स टेकिंग भी हैं और उनकी वजह से वहां की जनता को सुविधा मिल रही है। मैं आपकी मार्फत यही निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि सवाई माधोपुर की आबादी २० हज़ार की है, सीमेन्ट फैक्ट्री की आबादी ५ हज़ार की है, स्टेशन पर आबादी चार-साढ़े चार हज़ार की है लेकिन वहां पर सिर्फ एक अस्पताल है और उसमें १ ही डॉक्टर है जब कि प्रोविज़न बजट में २ डॉक्टर और १ लेडी डॉक्टर के लिये है। जो बजट में प्रोविजन है उसके अनुसार तो सुविधा देनी ही चाहिये। राजस्थान का सर्वे किया जाकर सब जगह एडिक्वेट फेसिलिटी दी जाती तो इस हाउस को संतोष मिलता। बजट में जिस तरह का प्रोविज़न है, उस प्रकार की फेसिलिटी देने की तरफ ध्यान देना चाहिये। वहां पर केबिनेट की मीटिंग हुई

(श्री आबिदअली)

थी, उस समय मैंने निवेदन किया था कि वहां पर अस्पताल के लिये बिल्डिंग की व्यवस्था खराब है। मंत्रीजी खुद इस बात को जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी इन बातों की ओर शीघ्र ध्यान देंगे।

श्री किशनाराम (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना देना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : अब इस तरह से समय देते रहेंगे तो समय अधिक हो जायगा।

श्रीमती सुमित्रादेवी (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय आश्वासन दे दें कि वैसा ही करेंगे तो मैं नहीं बोलूंगी।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने हमेशा आश्वासन दिया है।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): महिलाओं को तो अवसर देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोलने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रादेवी (पिलानी): माननीय अध्यक्ष, एक तरफ तो राज्य सरकार लाखों रुपये खर्च करके शहरों में रहने वाली जनता की सुख सुविधा के लिये हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ा रही है, इमारतों पर पैसा खर्च हो रहा है, वार्ड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है और वार्ड्स में बैड्स की संख्या बढ़ रही है और दूसरी तरफ ग्रामीण जनता की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। जो लोग पैसा खर्च करके इमारतें बनवा देते हैं वे इमारतें खाली पड़ी रह जाती हैं क्योंकि वहां डॉक्टर्स नहीं भेजते हैं। यदि औषधियां हैं तो वैद्य नहीं आ रहे हैं और वैद्य भेजते हैं तो पूरे इक्वीपमेन्ट्स और दवाइयां नहीं भेजते। इसलिये इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मुझे आपत्ति नहीं है कि शहर को जनता को ही सुविधा क्यों मिले। बहुत अच्छी बात है शहर की जनता को चिकित्सा की सुविधा मिले। जयपुर शहर में कम से कम २० अस्पताल हैं, कम से कम १० मेटर्निटी होम्स हैं और भी बीसियों सुविधाएं प्राप्त हैं। लेकिन हमारे झुन्झुनूं जिले की संख्या को देखते हुए वहां पर 'बी' श्रेणी का अस्पताल तक नहीं है इसलिये उसके बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है।

मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि बुढ़ानियां एक छोटा सा गांव है जिसकी आबादी १ हज़ार के लगभग है, लेकिन आस पास की ढाणियें मिलाकर तीन-चार हज़ार की आबादी वहां पर है। जिस समय ज़िले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी काम कर रही थी उस वक्त झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी कि बुढ़ाणियां में औषधालय खोला जाय। इसके लिये कुछ पैसा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने दिया था और कुछ पैसा ग्रामवासियों ने इकट्ठा करके औषधालय की इमारत बना दी थी लेकिन

१.५४ म० प०

(श्री निरंजनाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह इमारत वैसी की वैसी पड़ी है। इन बातों को दो-तीन साल बीत गये हैं लेकिन

(श्रीमती सुमित्रादेवी)

डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी की सिफारिश के बावजूद भी वहां पर कोई वैद्य नहीं भेजा गया है और इमारत खाली पड़ी है। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि खाली इमारत पड़ी है इसलिये आगामी वर्ष में वैद्य वहां पर अवश्य भेजने की व्यवस्था करें।

इसके अलावा मैं मन्त्रीजी से एक नम्र निवेदन और करना चाहती हूं और वह यह है कि झुंझुनूं जिला उन बदकिस्मत जिलों में से है जहां पहले डी. एम. एच. एस. का ऑफिस था। पहले सीकर और झुंझुनूं दोनों जिलों के डी. एम. एच. एस. का ऑफिस झुंझुनूं में था लेकिन किन्हीं कारणों से झुंझुनूं से हटा लिया गया है और आजकल सीकर में है। मुझे इस पर ऐतराज नहीं है कि सीकर में है, लेकिन मैं यह चाहती हूं कि दोनों ही जगह अलग अलग हो, सीकर में अलग रहे और झुंझुनूं में अलग रहे। इसके अलावा मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि बुदानियां ही अकेला ग्राम नहीं है जहां इस प्रकार का औषधालय भवन है बल्कि झुंझुनूं डिस्ट्रिक्ट में दो–तीन जगह ऐसी हैं जहां भवन हैं और जिनके बारे में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने सिफारिश की थी कि यहां पर औषधालय खोले जायं लेकिन वैद्यों के अभाव में वे अब तक खाली पड़े हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आगामी वर्ष में वहां पर वैद्य भेजने की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Let us take the less complicated subject first. The Hon'ble Minister to reply.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर सदन में माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये और ६६ कट मोशन्स प्रस्तुत किये। भिन्न भिन्न विचार जो माननीय सदस्यों ने प्रकट किये हैं और इतनी दिलचस्पी दिखलाई है उसके लिये मैं उनका आभारी हूं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): हमने लिखा दिया, वह याद रहे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस विभाग की, स्वास्थ्य विभाग की अहमियत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और राजस्थान इसकी अहमियत को समझता है और मैं समझता हूं कि जनता भी धीरे धीरे इस विभाग की अहमियत को समझने लगी है और इसी कारण से माननीय सदस्यों ने इतनी दिलचस्पी इसमें दिखलाई है। यही कारण है कि पहले राजस्थान में इस विभाग का सिर्फ एक मिनिस्टर था और अब उसके बजाय २ मिनिस्टर हो गये हैं। काम बहुत बढ़ जाने की वजह से, जिम्मेदारियां बढ़ जाने की वजह से दो मिनिस्टर हो गये हैं। इस सम्बन्ध में ऐसा खयाल किया जाता है कि एलोपेथिक और आयुर्वेद दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है इसलिये अलग अलग मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी बात नहीं है....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : ऐसी ही बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस समय ये दोनों विभाग मेरे पास थे उस समय भी मैं बराबर विश्वास दिलाता रहा हूं, हालांकि एलोपेथिक का बजट ज्यादा था और आयुर्वेद

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

का कम था, उसके बावजूद भी जो काम आयुर्वेद के लिये उस समय किया गया और अब किया जा रहा है वह कम नहीं है और आयुर्वेद प्रगति के रास्ते पर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एलोपेथिक और आयुर्वेद में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों भाई हैं जो जनता को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अगर ऐसी बात है तो बड़े भाई आयुर्वेद के लिये छोटा भाई एलोपेथिक त्याग करने के लिए तैयार है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद बड़ा भाई है इसको मंजूर करते हैं क्या ?

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेद बड़ा भाई है यह मानी हुई बात है। अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो लैन्सडाउन हॉस्पिटल की बिल्डिंग आयुर्वेद कॉलेज के लिये देने को तैयार हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : जोइन्ट फेमिली टूट चुकी है।

श्री जनार्दनराय नागर : यदि दोनों भाइयों की बात करते हैं तो लैंसडाउन हॉस्पिटल की इमारत देने को तैयार हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

२ म० प०

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब इस विभाग ने तरक्की किस प्रकार की है, किस प्रकार से ध्यान दिया है इस बारे में माननीय सदस्यों के सामने तथ्य रखना चाहता हूं। जब से राजस्थान बना है तब से इस विभाग का स्टाफ करीब २ दुगुना हो गया है। इसमें जो दवाओं की व्यवस्था थी, वह तिगुनी से भी ज्यादा हो गई है, इसकी जो इन्स्टिट्यूशन्स हैं वे दुगुनी हो गई हैं और अन्य स्टेट्स के मुकाबले में, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके मुकाबले में भी इसमें कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि सन् १६५०–५१ में जो ड्रग्स के लिए १२ लाख रुपये खर्च करते थे वहां आज हमने ३७.७६ हजार रुपये का इस बजट में प्रोविजन किया है, जो करीब तिगुने से भी ज्यादा है। इसी तरह से डाइट के लिए हमारे यहां ७,६३,८५० रुपये का बजट था, वह धीरे धीरे बढ़ते हुए १६,२१,५०० रुपये का हो गया है। इसी तरह से इक्विपमेंट के लिए जो हम प्रोवाइड करते थे उसमें हमने १० लाख रुपये स्पेश्यली प्रोवाइड किये हैं, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में। उसके अलावा १६५०–५१ में १,१०,३१० रुपये प्रोवाइड किये थे, वह बढ़ते–बढ़ते १० लाख तक हो गया है। लास्ट ईयर हमने ६,८२,६१० रुपये प्रोवाइड किये थे....

श्री जनार्दनराय नागर : इसके मुकाबले में दवाइयों की मिकदार कम होती गई है, यह आश्चर्य की बात इसमें आई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्टर्ब न करें, यह साहित्य की बात नहीं है, आंकड़ों की बात है।

श्री जनार्दनराय नागर : आंकड़े की बात कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order please Mr. Nagar !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य प्रान्तों के मुकाबले में इस विभाग में कितना खर्च होता है, इसके सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। टोटल एक्सपेन्डीचर वास्तव में जितना अन्य प्रान्तों में है, जितना मेडीकल के लिए प्रोवाइड किया जाता है, मैं मेडीकल के आंकड़े दे रहा हूं, आयुर्वेद के आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं, इसे ध्यान में रखें। तो बम्बई में टोटल एक्सपेन्डीचर ३.५ खर्च होता है

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : कितना बताया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३.५, १६५७-५८ में। १६५८-५९ में यह ४.३ हो गया। केरल में ४.१ खर्च होता है, मद्रास में ४.५ खर्च होता है, मध्य प्रदेश में ३ पर्सेन्ट होता है, पंजाब में १.६ है, उत्तर प्रदेश में २.७ है, वेस्ट बंगाल में ५.७ है और राजस्थान का हाइएस्ट रेकॉर्ड है ५.८ का....

श्री चन्दनमल वैद : हाइएस्ट खर्च है, काम करते नहीं हैं।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्य मेरे विभाग की शिकायत करें कि स्वास्थ्य का प्रबन्ध अच्छा नहीं है तो मुझे अफसोस हो जाता है। औरों की शिकायत हो तो ठीक है। मैं अर्ज कर रहा था कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में टोटल एक्सपेन्डीचर का पर्सेन्टेज राजस्थान का हाइएस्ट है। इसके अलावा हमने पर-केपिटा का हिसाब भी लगाया है तो देखा कि बहुत से प्रान्तों के मुकाबले में पर-केपिटा खर्च राजस्थान में ज्यादा होता है। मद्रास में १२६ नये पैसे पर केपिटा, मद्रास में १८८ नये पैसे पर-केपिटा, यू० पी० ८७ नये पैसे पर-हैड के हिसाब से खर्च होता है, पंजाब में १५६ नये पैसे पर-केपिटा और राजस्थान में १७४ नये पैसे पर-हैड खर्च होता है....

श्री जनार्दनराय नागर : Very good.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ प्रान्त ऐसे हैं जहां ज्यादा खर्च होता है। परन्तु पर, केपिटा खर्च के मुकाबले में भी राजस्थान ऊंचा है....

श्री जनार्दनराय नागर : यह भी बता दें....

२. म० प०

श्री उपाध्यक्ष : Order! order Mr. Nagar !! Mr. Nagar will please not disturb the House.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये फिगर्स मैं इसलिए दे रहा हूं....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह हेबिट हो गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस ओर जागरूक हैं कि जनता के स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा रुपया प्रोवाइड किया जाय। एक माननीय सदस्य ने कहा कि एजूकेशन

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

का बजट राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, उस रफ्तार से मेडीकल का बजट नहीं बढ़ रहा है ...

श्री चन्दनमल वैद : नहीं बढ़ रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ठीक है कि मेडीकल पर खर्चा एजूकेशन के मुकाबले में कम है। लेकिन बजट की स्टडी से यह जाहिर होगा कि एजूकेशन के बाद में नम्बर मेडीकल का है। अगर कम्पेरेटिवली देखें तो उसके अन्य मदों से....

श्री चन्दनमल वैद : पुलिस से कम है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : पुलिस से कम खर्चा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पुलिस से ज्यादा है, मेडीकल एण्ड हैल्थ का बजट देखें तो पुलिस से ज्यादा है। राजस्थान सरकार ने, यह बात ठीक है, एजूकेशन के प्रसार के लिए काफी काम किया है लेकिन जितना काम मेडीकल के प्रसार के लिए किया गया है वह भी कम नहीं है और इसके अन्दर अधिक प्रसार नहीं हो सका, उसके कुछ कारण हैं, जिन्हें माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। जितने स्टाफ की हमको आवश्यकता है, उतने स्टाफ का हम प्रोविज़न नहीं कर सके। स्टाफ की कमी सिर्फ राजस्थान में नहीं, हिन्दुस्तान भर में स्टाफ की कमी है। सब माननीय सदस्य जानते हैं कि डॉक्टरों की हमारे यहां कमी है, उसको पूरा करने के लिए काफी प्रयास किया। दूसरा मेडीकल कॉलेज भी खोला बीकानेर में। इसके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना मे दो नये मेडीकल कॉलेज और खोलने की व्यवस्था कर रहे हैं और यह इस दृष्टि से कर रहे हैं कि हमारे यहां जो डॉक्टरों की कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थिति में हिन्दुस्तान की जितनी सरकारें हैं उनको लिखने की कोशिश की, सबको लिखा कि अगर डॉक्टर मिल सकते हैं तो उसकी व्यवस्था करें। बंगाल में डॉक्टर मिल सकते हैं। वहां हमने पी. एस. सी. के एक सदस्य को और डाइरेक्टर साहब को भेजा। वहां से डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश की। डॉक्टरों के अलावा और जो स्टाफ की कमी है; तो परसों जो हैल्थ की डिमान्ड थी उस समय मैंने अर्ज किया था कि फीमेल स्टाफ की ट्रेनिंग की हमारे यहां व्यवस्था है लेकिन उनकी ट्रेनिंग के लिए जो रिक्वीज़िट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको रिलेक्स करके क्वालिफिकेशन रखी, लेकिन जिस क्वालिफिकेशन की लड़कियां चाहते हैं वे नहीं मिलती हैं। इसलिए जो सेन्टर खोला हुआ है। उसमें जिस प्रकार की एजूकेशन देते हैं, ५० रुपये स्टाइपेन्ड के लिए रखे हैं, उसके बावजूद भी जितनी लड़कियां अवेलेबल होनी चाहिए वे नहीं मिल पा रही हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ने आयन्दा के लिए व्यवस्था सोची है....

श्री जनार्दनराय नागर : अंग्रेजी ज्ञान अनिवार्य होगा तो कहां से मिलेंगी ?

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : हैबिट पड़ गई है।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बराबर....

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I will try to control Mr. Nagar now. He will not disturb the House.

श्री जनार्दनराय नागर : No, Sir, I am not disturbing.

श्री उपाध्यक्ष : If at all you have some point to be placed before the House as a matter of explanation, you can put it when the Hon'lbe Minister concludes his speech, and not before that.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए स्टेप्स लिये हैं, कमी की पूर्ति हम करना चाहते हैं और स्टाफ की कमी की पूर्ति होने के बाद यह डिपार्टमेंट और ज्यादा उन्नति करेगा, इसका मुझे विश्वास है और मैं माननीय सदयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बजट की कमी की वजह से राजस्थान में किसी प्रकार की सुविधाओं के अन्दर कमी नहीं होगी।

अब कुछ माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की बातें कही हैं, लेकिन उनका जिक्र करने से पहले मैं निवेदन करूं कि आम तौर पर कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का जिक्र किया कि गांवों की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : ठीक बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज करूंगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट मेडीकल हॉस्पिटल थे उनके अन्दर ठीक व्यवस्था की है। उसके अलावा जो काम किया है वह सब काम गांवों के लिए किया है। प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने थे, ब्लॉक के अन्दर, सेकिंड फाइव ईअर प्लान है उसमें प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की व्यवस्था है और १३६ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर राजस्थान में सेकिंड फाइव ईअर प्लान के एंड तक खुल जायेंगे। ये सब प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, जो आपकी पंचायतें हैं, या जो ब्लॉक बने हुए हैं उनकी राय से खोले जाते हैं जहां वे कहते हैं उस गांव के अन्दर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने की व्यवस्था है। इसलिए मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि माननीय सदस्य हिसाब लगायेंगे, तो देखेंगे कि सेकिंड फाइव इयर प्लान में जितने नये इन्स्टिट्यूशन खोले हैं उसका मेजर पार्ट गांवों में खोलने की व्यवस्था की है। इसके अलावा आयुर्वेदिक विभाग की ओर से ६०० औषधालय खोले हैं उन ६०० में से पौने छः सौ खोलने की व्यवस्था गांवों में की है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि सरकार को बराबर इस बात का ध्यान है कि गांवों और गांवों के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए और जितनी भी सुविधायें शहर में मिलती हैं उतनी ही गांवों को दे सकें, इसके लिए निरन्तर और लगातार प्रयास सरकार का रहा है और सरकार आगे भी प्रयास करती रहेगी।

मेडीसिन के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा कि अलग अलग जगहों पर व्यवस्था

Page No.73

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

होनी चाहिए, वह नहीं है । हमने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है डिपार्टमेंट की ओर से और वह यह है कि अस्पताल में जितने बीमार होते हैं उनकी संख्या के हिसाब से दवा हर साल प्रोवाइड करने की व्यवस्था करते हैं । जहां ५० बीमार से १०० बीमार तक होते हैं वहां दो हज़ार रुपये की मेडीसिन देते हैं, जहां १०० से १५० तक बीमारों की संख्या होती है वहां तीन हज़ार की मेडीसिन प्रोवाइड करते हैं, जहां १५० से ४०० तक बीमारों की संख्या होती है वहां ४,५०० रुपये की मेडीसिन देने की व्यवस्था करते हैं और जहां ४०० बीमारों से अधिक संख्या होती है, वहां ६ हज़ार रुपये की दवा देने की व्यवस्था है....

श्री चन्दनमल वैद : बीमारों की डेली संख्या के अनुसार ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री):डेली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसके अलावा जितने बैड्स हैं हॉस्पिटल में, ५० रुपये प्रति बैड के हिसाब से दवा अतिरिक्त दी जाती है । मैं निवेदन करूं कि बैड्स का खर्चा हम अलग देते हैं और बैड के हिसाब से दवा और बढ़ा दी जाती है । किसी औषधालय की ४०० बीमारों की संख्या है उसको ६ हजार रुपये की दवा देंगे । मान लीजिये कि २० बैड्स हैं तो ५० रुपये के हिसाब से और दवा की व्यवस्था करेंगे । इस तरह की हमारी व्यवस्था है, किसी भी क्षेत्र में अगर इस अनुपात से दवाइयां नहीं पहुंचती हैं तो मैंने हिदायत की है कि इस तरह की कमी नहीं रहे ।

इसके अलावा हमने एक नोटिस लगा रखा है कि कितनी दवाइयां फ्री मिलनी चाहिये इसका एक नोटिस हर डिस्पेन्सरी में लगा दिया है कि ये दवाइयां फ्री मिलनी चाहिये....

श्री चन्दनमल वैद : किसी डिस्पेन्सरी में नहीं लगा हुआ है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने खुद ने चैक किया है, देखा है....

श्री चन्दनमल वैद : रतनगढ़ में मन्त्री महोदय पधारे थे तो मैंने उन्हें बताया था कि वहां इस प्रकार का नोटिस नहीं लगाया हुआ था ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब लगा दिया गया होगा ।

(हंसी)

अगर आपको इस तरह की शिकायत है तो मैं दुबारा हिदायत और व्यवस्था करूंगा । कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो बहुत कॉस्टली होती हैं उन्हें यदि बाहर से खरीद कर लाना पड़े तो शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

श्री जनार्दनराय नागर : ८० प्रतिशत बाहर से लाते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी ठीक होने के लिये लाते हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेटर्निटी के बारे में शिकायत है । जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं वहां पर तो मेटर्निटी होम्स हैं वहां दवाइयां और लेडी हैल्थ विज़िटर प्रोवाइड

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

की है। जयपुर में मेटर्निटी सेन्टर के बारे में शिकायत की वह मैं समझता हूं उचित नहीं। जयपुर में जो बड़े अस्पताल हैं वहां पर तो ये हैं ही बाकी और जगहों पर भी इन्तज़ाम है। तो जयपुर के बारे में तो यह शिकायत नहीं होनी चाहिये। जयपुर में इस बात की कमी हो, यह बात नहीं है। हां, बहुत से कस्बे ऐसे हैं जहां आज तक यह व्यवस्था नहीं थी वहां व्यवस्था करनी है। इसके लिये राजस्थान सरकार ने आॅर्डर जारी कर दिया है कि हर साल १५ नये मेटर्निटी सेन्टर बड़े कस्बों में खोले जायं। बड़े कस्बों में हर साल नये १५ मेटर्निटी सेन्टर खोलने का सरकार ने फैसला किया है और इसके बारे में हिदायत भेज दी गई है।....

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : बड़े कस्बों की क्या परिभाषा होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: जहां ५,००० की आबादी है।

लेडी डॉक्टर और नर्सेज़ के बारे में आम तौर से माननीय सदस्यों को शिकायत है और यह विभाग भी यह चाहता है कि हर एक माननीय सदस्य के क्षेत्र में एक लेडी डॉक्टर और यदि लेडी डॉक्टर नहीं हो तो कम से कम एक नर्स की व्यवस्था तो की जाय....

(हंसी)

श्री नन्दनमल वैद : मन्त्री महोदय के यहां कितनी व्यवस्था है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे दुख है कि माननीय सदस्य मुझे इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप भी उनको बड़ा लेटीट्यूड दे रहे हैं। I now take it as a presumption that the Hon'ble Minister does not want to yield the floor. Therefore, I will request the Hon'ble Members, specially Mr. Nagar, not to disturbi the House.

श्री जनार्दनराय नागर : I am not disturbing Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस विभाग की इस तरह की योजना है, इस तरह की व्यवस्था है कि हर एक क्षेत्र में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर और मिड्वाइफरी सेन्टर खोले जायं। पर हमारी मजबूरियां हैं। अगर लेडी डॉक्टर की हर क्षेत्र में व्यवस्था नहीं हो सकी तो कम से कम एक नर्स या मिड्वाइफ की व्यवस्था कर दी जाय, इस तरह का हमारा इरादा है।

मदार सेनिटोरियम के बारेमें शिकायत की गई। वह शिकायत मेरे पास भी आई और बड़ी सीरियस नेचर की शिकायत है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मदार सेनिटोरियम सरकार का नहीं है, वह प्राइवेट मिशनरी रन कर रही है। राजस्थान गवर्नमेंट वहां पर-बैड (per bed) पर-एनम १,५०० रुपया उसको सहायता देती है। यह अकेला ही केस है जिसको एलोपेथी साइड में मेडीकल डिपार्टमेंट की ओर से मदद दी जाती है। आयुर्वेदिक में तो और भी कइयों को सरकार द्वारा एड दी जाती है पर एलोपेथी का

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

यही एक इन्स्टिट्यूशन है जिसको मेडीकल डिपार्टमेंट की ओर से मदद दी जाती है। हम इस बारे में रूल्स बना रहे हैं और जांच भी की जायगी और ऐसी आवश्यकता हुई तो हम जितने बैड्स के लिये सहायता देते हैं उसको विद्ड्रॉ करना चाहेंगे। पर हम पहले उनको नोटिस देना चाहते हैं कि आयन्दा इस तरह की शिकायत नहीं आये !

एक उधर के माननीय सदस्य हैं उन्होंने पर्चेजेज़ के बारे में शिकायत की और बहुत जोर का भाषण दिया। आज अखबारों में काफी प्रचार हो गया है, उनका पर्पज़ तो हल हो गया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अब आप अपना पर्पज़ हल कर लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने इस सारे केस को स्टडी किया है। जो रूल्स हैं वे मैंने देखे हैं, जो फाइल है उसको मंगा कर देखा है जो इन्चार्ज ऑफिसर्स हैं उनको बुला कर इस सारे केस को अच्छी तरह से देखा है। जितने एलीगेशन्स उन्होंने लगाये हैं वे सब बेसलैस हैं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे सदन में जो बात कहें तो ज्यादा जिम्मेदारी से कहें। मेरे पास वे रूल्स हैं, फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ, टेन्डर्स वगैरह सब रूल्स के माफिक हैं इस सब काम में किसी भी तरह की कमी नहीं है, मैंने इस बात को देख लिया है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जांच कर लें इस बारे में।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह शिकायत की गई है एक फर्म के बारे में। यह बात है उपाध्यक्ष महोदय, कि सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में टेन्डर के लिये नोटिस निकाला गया। टेन्डर का फार्म छपा हुआ है उसके माफिक जिसने दिया उसका टेन्डर लिया गया, टेन्डर खोलने की तारीख मुकर्रर की उस तारीख को टेन्डर खोले गये। जो अब अनियमितताओं की अफवाह फैलाते हैं उन साहब को भी कहा गया था कि किसी के खिलाफ किसी तरह की शिकायत हो उस वक्त शिकायत कर सकते हैं। उनके सामने टेन्डर खोले गये और कोई टेन्डर देने वाला ब्लैक लिस्टेड हो, उसके खिलाफ कोई सीरियस शिकायत हो तो वह सब उनको उस वक्त कहने का मौका था कि यह टेन्डरर ऑथोराइज्ड नहीं है, या ब्लेक लिस्टेड है या इसके खिलाफ इस तरह की शिकायत है, पर उस समय किसी ने इस तरह की शिकायत नहीं की....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय नहीं तो फिर इस समय शिकायत की वह गलत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बिल्कुल गलत है। बगैर ध्यान दिये बैठिये....

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : यह बात कही, बगैर ध्यान दिये की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास भी शिकायत आई है, मैंने इसमें जांच की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप उससे प्रेजुडिस्ड हो गये हैं !

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Mr. Agrawal !! Please do not disturb the House when the Minister-in-charge is speaking.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I am not going to yield like this.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस लिये खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से लाइटली बहस करते समय सदन में उन लोगों के खिलाफ चार्ज लगा दिये जाते हैं, उन ऑफिसरों के खिलाफ जिनको कहने का अवसर नहीं मिलता। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि उनको इस प्रथा को छोड़ देना चाहिये और अगर कोई शिकायत हो तो मुझे बता दें। अगर मुझे नहीं बतावें तो उनको चाहिये कि पूरी तरह से उनको वेरीफाई करना चाहिये।

इस सम्बन्ध में रूल्स बने हुए हैं। आप बतावें कि रूल्स की यहां पर ब्रीच की गई है। मेरे पास रूल्स हैं आप बतावे। टेन्डर्स लिये गये इसमें किसी तरह का ब्रीच नहीं किया गया
कि मार्केट प्राइस इसमें दूसरी है और आपने जो सामान खरीदा है उसकी प्राइसेज़ ज्यादा हैं। हमने टेन्डर्स हिन्दुस्तान के सारे पेपरों में निकाले थे और सैकड़ों आदमियों ने अपने अपने टेन्डर दिये थे। अब आप कहते हैं कि मार्केट रेट से ज्यादा रेट आपने उनको दिये। आपको शक है और उसका (शक का) तो दुनिया में कोई इलाज नहीं होता और न होने वाला है। आप अब भी कहते हैं कि मार्केट रेट से ज्यादा रेट के टेन्डर्स को आपने मंजूर किये। मैं यह कहता हूं कि हमने कब उनको मना किया कि वे टेन्डर न दें? उनको चाहिये था कि वे भी अपना टेन्डर देते। अगर हम उनके टेन्डरों को रिजेक्ट कर देते तो आपको शिकायत होनी चाहिये थी।

अब यह शिकायत की गई कि कुछ दवाइयें ऐसी हैं, इसके लिये एक कम्पनी का खास तौर से नाम लेकर कहा गया और कहा गया कि यह तो सारा भ्रष्टाचार किया गया। वह भदवाड़ कम्पनी का नाम लेकर कहा गया कि यह कम्पनी कोई ब्लैक लिस्टेड कम्पनी है। इस पर मुकदमा चल रहा है। यह भी कहा जाता है कि यह आदमी मैन्युफेक्चरर की तरफ से ऑथोराइज्ड नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में सारी बातों की जानकारी की और वेरीफाइ किया और यह मालूम हुआ कि यह बात बिल्कुल निराधार और गलत है। वह सोल डिस्ट्रीब्यूटर है। दो कम्पनियों का है एक है ब्रुक एन्ड को और दूसरी है वार्ड एन्ड कम्पनी। हमने इसकी जांच की है और हमारे पास इसके लिये एविडेन्स हैं।

यह ठीक है कि हमने इनके नाम ८४ आइटम मंजूर किये हैं। उनमें से पांच आइटम्स को छोड़ कर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी प्राइसेज़ सबसे लोएस्ट है अगर कोई शंका करते हैं और इसको नहीं समझते तो इसके लिए तो दुनिया में कोई इलाज ही नहीं है और न कोई इलाज होना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह बतावें कि उनका प्रोसिक्युशन हुआ या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां पर कोई प्रोसिक्युशन नहीं हुआ। यह कहा जाता है कि इन्दौर में हुआ है। बहुत से लोगों पर केस चलते हैं। मगर हमारे यहां पर डिपार्ट-मेंट में कोई जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जान-कारी देता हूँ, आप जानकारी करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत सी फर्म्स होती हैं प्रोसिक्युशन होता है और ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! माननीय मंत्री ! मैं फिर व्यवस्था देना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसे प्रश्न हों जिसमें कोई शंका हो और उसका आप समाधान करना चाहते हैं तो माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त करें उस समय प्रश्न का स्पष्टीकरण करने की मांग मंत्री महोदय से कर लें। किन्तु इस तरह वाद-विवाद के मध्य बाधाएं उप-स्थित की जावेगी तो इसका अन्त नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया जा सकता है कि जो सदस्य की जानकारी में सही नहीं हो तो उसको चेलेन्ज करने का क्या तरीका होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई सा भी पोइन्ट जब माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त करें उसके बाद रख दीजिये। माननीय मंत्री महोदय उचित समझेंगे तो उसका जवाब दे देंगे। मगर वाद विवाद में बाधा नहीं पहुँचाई जानी चाहिए।

(श्री भैरोंसिंह के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहा गया कि उसके खिलाफ बड़ोदा में केस चल रहा है। इसके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले तो हमारे यहां रूल्स में कोई इस तरह का बान नहीं है और इसके अलावा न कोई शिकायत करने वालों ने कोई इस बात की शिकायत की। आज यह कहा जाता है कि उन पर मुकदमा चल रहा था। इसके लिये न तो हम बम्बई या दिल्ली में किसी पर मुकदमा चला हो उसको वेरीफाई करने जा रहे हैं और न इसके लिए हमारे कानून में रोक है। अगर उस फर्म को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ब्लैक लिस्ट कर देती है तो हम भी कर देते हैं। महज़ प्रोसिक्युशन होने से उस पर जुर्म साबित हो गया हो, ऐसी बात नहीं मानी जा सकती है।

एक बात यह कही गई कि इस कम्पनी को सहायता करके सारा धन लुटा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जो इसके आइटम स्वीकार किये उसमें से ५ आइटम ऐसे हैं उसके संबन्ध में मैं डेटा लाया हूं। हमारे यहां रूल ३० है मेडीकल डिपार्टमेंट का "It is not binding on the committee to accept the lowest tender as a matter of principle and it is left entirely to the discretion of the committee to accept the rates." इसका कारण क्या है, मैं अर्ज करना चाहता हूं। हम दवाइयें खरीदते हैं उसमें यह देखते हैं कि कौनसी अच्छी दवाइयें होती हैं। आज आप कभी भी

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

देशी दवाइयें खरीदते हैं तो उसमें बहुत तरह की दवाइयें होती हैं कई आसव और अरिस्ट होते हैं। चार या पांच कम्पनीज़ उनको बनाती हैं। अब आपको यह देखना होता है कि कौन सी कम्पनी अच्छी दवाइयें बनाती है। इसलिये हमने अपने रूल्स में यह बात रखी है और एक्सपर्ट यह कहते हैं कि फलां कम्पनी का यह माल अच्छा है तो हम उनसे खरीदते हैं। इसमें सिर्फ ५ चीजें ऐसी हैं और उनकी सारी कीमत लगाई जाए तो आपको मालूम होगा कि उसमें क्या डिफरेन्स पड़ता है। पांच चीजें ऐसी हैं और उनकी खरीद के लिए रीज़न्स दिये हुए हैं और कमेटी ने बैठ कर तय किया है। इसमें आप देखेंगे कि एक तो अस्थमा की दवा है। एक्सपर्टों की राय यह है कि फलां कम्पनी की अच्छी दवा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने स्पेसिफिकेशन दिया था क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टेन्डर के मुताबिक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने ये ५ आइटम्स हायर रेट से स्वीकार किये। उनमें से एक में तो ७०) रु० का फर्क पड़ता है, एक में ४००) रु० का, एक में २० नये पैसे का और एक में ६५) रु० का और एक में ६६) रु० का। इसके अलावा एक दवा तो १/२ (आधी) ही ली जावेगी। आप ही अब देखिये कि इसमें किसने भ्रष्टाचार कर लिया ? सदन में बैठ कर इस प्रकार के एलीगेशन्स लगाना आसान है ....

श्री भैरोंसिंह : आपने टेन्डर में स्पेसिफाई किया है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

(विराम)

मैं फिर आदेश देता हूं कि इस प्रकार के अगर कोई इन्टरप्शन्स उठाये जावें तो उसका जवाब नहीं दिया जावे। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहुंगा।

श्री जनार्दनराय नागर : यह इशारा हमारी तरफ होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, strictly you will adhere to that.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लॉएस्ट टेन्डर हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसेस क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पर्चेजेज़ के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से यह शिकायत थी और यह बात कही गई कि अप्रेल में टेन्डर कॉल किये गये और अक्टूबर में तय किया। मैंने यह देखा है। टेन्डर जुलाई में इश्यु किये और उसके लिए दो महीने का समय दिया गया था। वे ८ अगस्त को हुए। बिल्कुल ठीक दो महीने के बाद ऑर्डर इश्यु कर दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन सी तारीख को ऑर्डर दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब पर्चेजेज़ के अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में असुविधाओं के लिए शिकायत रखी है। वे सब कट मोशन्स रखे गये हैं उनके बारे में नोट कर लिया है।

एक माननीय सदस्य : सक्युंलर इश्यु किया उसके बारे में बता दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है, मैं उसके मुताबिक चल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will proceed on.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में जो कमियें बताई हैं और जो अभाव है उनके बारे में जो बातें रखी हैं उनको हमने नोट कर लिया है। जहां तक स्टाफ और दवाइयें नहीं मिलने के बारे में शिकायत हैं, जहां तक हो सकेगा उसकी व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करेंगे और किसी प्रकार की किसी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होगी। जैसे धौलपुर के बारे में खास तौर से शिकायत की गई कि वहां के हॉस्पिटल का ट्रेडिशन है उसको ए बनाने का। मैं यह कहूंगा कि हमने सारे राजस्थान में इसके लिए नियम बनाये हैं। ये नियम राजस्थान में सभी जगह लागू करेंगे। इसमें धौलपुर में कोई किसी बात की गड़बड़ी करें, इस तरह की बात नहीं हो।

इसके अलावा कई डिस्पेन्सरीज़ के बारे में कहा गया और यह कहा गया कि जहां एड-पोस्ट हैं वे एबोलिश कर दिये जावें और डिस्पेन्सरीज़ खोली जावें और खास करके ऐसे स्थानों में जहां ब्लॉक्स नहीं हैं। जहां पर ब्लॉक्स हैं वहां पर तो सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के अन्त तक सब जगह हैल्थ सेन्टर्स खोल देंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : शेडो ब्लॉक्स में?

श्री उपाध्यक्ष : छाया ब्लॉक्स इसमें नहीं आते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : छाया ब्लॉक्स में जब तक वह ब्लॉक नहीं बन जाता तब तक व्यवस्था नहीं कर सकते। थर्ड फाइव इयर प्लान में छाया ब्लॉक सब ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाने वाले हैं। उसके बाद वहां पर भी हैल्थ सेन्टर्स हो जावेंगे।

बाड़मेर के बारे में शिकायत आयी। मैं बताना चाहूंगा कि अभी जब केबिनेट का दौरा हुआ तो मैंने बाड़मेर हॉस्पिटल को देखा। नया अस्पताल बनाने की स्वीकृति दे दी है। शहर में अस्पताल बनने की जगह नहीं है। वहां पर सी. एम. ओ. का ऑफिस कायम किया जाय, यह भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जहां जहां पर कमियां हैं, विशेष तौर पर उन पर ध्यान दिया जावेगा।

कोटपुतली स्टाफ के बारे में व्यवस्था करने के लिए कहा गया। माननीय सदस्य द्वारा जो भाषा काम में लायी गयी वह आवश्यक नहीं थी उन्होंने कहा कि झूठ बात कही। मैं आपको बताऊं कि मिनिस्टर जो बात सदन में कहता है, जो विभाग से जबाब मिलता है वही तो कहता है। हो सकता है कि वह बात गलत हो, लेकिन झूठ कहा जाय, यह बात नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): झूठ और गलत बात में क्या फर्क है? एक ही है।

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): I object, Sir, to the Hon'ble Member bringing pressure on the Hon'ble Minister by sending chits.

श्री उपाध्यक्ष : May I know the name of the Hon'ble Member ?

श्री पी. के. चौधरी : Mr. Nagar has sent the chit and the Hon'ble Home Minister has carried it.

श्री उपाध्यक्ष : I don't think...

श्री पी. के. चौधरी : We will also send chits and exert pressure.

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Deputy Speaker, Sir, मैंने तो लीडर ऑफ दी हाउस के निर्वाचन क्षेत्र की बात बताई थी।

श्री उपाध्यक्ष : Simple thing, you see. You will proceed on.

श्री चन्दनमल वैद : It means Mr. Nagar is Deputy, Sir.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बीकानेर मेडीकल कॉलेज के बारे में कहा गया और खास तौर से होस्टल के बारे में कहा गया। इस सम्बन्ध में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमने ३,२८,०००) रुपया होस्टल के लिए सेंक्शन कर दिया है। होस्टल बनाने का काम अब पी० डब्ल्यू० डी० विभाग के पास है इसलिए अब आप पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब से जानकारी करेंगे कि वह किस स्टेज पर है। वे इसको बता सकेंगे और मैं भी इसके लिए और कोशिश करूंगा कि होस्टल जल्दी से जल्दी बन जाय। हमारे विभाग की ओर से इसमें खामी नहीं है।

इसी तरह से और भी कमियां बतायी गई। नेचुरोपेथी के बारे में यहां पर जिक्र किया गया था। इसके लिए माननीय आयुर्वेद मंत्री हैं वे इस पर ध्यान आकर्षित करेंगे।

मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि इसी साल हमने तीन बेड्स के लिए एक योगिक सेन्टर कायम किया है। सी स्कीम में काम करते हैं और बहुत सी तरह की बीमारियों का इलाज करते हैं। योगिक सेन्टर दिल्ली में बहुत बड़ा खुला है उसी की यह एक ब्रान्च है। दिल्ली में भारत सरकार की ओर से पांच लाख रुपया देकर व्यवस्था की गई है। माननीय सदस्यों को ज्यादा से ज्यादा इसका उपयोग करना चाहिये।

एक बात डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस के बारे में कही गई कि प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं होनी चाहिये। हमने इस पर विचार किया था कि हम डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस को किसी प्रकार से रोक सकते हैं तो उसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिये। उसके विषय में हमने जांच की तो उसमें बहुत सी कठिनाइयां हैं। एक कठिनाई तो यह है कि हम डॉक्टर्स को कम तनख्वाह देते हैं। पहले १५०)रु० से स्टार्ट करते थे अब २००)रु० से स्टार्ट करते हैं। इसके मुकाबले में हमारे जो दूसरे विभाग हैं और उनमें जो ऑफिसर्स काम करते हैं उनको अधिक पे स्केल देते हैं। इसी कारण से हमने प्राइवेट प्रेक्टिस रखी है। यदि इसको रोक देंगे तो आज जो डॉक्टर्स हमको दूसरी जगह से उपलब्ध हैं वे भी उपलब्ध नहीं होंगे और ज्यादा पे स्केल रखनी पड़ेगी। पे स्केल को देख कर ही हम उनको इजाजत दे रहे हैं। डॉक्टर्स की कमी है, बहुत से लोग इलाज कराना चाहते हैं, सब डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर देंगे तो हमारे हॉस्पिटल्स पर ज्यादा प्रेशर हो जावेगा और जो

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डॉक्टर्स प्राइवेट प्रेक्टिस करना चाहते हैं केच आप नहीं कर सकेंगे। इन बातों को देख कर यह ड्रॉप कर दिया गया। अभी उसका समय नहीं आया है और यदि कोई कमी होगी तो हम उसको दूर करेंगे। एक विजिलेन्स कमेटी के बारे में कहा गया। हमने यह दो साल के लिए बनाई थी। उसका टाइम एक्सपायर हो गया है और उसको रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं।

एक कहा गया कि डॉक्टर्स की सीनियोरिटी के बारे में ५४ में शिकायत की गई। इस वक्त डॉक्टर्स का सिलेक्शन, ग्रेडेशन और सीनियोरिटी पी० एस० सी० डिटर्मिन करती है। ५४ में जो गड़बड़ी हुई उसके बारे में मैं और पता लगाऊंगा।

एक बात जवाब में शायद रह गई है। वह है, दवाइयां पर्चेज़ करने के बारे में टाइम क्यों एक्सटेन्ड किया गया। मैं बताना चाहूँगा कि टाइम एक्सटेन्ड किया नहीं। हमने यह पूछा था कि आयन्दा क्या उस रेट पर देने के लिए तैयार हैं? इसके लिए केवल एक चिट्ठी लिखी थी। कागज़ात फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में चल रहे हैं। ठीक होगा तो करेंगे। पहले से ही इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं हुआ है।

इन सब बातों की मैंने जवाब देने की कोशिश की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी इजाज़त हो तो मैं एक क्लेरिफिकेशन कर लूं, हालांकि इसके लिए पहले कहा जा चुका है कि बाद में कर लिया जाय। तो क्या कागज़ात फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में ही चल रहे हैं और वहां से फाइनल नहीं कर दिये गये हैं? क्या यह डेफिनिटली मिनिस्टर महोदय कह सकते हैं कि डाइरेक्टर महोदय ने फाइनेन्स डिपार्टमेंट की एप्रूवल नहीं ली है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एप्रूवल नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डेफिनिटली बता दीजिये कि फाइनेन्स से एप्रूवल ले लिया या नहीं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जबानी तो मुझे नहीं मालूम है, जहां तक मालूम है यह है कि कागज़ात एफ० डी० में चल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और कर लिया है फाइनल ?

(शोरगुल)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कर लिया है तो ठीक किया है।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गलत जानकारी सदन को मत दीजिये।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order dlegse, Order please !!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा नहीं कह सकते।

(शोरगुल)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फाइनल करेंगे,

Page No.82

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

एक्सेप्ट करेंगे। यह सारी जिम्मेदारी मैं मेरे ऊपर लेता हूं। हम ठीक कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह गुस्से में क्यों कह रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह क्यों कहते हैं कि यह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में चल रहा है ? आप सदन को धोखा क्यों देते हैं ?

(शोरगुल)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं जिम्मेदारी लेता हूँ।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !! The Chair is on its legs.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : धोखा क्यों देते हैं, बतायें ?

(शोरगुल)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बताने का सवाल क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप सदन को धोखा क्यों देते हैं ? सही बात सदन को बताना चाहिये।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! No direct talks. I will request the Hon'ble Minister please to...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

Yes, Mr. Arjan Das.

श्री अर्जुनदास (अजमेर–पश्चिम) : The Hon'ble Minister has got a weak memory. He does not remember...

श्री पी. के. चौधरी : I think, Sir, the matter should be dealt outside the House.

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीखाभाई।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : मैंने एक बात रखी थी उसका जवाब नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष : He is not in a mood to reply now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But the Chair had ordered, Sir, that...

श्री उपाध्यक्ष : But he does not like now.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Would the Hon'ble Minister like to clarify any matter now ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने पहले यह आदेश दिया था कि पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन हो तो पूछ लिया जाय। वे बताना चाहें तो बता दें, नहीं चाहें तो नहीं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वे यह केटेगोरिकली बता दें कि सर्कुलर की फाइल चल रही है उस पर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से फाइनल एप्रूवल प्राप्त कर ली गई है या नहीं ? दूसरा बदावर एण्ड कम्पनी के बारे में, केटेगेरीकली बता दें, वे कह सकते हैं केटेगेरिकली कि दिल्ली की कोर्ट में प्रोसिक्युशन हुआ है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : Question number one has already been replied.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वे कहते हैं कि हमें क्या मतलब है, इस बात से ?

श्री उपाध्यक्ष : That has been replied by the Hon'ble Minister.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन्होंने क्या कहा इस बारे में ? वे तो गुस्से में कह गये ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा पॉइन्ट बता दीजिये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन ट्रेडर्स ने, ५६.६६ का एक्सेप्ट किया है, हर एक में क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट इन्कम टैक्स का दिया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिन्होंने क्लियरेन्स सर्टिफिकेट नहीं दिया उनके टेन्डर्स एक्सेप्ट नहीं हुए । उनको नहीं लिया है । मेरी यह जानकारी है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से एप्रूवल नहीं हुआ है । मेरे डिपार्टमेंट की जो जानकारी है वह मैं कहता हूं । अभी अभी मेरे सेक्रेटरी ने यह लिख कर दिया है ।

(हंसी)

इसके अलावा प्रोसिक्युशन दिल्ली में हुआ है तो हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं और रूल्स में किसी तरह की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: Yes, ShriBhikhaBhai

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्यों ने कल से इस मांग पर बहस करते हुए इस विभाग के मुतल्लिक बहुत सी बातें कही हैं और उन्होंने इस बात की पैरवी की है कि दर असल आयुर्वेद विभाग को ज्यादा रुपया दिया जाय । उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह विभाग उपेक्षित रहा है । यह बात गलत है....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Nagar, I must expect your co operation also in the House. I don't want to take a stern note of it.

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : My submission is that we...

श्री उपाध्यक्ष : It is a double-fold duty on the whip.

श्री जनार्दनराय नागर : I am torn between two responsibilities, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You will please not compel me to take a serious note what is being done in the House.

श्री भीखाभाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि दर असल में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता

(श्री भीखाभाई)

हूं और इसके साथ साथ जो सस्ती सहानुभूति प्रदर्शित की है आयुर्वेद के बारे में उसके बारे में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो उन्होंने यह कहा कि आयुर्वेद का बजट बहुत कम है, इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि दर असल राजस्थान सरकार अन्य राज्यों की अपेक्षा आयुर्वेदिक पद्धति पर ज्यादा खर्च कर रही है और इस ओर काफी ध्यान दिया है । मैं यह आयुर्वेद में जो आंकड़े रखे हैं उनसे यह प्रमाणित करना चाहता हूं । राजस्थान में जब अन्य राज्यों का विलीनीकरण हुआ उस वक्त इसके लिये ६ लाख का बजट था, आज हम देखते हैं कि उसके लिये ५३ लाख का बजट है । विलीनीकरण के पहले जोधपुर राज्य के अन्दर एक औषधालय को २०० रुपये तक की दवाइयां दी जाती थीं और उसमें एक वैद्य काम करता था । उसके मुकाबले में आज जो सी श्रेणी का औषधालय है वहां ६०० रुपये की दवाइयां मिलती हैं; एक वैद्य, एक उपवैद्य और एक परिचारक रहता है । दर असल राजस्थान जब बना उस समय जिसका बजट ६ लाख था उस समय वैद्यों की संख्या ३६६ थी । प्रथम पंच वर्षीय योजना में ६ लाख रुपये के बजट के मुकाबले १५ लाख का बजट किया गया और वैद्यों की संख्या ३६६ हो गई थी....

श्री जनार्दनराय नागर : आंकड़ों में फर्क है ।

श्री उपाध्यक्ष : You will avoid whatever comes from that side. I mean from the side of Mr. Nagar.

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़ों के मामले में माननीय सदस्य ज्यादा नहीं जानते, साहित्य में गतिविधि है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि विलीनीकरण के समय हम आयुर्वेद के लिये ६ लाख रुपया खर्च करते थे उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना में वह बजट बढ़ कर १५ लाख हो गया । उस समय में औषधियों के लिये १,३६६ रुपये करीब खर्च किये गये। वैद्यों की संख्या जो ३४६ थी वह बढ़कर १,०८२ हो गई, उसके बाद ५०० हुई व आज उनकी संख्या १,५०० है । इस प्रकार जो अभिवृद्धि की गई वह इस बात का प्रमाण है कि हम आयुर्वेद के प्रति कितने सजग हैं । राजस्थान सरकार इस ओर निरन्तर प्रयत्नशील है कि हमारी आयुर्वेदिक पद्धति जो देशी पद्धति, जिसका सम्बन्ध हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है; मां अपने होने वाले बच्चे को शुरू से जन्म घुटी देती है । यह प्रणाली ऐसी है जो हमारे घरों में शुरू से ही काम में ली जाती है, हमारे घर से जिसका सम्बन्ध है और इसके साथ साथ कम खर्चे में । इस बारे में राज्य सरकार बहुत जागरूक है । राजस्थान सरकार ने इसको आगे बढ़ाने में बहुत कदम उठाये हैं । इसमें सब से पहला जो काम किया पंजीकरण का काम किया इन्डियन मेडिसिन बोर्ड की स्थापना की । वैद्य सभा जो गैर सरकारी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके द्वारा जो भी प्रस्ताव पास होते हैं उसके अनुसार हमने एक बोर्ड का गठन किया वह; बोर्ड हमें बराबर परामर्श देता रहता है ।

इसके अलावा कुछ माननीय मित्रों ने यह भी कहा कि आयुर्वेद शिक्षा की उपेक्षा की जाती है । मैं उनसे निवेदन करूं, ऐसी बात नहीं है । राजस्थान सरकार इस बारे में

(श्री भीखाभाई)

बहुत जागरूक है ।दो आयुर्वेदिक कॉलेज ऑल रेडी चल रहे हैं, पांच गैर सरकारी कॉलेजों को अनुदान दे रहे हैं जो करीब ६० हजार रुपये के है । एक युनानी कॉलेज चलता है ।

इसके अलावा एक बात सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने अनुसंधान के बारे में कही । उनका कहना था कि अनुसन्धान के बारे में हम उपेक्षा कर रहे हैं, दर असल इस प्रकार की बात नहीं है । हमें भारत सरकार द्वारा नाहरू रोग के लिये २० शैय्या दी गई, उसमें १० शैय्या और मिली हैं। इससे प्रमाणित होता है कि हम अनुसन्धान के विषय में कितने जागरूक हैं । गैर सरकारी तौर पर भी जो अनुसन्धान किये जाते हैं उसके प्रति भी हम बहुत उदार हैं । रतनगढ़ का एक औषधालय है जहां अस्थमा को लेकर अनुसन्धान हो रहा है वहां औषधालय के संचालक ने हमसे अनुसन्धान के लिये सहायता मांगी, हमने उनको दी । इसके अलावा कलेरा में जो पराद का अनुसन्धान हो रहा है उसके लिये हम सहायता दे रहे हैं । माधव चिकित्सालय से इस प्रकार की मांग आयी वह हमने स्वीकार की और उनको सहायता दिलवाई गई । इसके अलावा हमने केन्द्र के मंत्री श्री कर्मरकर साहब से भी निवेदन किया कि हमें जामनगर में एक सीट मिलनी चाहिये अनुसन्धान के लिये । पक्षाघात के रोगियों के सम्बन्ध में अनुसन्धान के प्रयत्न जारी हैं ।

इसके अलावा गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने चलते-फिरते औषधालयों को चालू करने के सम्बन्ध में कहा । मैं इस बारे में कल्पना नहीं कर सका कि चलते फिरते औषधालय से उनका क्या मतलब है ? अगर वे मुझे समझा देते तो मैं उसका कुछ उत्तर भी देता लेकिन वे खुद भी इस बारे में साफ नहीं हैं । उनको यह पता होना चाहिये कि उनके क्षेत्र में दो जगहों पर औषधालय खोले हैं, समाज कल्याण विभाग की ओर से भी औषधालय चलते हैं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इतनी पार्शियलिटी क्यों: एक जगह तो आप दो–दो औषधालय खोल देते हैं लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक भी नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आपकी तरफ भी आ रहे हैं ।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन कर रहा था कि चलते-फिरते औषधालय का सवाल है इस बारे में कटौती प्रस्ताव रख कर ध्यान आकर्षित किया है और यह भी कहा कि मैं नाहरू से पीड़ित हूं । मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं नाहरू का दुश्मन हूं और सरकार भी इस बारे में सजग है । चाहे वे यह मन्जूर करें या न करें पर इसके लिये सतत् प्रयत्न सरकार की ओर से किये जा रहे हैं । अब तक नाहरू का आयुर्वेद की तरफ से कई मरीजों का इलाज किया गया । सागवाड़ा, चित्तौड़, फलौदी आदि कई जगहों के कई हज़ार लोगों को इससे लाभान्वित किया गया, तो अनुसन्धान की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है, मेरा यह कहना है । दो कॉलेज सरकारी हैं, पांच गैर सरकारी हैं और एक युनानी है। सरकार द्वारा धातृ विद्या केन्द्र उदयपुर, में चलाया जा रहा है धात्रियों की कमी पूरी करने के लिये ।

श्री जनार्दनराय नागर : अनुसन्धान का बजट कितना है ?

श्री भीखाभाई : वह आप बजट में देख लें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार जागरूक है और सरकार की ओर से इस बारे में काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : साहित्य की बात नहीं हो रही है, आंकड़ों की बात हो रही है, नागर साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ?

श्री भीखाभाई : धौलपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि परीक्षा लेने की विधि ठीक नहीं है। बोर्ड की आपने टीका-टिप्पणी की, कहा गैर कानूनी है। मेरी समझ में नहीं आया कि गैर कानूनी कैसे है ? अगर यह बताते तो मैं कुछ कह भी सकता। मैं निवेदन कर दूं कि इस बारे में दर असल बात यह है कि राजस्थान सरकार के बनने के पहले विभाग के द्वारा स्टेट के वक्त में परीक्षा ली जाती थी। अब नई व्यवस्था करने का सरकार का पूरा पूरा इरादा है युनिवर्सिटी से हमारा पत्र-व्यवहार चल रहा है। फैकल्टी बनाने के लिये ३० हजार की धन-राशि भी हमने रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि वे इसमें सहयोग दें कि युनिवर्सिटी जल्दी से इसे मान ले।

यह भी कहा गया कि धौलपुर में एक युनानी औषधालय चल रहा है आयुर्वेद औषधालय के साथ साथ, उसे अलग किया जाय। मैं मानता हूं कि उन की यह वाजिब मांग है। हम दूसरा मकान लेना चाहते हैं। जब तक मकान की व्यवस्था न हो जावे तब तक इसे कर नहीं सकते। जैसे ही मकान मिल जावेगा, अलग अलग कर देंगे।

वेतन स्केल के बारे में मानता हूं, विचारने के योग्य बात है। सरकार विचार कर भी रही है और करना भी चाहिये, इसमें कोई शक नहीं;

('हियर हियर' की आवाज़)

पर अपने प्रावधानों को देखते हुए जो इन्क्रीमेन्ट या इम्प्रुमेन्ट धीरे धीरे हो सकता है उस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। जहां तक तृतीय श्रेणी के वैद्यों को 'सी' का इन्क्रीमेन्ट देना था उसकी घोषणा हम पहले कर चुके हैं।

औषध-निर्माण के सम्बन्ध में भी कुछ प्रस्ताव आये। मैं समझता हूं कि औषध निर्माण का काम बहुत महत्वपूर्ण है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेन्डर्ड दवाइयां बनानी चाहिये। मैं भी मानता हूँ। इसमें दो राय नहीं है। सरकार ने एकीकरण का काम उठाया था। पर बाद में यह हुआ कि स्थानीय क्षेत्रों में जो काम हो रहा है उसमें स्पेशल दवाइयां बनाना ही रह जावेगा। इस पर से यह विचार किया गया है कि केन्द्रीय रसायन शाला को तो सुव्यवस्थित किया जावे और दूसरे जो इस तरह की दवाइयां बनाते हैं उनको भी रखा जावे। तो जहां तक औषध निर्माण का काम है सरकार बड़ी सतर्कता और होशियारी से सब प्रबन्ध कर रही है।

श्रीमाधोपुर से आने वालों ने जो राय दी उसकी मैं कद्र करता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे अनासिन, एस्प्रो एक बीमारी के लिए एक पेटेन्ट दवा है इसी तरह आयु-

(श्री भीखाभाई)

वेंद में भी होनी चाहिये। इस पर सरकार विचार कर रही है।

बाकी और बातें जो उन्होंने कहीं कि वैद्य प्राइवेट में दवाइयां बेच देते हैं, ऐसा है नहीं। अगर ऐसी बात थी तो वे मुझे कह सकते थे, स्वास्थ्य मन्त्रीजी से कह सकते थे।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : पड़ौस में पूछ लें जरा।

श्री भीखाभाई : ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। आपने यह भी फरमाया कि ऐलोपेथी दवाइयों का अवलम्बन भी वैद्य लोग करते हैं। नहीं करना चाहिये। इस बारे में राज्य सरकार की ओर से आदेश भी जारी हो चुके हैं और साल भर पहले ही हो चुके हैं।

तो मैं यह निवेदन कर दूं कि इस बारे में लगातार कोशिश हो रही है। प्राकृतिक चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव आया था। माननीय सदस्या यहां उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने अच्छे विचार प्रगट किये थे। उन्होंने कहा था कि यह कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि एक जीवन पद्धति है। मैं इसको मानता हूँ। दर असल में यह आयुर्वेद का ही अंग है। पंचम कर्म है। हमारे चिकित्सा शास्त्र, चरक, सुश्रुत, धन्वन्तरि में ये चीजें आती हैं। हमने दो हज़ार वर्ष पूर्व विज्ञान की साधना करली थी। आज भी त्रिदोष में जैसा अनुसन्धान इसमें किया गया है और कहीं नहीं है। और भी अनुसन्धान करने की आवश्यकता है। आज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अंगों का अध्ययन करना आवश्यक है और इसमें रिसर्च की बहुत गुंजाइश है। रिसर्च के लिये उनकी राय की मैं बहुत कद्र करता हूं। अगर वे शुरू करें या करावें तो सरकार भी समझेगी कि कुछ अच्छा काम हो रहा है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : नकली वैद्य हूँ।

(हंसी)

श्री भीखाभाई : तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि दर असल प्राकृतिक चिकित्सा अच्छी चीज़ है और इसका दो प्रकार से सरकार ने विचार किया। एक यह कि क्लिनिक बढ़ाये जावें और एक विचार यह भी आया कि क्लिनिक नहीं बढ़ा कर गैर सरकारी तौर से जो प्रयत्न इस दिशा में किये जा रहे हैं उनको बढ़ावा दें। इस दृष्टि से जयपुर के प्राकृतिक चिकित्सालय को भी सरकार ने सहायता दी है, जोधपुर और बीकानेर वालों को भी दी और एक सरकारी स्तर पर भी उदयपुर में चल रहा है। तो जहां तक प्राकृतिक चिकित्सा का सम्बन्ध है वह आयुर्वेद का ही एक अंग है। इनको प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयत्न जारी हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : उदयपुर में कॉलेज भवन का भी है।

श्री उपाध्यक्ष : करा देंगे।

श्री भीखाभाई : रजिस्ट्रेशन के बारे में एण्डियन मेडीसिन बोर्ड के अन्तर्गत वह संस्था थी। पर जो रूल्स हैं उनमें प्रावधान रखा है। दर असल बात यह है कि अनुभव के आधार पर किसी चिकित्सक का पंजीकरण बन्द कर दिया है। जब तक मजिस्ट्रेट प्रमाणित न करें, डिग्रियों न हों; आगे उनका

(श्री भीखाभाई)

पंजीकरण नहीं करेंगे, इस बारे में कह दिया है।

आयुर्वेद के प्रति ऐसा कहा गया कि लोगों की रुचि नहीं है। मावली से आने वाले माननीय सदस्य मित्र हैं, उनको भवन के बारे में मेरा कहना है पर मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में इतनी इच्छा बढ़ती जा रही है कि जहां एक घर मांगे तो ५ घर देते हैं। यह फिर भवन की कैसे बातें करते हैं....

श्री जनार्दनराय नागर : जोधपुर में भवन नहीं है, जयपुर में नहीं है, उदयपुर में नहीं है।

(३ म० प०)

श्री भीखाभाई : जयपुर के आयुर्वेदिक कॉलेज का भवन निर्माण होकर तैयार हो गया है और उद्घाटन के लिए तैयार है और दरअसल में जो उदयपुर भवन की बात है उसके लिए प्रावधान रखा गया है। भवन के बारे में मैं बताऊं कि ३० लाख रुपये के भवन बनाये गये हैं और आयुर्वेदिक औषधालयों के खोलने के लिए इतने तैयार हैं कि जहां दो खोलते हैं वहां ५ खोलने के लिए कहते हैं। मुझे मालूम है, लोगों में कितनी रुचि है। मैं रोजमर्रा देहातों में जाता हूँ और उद्घाटन कार्य भी करता हूँ।

(हंसी)

श्री मोहरसिंह (चुरू) : उद्घाटनों में पहला नम्बर आपका ही है।

श्री भीखाभाई : अब मैं कुछ ऐसी मांगों के बारे में कहना चाहता हूँ जो कि व्यक्तिगत रूप से हुई। फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कल फिक्सेशन के बारे में कहा। मैं कहता हूं कि फिक्सेशन उप-निरीक्षक का नहीं हुआ है तो रूल्स के माफिक हो जायेगा और सवाई माधोपुर में कोई निरीक्षक है जिसने तनख्वाह ज्यादा ली है तो उनसे रिकवर की जायेगी। पर यह सब रूल्स के माफिक ही होगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां 'ए' ग्रेड का औषधालय बने। मैं कहता हूं कि वे यहां पर जितने भाषण देते हैं उतने वहां पर मौजूद रहें तो ज्यादा अच्छा हो ताकि वहां मुझसे बातें करें। मैं पाली में गया और वहीं औषधालय का निरीक्षण किया और वहां से लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि हम दूसरा भवन भी दे सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं कि मकान खाली कराओ। उन्हें अनभिज्ञता तो इतनी है और फिर कहते हैं कि 'ए' श्रेणी का औषधालय होना चाहिए। मैं कहता हूं कि 'ए' श्रेणी का औषधालय हो सकता है बशर्ते कि कुछ मांगें पूरी कर दें। जहां भवन की व्यवस्था करने की बात है वह सरकार करेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के अंदर जो धन-राशि है उससे हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रचार हो। यह संतोष के लिए बतलाता हूं कि 'ए' क्लास हो जायेगा, लेकिन उसके लिए समय लगेगा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है वह क्यों नहीं की जाये ?

श्री भीखाभाई : हरसोली में एक औषधालय नहीं खोलने के बारे में शिकायत आई, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके ऊपर सहानुभूति से विचार किया जायेगा। एक माननीय सदस्या जो कि झुंझुनूं से आती

(श्री भीखाभाई)

हैं उन्होंने कहा कि बुडानिया में औषधालय नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् ने उसका प्रस्ताव किया था। मेरी जानकारी है कि उसका नाम तीसरे नम्बर पर है जब कि दो औषधालय खोलने थे वे खोल दिए और उसका नम्बर नहीं आ सका। इस वर्ष उस पर विचार किया जा सकेगा, यह मैं कह सकता हूं। और भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उनके ऊपर जैसे जैसे हमारे पास मांग आयेगी और जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार विचार किया जायेगा। इसलिए अंत में ...

श्री जनार्दनराय नागर : जनपदोध्वंस का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : उसका विध्वंस हो चुका है।

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि जनपदोध्वंस के बारे में राजस्थान सरकार और खास तौर से आयुर्वेद विभाग अपने तक ही है क्योंकि हम तो पहले ही प्रिवेन्टिव साइड में जा रहे हैं। दरअसल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऐसी है कि उसमें प्रतिरोध करने की बात है और स्वस्थ आदमी को कैसे स्वस्थ रखा जाये और अगर बीमार है तो उसका कैसे उपचार किया जाये....

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : मैं स्वास्थ्य मंत्री से स्पष्टीकरण चाहूँगा....

श्री उपाध्यक्ष : आयुर्वेद मंत्री महोदय से ?

श्री सम्पतराज जैन : नहीं, स्वास्थ्य मंत्री से।

श्री उपाध्यक्ष : उनका तो अधिकार चला गया।

(विराम)

कटौती के प्रस्ताव सम्बन्धी अब मत लिये जावेंगे।

(विराम)

डॉ० बहादुरसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव डॉक्टर बहादुरसिंह ने प्रस्तुत किए उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री भीमसेन ने प्रस्तुत किए उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

Page No.90

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त हाउस से चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री लक्ष्मण हीरात ने प्रस्तुत किये उन्हें वापिस लेने की उनको आज्ञा प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपने प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) : I want to press it.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने पेश किए वे स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गए।

(विराम)

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द डागा : I withdraw my cut motions.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो डिस्कशन का आश्वासन दिया गया था उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, इसलिए वापिस लेने का सवाल नहीं रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री रामकरणसिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री भैरवलाल 'कालाबादल' को कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

(विराम)

Page No.91

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मुरलीधर व्यास को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I may be permitted to withdraw my cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motions.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्रीमती गंगादेवी डाटा को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दनमल वैद ।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : आज्ञा चाहता हूं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री चन्दनमल वैद को अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(मत दान के समय)

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of Order, Sir, permission was not taken in a proper form.

श्री बी० एन० जोशी (बांदीकुई) : It was not according to rules.

श्री उपाध्यक्ष : That was only a technical departure.

श्री श्रीभानसिंह : Rules of Procedure has given a process in which an Hon'ble Member should withdraw. But he has violated the rules and he should be asked to withdraw again according to rules.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : He has not understood it rightly.

श्री श्रीभानसिंह : Yes, Sir, I am sitting nearer and I could not follow.

श्री उपाध्यक्ष : I have followed. I over-rule it.

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री चन्दनमल वैद ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की जाती है ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह ।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने यह तो अवश्य कहा है कि इस इलाके में यानि बाड़मेर में चिकित्सा की आवश्यकता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप वापिस ले रहे हैं या नहीं ?

श्री अनूपसिंह : मैं जिस बात के लिए आश्वासन चाहता था वह थोड़ा कह दूं....

श्री उपाध्यक्ष : Are you withdrawing or not ?

श्री अनूपसिंह : मैं सिर्फ आश्वासन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to know, whether he is withdrawing or not?

प्रश्न यह है कि....

श्री अनूपसिंह : मैं उसका विरोध कर रहा हूं आप क्यों उतना....

श्री उपाध्यक्ष : I don't want explanation. The only point is whether you are withdrawing or not ?

श्री अनूपसिंह : एक ऐसी चीज़ थी, जो हाउस के सामने अर्ज कर दूं....

श्री उपाध्यक्ष : वह अधिकार मैं आपको नहीं दूंगा ।

(विराम)

Not withdrawing?

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री अनूपसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

Page No.93

(श्री उपाध्यक्ष)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आरोप तथ्यपूर्ण हैं उनका संतोषजनक उत्तर....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री दलीपसिंह।

श्री दलीपसिंह (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री दलीपसिंह को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दलीपसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जितने भी वापिस लिये जाने वाले प्रस्ताव हों उनको एक साथ ले लिया जाय ताकि सदन का समय बच जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं नहीं जानता कि कौन कौन सा कटौती प्रस्ताव वापिस लिया जाने वाला है।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव डॉ० चन्द्रकला ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी, श्री मनोहर कोठारी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष (श्री कोठारी से) : Withdrawing ?

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी और श्री मनोहर कोठारी ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : मैं भी अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर): मेरा कटौती प्रस्ताव सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री शिवचरणदास (मांडल) ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

(श्री रामचन्द्र से) Withdrawing?

श्री रामचन्द्र (डग-मु०) : Yes, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री रामचन्द्र ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामचन्द्र : मैं अपने प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री तेजाराम गहलोत ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री सूबेदारसिंह।

श्री सूबेदारसिंह (लाडी) : मुझे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सूबेदारसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सूबेदारसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

'हां' पक्ष जीता ।

(हंसी)

'ना' पक्ष जीता ।

I correct myself.

कटौती प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): I beg leave of the House to withdraw.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री सोहनलाल भटनागर ने रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री सोहनलाल भटनागर : I withdraw, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री प्रभुलाल पुरोहित ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री हरिप्रसाद यादव ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री हरिप्रसाद यादव ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री चन्द्रसिंह यादव ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री चन्द्रसिंह यादव ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह ।

प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत

Page No.96

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव गिर गये ।

(विराम)

श्री किशनलाल शर्मा ।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री किशनलाल शर्मा को कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री किशनलाल शर्मा : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संपतराज जैन और श्रीमती सुमित्रा देवी ।

(विराम)

श्री संपतराज जैन (अकलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्रीमती सुमित्रादेवी (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री संपतराज जैन और श्रीमती सुमित्रादेवी ने प्रस्तुत किये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री संपतराज जैन : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्रीमती सुमित्रादेवी : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,२५,०६,०००) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १६ स्वीकार की गई ।

(करतल–ध्वनि)

मांग संख्या २३–नागरिक निर्माण कार्य

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य आदि के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,४३,२८,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[उपरोक्त मांग पर निम्नांकित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

श्री भीमसेन प्रस्ताव करेंगे :

१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (ठेकेदारी प्रथा का अन्त करके सहकारी समितियों को काम करने में प्राथमिकता देने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)

२. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पी० डब्लू० डी० के वर्क्स के शिड्यूल्ड रेट्स जो बीकानेर में प्रचलित हैं, को रिवाइज़ करने की आवश्यकता पर विचार करने हेतु)

१३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १)रु० की कटौती की जाय (बीकानेर शहर में एस० ई० का नया सर्कल कायम किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु)

१४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर से करनीसर व महाजन स्टेशन से महाजन गांव तक सड़क की मरम्मत पर बहस करने हेतु)

२५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (लूणकरणसर कस्बे से कालू कस्बे तक व लूणकरणसर से विजयनगर ५० मील फेयर वेदर रोड की मरम्मत करने पर विचार हेतु)

२६. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर से पूनरासर वाया सेरेरा तक फेयर वेदर रोड की मरम्मत करने पर विचार हेतु)

50. That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Rs. 100/- (To discuss early construction of Bikaner-Abohar Road-a road of Economic and inter-state importance).

५१. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति भवन, लूणकरणसर के निर्माण हेतु समिति को अनुदान देने पर बहस करने हेतु)

रावराजा श्री सरदारसिंह प्रस्ताव करेंगे :

३. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १००) रु० की कटौती की जाय (टोंक जिले में निर्माण कार्य में ढिलाई व अनियमितता पर विचार करने हेतु)

श्री मुरलीधर व्यास प्रस्ताव करेंगे :

४. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर में नागरिक निर्माण कार्य के काम में शिथिलता पर प्रकाश डालने हेतु)

१७. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों के जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने के

Page No.98

(श्री मुरलीधर व्यास)

लिए पी० डब्लू० डी० वर्क्स फैडरेशन के साथ समझौता करने पर भी उसको कार्य में परिणत नहीं करने पर बहस करने हेतु)

श्री लच्छूराम प्रस्ताव करेंगे :

५. मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (ठेका प्रथा बन्द करने पर विचार हेतु)

श्री पी० के० चौधरी प्रस्ताव करेंगे :

6. That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the State Government to write to the Western Railway Authorities to provide a level crossing at mile 2/26 on Phulera-Kuchaman Road Railway Line under section 11 (3) (b) of the Indian Railways Act).

27. That The Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/- (To discuss failure of the Government to connec Jobner with Phulera and extend it beyond Kishangarh-Renwal to mak e it a road of economic and inter-state importance).

28. That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to maintain roads of economic inter-state nature in Phulera Tehsil).

29. That the Demand No. XXIII, Major Head 5.-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss failure of the Government to connect Jobner via Kalwad with Delhi-Jaipur Road).

(30) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/ (To discuss failure of the Government to maintain properly the Jaipur-Renwal Road, which is unfit for use from Hersoli onwards).

(31) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss failure of the Government to maintain Jobner-Renwal "Dak-bel" road into useable condition).

(32) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to connect Phulera with Delhi-Jaipur-Ajmer-road).

(33) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to repair buildings of the Girls' Middle School at Sambhar).

(34) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government to repair the rooms in the High School at Phulera).

(35) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works

(श्री पी० के० चौधरी)

be reduced by Re. 1/-(To disutss the failure of the Government to construct a road connecting Chomu with Phulera via Sirsali-Jalsu-Radha kishanpura and Bhainsawa which is of economical and inter state importance).

(43) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss Government's failure to pay adequate attention to the develolment of Roads of economical and inter-state importance in the State).

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' प्रस्ताव करेंगे:-

(७) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (निर्माण कार्यों की प्रगति सन्तोष-प्रद नहीं होने पर विचार करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी प्रस्ताव करेंगे:-

(८) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर जिले की सड़कों की बढ़ती हुई दुर्दशा पर विचार करने हेतु)

श्री चन्दनमल वैद प्रस्तुत करेंगे :

(9) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government in maintaining and repairing Talchhapar-Ratangarh Sardarshahr-Taranagar road).

(36) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/-(To discuss the failure of the Government in constructing Bikaner-Sardarshahr road and getting it included in the Defence Road).

(37) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil Works. be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government in maintaining and repairing Taranagar-Sahwa road).

(38) That the Demand No. XXIII, Major Head 50-Civil works be reduced by Re. 1/- (To discuss the failure of the Government in constructing Rawatsar- Sardarshahr road financed from Central Road Fund).

श्री शिवनाथसिंह प्रस्ताव करेंगे :

(१०) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०– नागरिक निर्माण कार्य में १) रु० की कटौती की जाय (प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, उदयपुरवाटी के भवन निर्माण में अनावश्यक देरी पर बहस करने हेतु)

(१५) मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य में १)रु० की कटौती की जाय (झुंझुनूं जिले में सड़क तथा भवन निर्माण में शिथिलता पर बहस करने हेतु)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २३, पर मेरे ८ कटौती प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं अपने पहले कटौती

Page No.100

(श्री भीमसेन)

प्रस्ताव जिसमें यह कहा गया है कि ठेकेदारी प्रथा को अन्त करके सहकारी समितियों को काम करने में प्राथमिकता देने की ओर ध्यान आकर्षित किया जाय, इसके बारे में कुछ निवेदन करूंगा। माननीय उपाध्यक्ष, हमने समाजवादी व्यवस्था को अपनाने का अपना उद्देश्य नियत किया है। इसकी पूर्ति के लिये हम जो नागरिक निर्माण की तरफ से ठेकेदारी प्रथा के ज़रिये नागरिक निर्माण का काम कर रहे हैं उस ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये अभी उपयुक्त समय है। हमारे हिन्दुस्तान की सरकार द्वारा और उसके साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा आयन्दा के लिये सहकारी समितियों को प्राथमिकता देने की नीति निर्धारित की गई है। हमारे यहां जितना भी निर्माण का काम किया जाता है उसमें श्रमिकों का सहयोग रहता है। यदि श्रमिक सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय तो उनको काफी प्रोत्साहन मिल सकता है। आज जनता जो आलोचना करती है कि ठेकेदार इंजीनियर्स को कमीशन देते हैं वह आलोचना दूर हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष, सहकारी समितियों को अपना स्टाफ रखना पड़ेगा, उनके हिसाब की ऑडिट करवानी पड़ती है, विभाग द्वारा ऑडिट होती है तो जो कमीशन इंजीनियर्स को ठेकेदार देते हैं, मैं समझता हूं यदि सहकारी समितियों के जरिये से यह काम कराया जाय तो उनको कमीशन देने की गुंजायश नहीं रह जायेगी और आलोचना करने की भी गुंजायश नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! (कुछ माननीय सदस्यों के आपस में बातें करने पर।)

श्री भीमसेन : इसके साथ साथ जो निर्माण का काम है, हम समझते हैं कि व्यक्तिगत ठेकेदारों को काम दिये जाते हैं उनको वे इस भावना से करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जाय और उसके साथ ही साथ श्रमिकों का शोषण होता है। यदि सहकारी समितियों का निर्माण करके उनको प्रोत्साहन देंगे तो एक तरफ तो श्रमिकों का शोषण बंद होगा और दूसरी तरफ अनुचित मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा और निर्माण के काम ठीक ढंग से हो सकेंगे। यदि सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देंगे तो हमने जो समाजवादी व्यवस्था की नीति और उद्देश्य को अपनाया है उसमें भी सफलता मिलेगी।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव इस बारे में है कि बीकानेर डिविजन में सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से किये जानेवाले इतने काम हैं कि वहां का वर्क लोड बढ़ गया है इसलिये वहां पर अलग सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के ऑफिस की आवश्यकता है। कुछ समय पहले मैंने विधान सभा में प्रश्न भी पूछा था और जवाब में बताया गया था कि वहां पर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर का ऑफिस रखा जाय या नहीं इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक साल से सरकार इस बात को मान चुकी है वहां पर सुपरिन्टेनिंडग इंजीनियर के ऑफिस की आवश्यकता है। क्योंकि वर्क लोड बढ़ गया है इसलिये वहां पर तत्काल इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके बारे में प्रपोज़ल्स एफ. डी. को भेजे हुए ६ महीने हो गये, सरकार के पास पड़े हुए हैं उनको मंजूर करेंगे तो मैं समझता हूं कि निर्माण के काम के लिये जो शिकायत रहती है वह

(श्री भीमसेन)

नहीं रहेगी और जो फंड्स अलॉट होते हैं और जो काम करने के होते हैं उनका ५० पर्सेन्ट काम भी नहीं हो पाता है। यदि वहां पर अलग सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर की व्यवस्था होगी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन ठीक टाइम पर मिलेगी और जो फंड्स काम के लिये अलॉट हुए हैं उनका उचित उपयोग हो सकेगा और जो शिकायत है कि नागरिक निर्माण विभाग काम नहीं करता है वह भी दूर हो जायेगी।

इनके अलावा मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव बीकानेर डिविज़न में पी. डब्लू डी. के वर्क्स के लिये शिड्यूल्ड रेट्स प्रचलित हैं उनको रिवाइज़ करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिये है। ये शिड्यूल्ड रेट्स काफी पुरानी हैं इसलिये जो भी टेन्डर्स कॉल किये जाते हैं उसमें से हर काम के लिये शिड्यूल्ड रेट से ३० परसेन्ट या ४० परसेन्ट ज्यादा कॉन्ट्रेक्टर्स रेटकोट करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं शिड्यूल्ड रेट्स कायम की हैं उनको रिवाइज़ किया जाय और करेन्ट रेट्स नियत की जाय तो मैं समझता हूं कि जो अनुचित देरी होती है वह नहीं हो पायेगी।

इसके अलवा कुछ प्रस्ताव मेरे इलाके से सम्बन्ध रखते हैं। कुछ ऐसी रोड्स हैं जैसे बीकानेर से अबोहर रोड है वह इन्टर-स्टेट रोड है। वह रोड सामाजिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेन्ट है। इसके लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी प्रावधान रखा गया था लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना में कोई काम शुरू नहीं किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ काम शुरू किया गया लेकिन जो टार्गेट था वह पूरा नहीं हुआ....

श्री चन्द्रसिंह यादव (बहरोड) : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

(गणपूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री भीमसेन : माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन कर रहा था कि बीकानेर अबोहर रोड इन्टर-स्टेट रोड है, सामरिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के आखिर तक पूरी होनी चाहिये थी, लेकिन दूसरी पंच वर्षीय योजना भी समाप्त होने जा रही है पर इस पर बहुत थोड़ा काम हुआ है। मैं समझता हूं इसके लिये पूरी सतर्कता बरतनी चाहिये ताकि यह निश्चित् टाइम पर समाप्त हो जाय।

इसके साथ ही साथ दूसरे मेरे कटौती प्रस्ताव हैं बीकानेर से करनीसर व महाजन स्टेशन से महाजन गांव तक सड़क की मरम्मत के बारे में, बहस करने के बारे में। ये दोनों सड़कें एक-एक मील का टुकड़ा है। भारत सेवक समाज की तरफ से ये निर्माण की गई थीं। इनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है, मैं समझता हूं सरकार इस ओर ध्यान देगी।

इसके साथ ही मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव था लूणकरणसर कस्बे से कालू कस्बे तक व लूणकरणसर से विजयनगर तक ५० मील फेयर वेदर रोड की मरम्मत करने पर विचार करने हेतु। इस रोड की मरम्मत करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं, सरकार इस बारे में उचित ध्यान देगी। इस तरह से मैंने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

एक कटौती प्रस्ताव मेरा था पंचायत समिति लूणकरणसर का भवन निर्माण करने

(श्री भीमसेन)

के लिये पंचायत समिति को अनुदान देने के बारे में । वहां पर पंचायत समिति के भवन के लिये कोई उचित व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं समझता हूं, यदि पंचायत समिति को अनुदान दिया जाय तो जो अहम समस्या बिल्डिंग की है वह हल हो जाय । मैं समझता हूं, पंचायत समिति को अनुदान दिया जाय तो वह भवन का निर्माण करेगी और वहां की आवश्यकता की पूर्ति हो सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस मांग पर कटौती प्रस्ताव है । उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान बना सब को यह आशा थी कि हमारे यहां निर्माण कार्य जो पहले नहीं होते थे वे अब ज्यादा होने लगेंगे । लेकिन देखने में आ रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई है और दूसरी भी खत्म होने जा रही है लेकिन काम कुछ नहीं हुए हैं । मैं आपको उदाहरण मेरी डिस्ट्रिक्ट और क्षेत्र का अर्ज करूंगा । मेरे क्षेत्र में प्रथम पंचवर्षीय योजना में टोंक ज़िले में टोटल सेंक्शन ८,६६,७०३ रु० की थी । वहां ५७ में २ लाख, ६७ हज़ार रुपये खर्च हुए, ५८ में ६० हज़ार रुपये खर्च हुए और ५९-६० में १ लाख का प्रोविज़न था । कुल ४ लाख, २७ हज़ार, १ सौ रुपये खर्च हुए । बाकी अब १९५९-६० है, एक साल से काम पड़ा हुआ है, कोटा की जो हद है वहां तक कोटा डिविज़न ने सड़क बना दी है लेकिन जहां पर टोंक की सरहद है वहां से उनियारा तक, एक साल भर हो गया उसकी सेंक्शन हुए लेकिन न मालूम क्यों सड़क बनाने का काम बन्द कर दिया है ? इसकी वजह मालूम नहीं होती । मुझे खारिजन मालूम पड़ा है कि....

श्री उपाध्यक्ष : खारिज़न को क्यों रखते हैं, इत्मिनान रखिये ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुझे इत्मिनान से मालूम पड़ा है कि वह सेंक्शन्ड अमाउन्ट दूसरे स्थान पर लगा दिया गया है । तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि निर्माण का जो काम है, विकास के काम में तो कभी पार्टी पोलिटिक्स, अनियमितता नहीं होनी चाहिए । विकास कार्य में जहां के लिए जो सेंक्शन है वहां उस कार्य को पूर्ण करना चाहिए । मुझे मालूम पड़ा है कि वह सेंक्शन्ड अमाउन्ट मालेड़ा से डाइरेक्ट टोडा तक सड़क बनाने में लगा दिया गया है...

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : उपाध्यक्ष महोदय, बार बार कोरम खत्म हो जाता है । इससे तो अच्छा हो कि हाउस ही एडजोर्न कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अच्छा-बुरा मैं देख रहा हूं, अपनी तरफ से ।

श्री रामकरणसिंह : कोरम तो पूरा होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : This has become a difficult task for the House always to try for the guorum. I will specially request the whips to co-operate with the House.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : व्हिप्स भी मौजूद नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let my views be conveyed to the whips, without ringing the bell.

रावराजा श्री सरदारसिंह : This has become a disease.

श्री उपाध्यक्ष : रिंग कर दीजिये।

(गण पूरक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Yes, will continue please.

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि लाखेरी ऐसी जगह है जो सीमेन्ट का केन्द्र है और सीमेंट वाया बूंदी, देवली, टोंक होकर आती है, यानि ६० मील का चक्कर पड़ा है। अगर लाखेरी से इन्द्रगढ़ और इन्द्रगढ़ से टोंक लाते हैं तो इतना चक्कर बचता है। इस सुविधा करने का पंचवर्षीय योजना में समावेश किया गया था लेकिन मेरी समझ में नहीं बैठता, किस कारण से सड़क का कार्य स्थगित कर दिया? तो मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा माननीय मन्त्रीजी को कि आप इसका ध्यान रखें।

दूसरा मेरा यह अर्ज करना है कि Metalled Road from Sawai Madhopur to Tonk and Tonk to Sawai Madhopur; इसके लिए पांच लाख ४२ हजार ६०० रुपये का प्रावधान था। वह सड़क भी पंचवर्षीय योजना में थी और पंचवर्षीय योजना में उनियारा तक, मुझे उम्मीद करके चलना चाहिए, आ जायेगी लेकिन उनियारा से अलीगढ़ तक अभी सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। सवाई माधोपुर अब सीमेन्ट और कारखानों का केन्द्र हो गया है, मगर आप सोचें, दौसा होकर सड़क जाती है, बीच में नदियां वगैरह आती हैं, ५०-६० मील का फर्क पड़ता है। यह बड़ा सीधा रास्ता है और इस सुविधा के लिए, इस सड़क के निर्माण के लिए प्रायोरिटी दी गई, लेकिन आज भी वह काम पड़ा हुआ है, न कल्वर्ट बने हैं, न छोटे छोटे ब्रिज बने हैं। मैं निवेदन करूं कि शिथिलता काम में क्यों हो रही है, वहां ऑफिसर नहीं जाते हैं, न वे जाकर काम देखते हैं कि काम हो रहा है या नहीं और काम जिस तरह से चलता है उसी तरह से चलता रहता है। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं कि आज प्रजा कह रही है कि हम तो जब गाड़ियों में चलते थे, १०-१० मील १० घंटे में पहुंचते थे तब ही अच्छे थे। आज जो सड़कें बनी हैं, मैं देखता हूं कि सड़क एक साल बनती है और दूसरी साल ही उनमें गढ़ार ही हो जाते हैं, ऐसी बुरी हो जाती है।

(घंटी)

मैं निवेदन करूं कि टोंक से उनियारा तक सड़क बनी है, उसको डामर रोड बनाना चाहिए। मैं यह भी निवेदन करूं कि आज सबसे बड़ी डिफिकल्टी यह हो रही है कि पंचायत, पंचायत समिति और डेवलपमेन्ट कमेटी के द्वारा भी सिफारिश कराते हैं कि यह सड़क अनिवार्य हैं और इन सड़कों से जनता को सुविधा मिलेगी और सरकार को भी इनके बनाने से फायदा होगा। लेकिन प्रपोज़ल्स तो आते हैं, ऊपर आकर न मालूम

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

क्या हो जाता है, पहले से क्राइटेरिया तय कर लेते हैं कि हमको यह करना है और प्रपोज़ल्स के विपरीत काम होता है। अब मैं आपसे निवेदन करूं कि आज पांच–सात वर्ष हो गये, दो, तीन, चार सड़कों के लिए बराबर लिखित रूप में दे रहा हूं। अब यह टेन्टेटिव लिस्ट बनी है, तो शायद माननीय मन्त्री जी के पास नहीं आई, तो जब आयेगी तो इन सड़कों को उसमें शामिल कर लेंगे। ये सड़कें मेरे यहां की हैं।

Construction of Major Distt. Roads.

(1) Tonk-Banetha-Kunder-Aligarh metalled Road including construction of Culverts and Cause ways.

(2) Kakor to Nagar Metalled Road Via Jhalra...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप माननीय मन्त्रीजी को दे देते, तो अच्छा रहता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : खैर, यह तो मैं दे दूंगा। एक बात यह भी कहूं कि यह तो बड़ी भारी खुशी है कि निर्माण का कार्य है, प्रोपर जगह पर हुआ है, ठीक जगह पर आया है। निर्माण का कार्य करते हैं. यह अच्छा है....

श्री उपाध्यक्ष : आपने तरीका अच्छा अख्तियार किया है प्रशंसा का।

रावराजा श्री सरदारसिंह : निर्माण की तरक्की करते आये हैं, उनको इसका तजुर्बा है। मुझे बड़ी आशा है कि निर्माण के कार्य में इस दलदल में नहीं फसेंगे। मैं तो यह कहता हूँ कि आप जोधपुर का उदाहरण ले लीजिये। जोधपुर में रियासत के वक्त निर्माण कार्य कर दिया, उसके मुकाबले में क्या हुआ, वहां जो छीतर पैलेस बनाया, उसके मुकाबले में क्या बनाया....

श्री उपाध्यक्ष : अपना टोंक से सम्बन्ध है, आपका कटौती प्रस्ताव टोंक से सम्बन्धित है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक के लिए मैं निवेदन करूं....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : उनियारा में काफी बने हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक के लिए अर्ज करूं कि टोंक में शहादत-अली ने जो ब्रिज बनाया बनास पर वह नहीं बनता तो मैं अर्ज करूं कि टोंक डिस्ट्रिक्ट नही होता। उसके मुकाबले में आपने क्या किया ? जो सड़क पहले थी, देवली, जयपुर, टोंक रोड पर, वही मौजूद है। टोंक से उनियारा रोड जो पहले बन चुकी थी ? वही है। आज प्रजा कहती आ रही है कि जो पहले था ? वही क[illegible] वही कार्य है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपने और क्या कार्य कराया ? अब मैं ज्यादा समय न लेकर यह निवेदन करूं कि जो निर्माण का कार्य है, उस निर्माण के कार्य में पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, हर जगह निर्माण का वर्क होना चाहिए। यह नहीं कि निर्माण का कार्य जब करें तो उसके पहले पहले अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सी के अनुसार बंटवारा कर लें। हम तो विरोधी हैं, हमको तो दया से जो दे दें....

श्री उपाध्यक्ष : आप बराबर विरोधी कहते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष तो विरोधी नहीं मानता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पांच-सात वर्ष हो गये, जो काम चलते हुए थे उनको रोक दिया है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूं कि इस बात को छोड़ कर निर्माण का काम करें।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

तब तो जनता को विश्वास रहेगा, नहीं तो प्रजा का विश्वास घटता जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक कटौती का प्रस्ताव तो खास करके बीकानेर के निर्माण कार्यों में जो उपेक्षित नीति है उसके सम्बन्ध में है और दूसरा, राजस्थान के पी० डब्ल्यू० डी० वर्क्स फेडरेशन के साथ जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार उसका पालन नहीं हुआ है, उस पर प्रकाश डालने के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। जहां तक निर्माण का सवाल है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में निर्माण कार्य का काम बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इस महत्वपूर्ण कार्य में सबसे बड़ा योगदान पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा और अगर यह डिपार्टमेन्ट सही तरीके से इसमें काम करता है तो निर्माण का कार्य राज्य में चल रहा है जिसमें कि बहुत लम्बी धनराशि खर्च होती है, उसका सही मायने में लोगों को लाभ मिल सकता है परन्तु जब हम उसको देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि निर्माण कार्य होता जा रहा है जगह जगह सड़कों के काम, बिल्डिंगों के काम, कार्यालयों के काम और विभिन्न प्रकार के काम पी० डब्लू० डी० के द्वारा होते हैं, पर ये कार्य किस प्रकार के हुए हैं इसके लिये जब हम इन नये कार्यों को पहले के कार्यों से तुलना करते हैं, पहले जो सड़कें बनी हैं, बिल्डिंगें बनी हैं, कचहरियों की बिल्डिंगें बनी हैं, स्कूल्स और कॉलेजेज़ की बिल्डिंगें बनी हैं, उनसे आज के इन कार्यों की तुलना की जाय तो आज वाकई में पैसे की तुलना में देखा जाय तो उनसे कहीं ज्यादा खर्चा इनमें हुआ है फिर भी उन पुराने कार्यों की तुलना में ये ठीक नहीं उतरतीं। कोई कहे कि इस समय में ज्यादा खर्चा होगा। उस समय के आंकड़े देखिये, इस समय के आंकड़े देखिये, उस समय वास्तव में खर्चा कम होना चाहिये था। स्थिति ऐसी ही थी आज खर्चा बढ़ना चाहिये, पर तुलनात्मक दृष्टि से हम आज बिल्डिंगें बनाते हैं, इनके बनाने में पहले से पांच गुना खर्चा अधिक बढ़ जाता है पर इस खर्चे के बढ़ने के साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि पहले बनी बिल्डिंग्स के मुकाबले में अब बनी हुई बिल्डिंग्स तुलना में बराबर उतरती हैं कि नहीं? इन दोनों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो नई बनी बिल्डिंगें पुरानी बनी बिल्डिंगों के मुकाबले में बराबर नहीं उतरतीं। तो ऐसी दशा में कहीं न कहीं जरूर घोटाला है। भ्रष्टाचार कहे, कोई इसे घूंसखोरी कहे, रिश्वतखोरी कहे, इसको साबित करना कठिन है, पर घोटाला है कहीं न कहीं जरूर। यह कहना पड़ेगा कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाय तो पहले जो बिल्डिंगें बनीं, सड़कें बनीं या और चीजें तैयार हुई उनके मुकाबले में पांच गुना अधिक खर्चा लगाने पर भी आज ये बिल्डिंगें वैसी नहीं बनतीं, उनसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

कम मजबूत और कम बनती है। तो इस पर जरूर विचार करना पड़ेगा। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा।

उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वे इस काम में होशियार, माहिर हैं। मैं भी सोचता हूँ कि आपको इस चीज का माहिर होने का लाभ मिलना चाहिये। पर समझ लीजिये कि स्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं, जो काम ठीक ढंग से होना चाहिये वह नहीं होता है तो पहले कोई मन्त्री रहा हो, पहले भी हम नाकामयाब रहे और आज भी उस हालत में यह कहने का मौका मिलेगा कि हम नाकामयाब रहे। आज लोगों से पूछा जाय कि राजस्थान बनने से पहले जितनी बिल्डिंगें बनीं और राजस्थान बनने के बाद जितनी बिल्डिंगें बनी उनमें कौनसी अच्छी हैं तो हमें तो बीकानेर में ऐसा नहीं दिखता कि राजस्थान बनने के बाद बनी बिल्डिंगें पांच गुना अधिक खर्चा लगाने के बाद भी राजस्थान बनने से पहले की बनी बिल्डिंगों के मुकाबले में उनके समान बनी हों। बीकानेर में तो हमें ऐसा नहीं दिखता। उदयपुर के मुख्य मंत्री हैं, वहां ऐसी बन गई हों तो बात अलग है पर और किसी जगह हम ऐसा नहीं देखते।

इसके क्या कारण है, इसकी गहराई में मैं नहीं जाना चाहता। किसी विभाग को पूछ लीजिये, कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर काम होता है, उसका पर्सेन्टेज बंधा रहता है। जिनका कॉन्ट्रेक्ट मंजूर किया जाता है वह कॉन्ट्रेक्टर देखता है कि २०, २५ प्रतिशत तो प्रसाद इन लोगों को देना ही है। प्रसाद शब्द अच्छा है, भगवान् का प्रसाद सद्‌भावना से दिया जाता है पर यह इस प्रकार की प्रकट भावना बन गई है, जिसे परम्परा कह दें, हक कह दें, जिस तरह होटल में चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद बॉय को भी कुछ देना हम अपना कर्त्तव्य समझते हैं, वह कोई रिश्वत नहीं, एक शिष्टाचार समझा जाता है, वही शिष्टाचार इसमें भी बन गया है। इसको लोग शिष्टाचार मानते हैं कि इतना तो करना ही पड़ेगा। यह हमारे लिये कलंकित प्रथा बन गई है, इसको हमें खत्म करना है, क्योंकि हमारे निर्माण का अधिक धन इसमें खर्च होता है। इसको यदि हम एक दम बन्द नहीं कर सके तो हम हमारे देश का नुकसान करेंगे।

निर्माण के सम्बन्ध में मैंने पहले निवेदन किया था कि कई स्थानों की उपेक्षा की जाती है, कहीं ज्यादा खर्चा होता है, कहीं कम खर्चा होता है किसी को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है कई इलाके ऐसे हैं जहां शत प्रतिशत खर्च किया जाता है और कई इलाके ऐसे हैं जहां १०० में से केवल २५ रुपया ही खर्च किया जाता है। इन सबके पीछे कारण क्या है? मन्त्री महोदय इसको पक्षपात की बात नहीं कहते, कहते हैं किसी और कारण से रह जाते होंगे। मैंने कुछ मामलों में खोज करने की कोशिश की है। बीकानेर में मेडिकल कॉलेज़ के निर्माण की बात थी। मैं मन्त्री महोदय से भी मिला और छान-बीन की कि मामला क्या है? एक करोड़ का काम कर रहे हैं ६० लाख रुपया खर्च हो जाने के बाद भी कोई आदर्श चीज, अच्छी चीज नहीं बन रही है जिसको हम कह सकें कि डूंगर कॉलेज की बिल्डिंग के बराबर है या वेटर्नरी कॉलेज की बिल्डिंग

(श्री मुरलीधर व्यास)

के बराबर है जो कि राजस्थान बनने से पहले बनी हुई हैं।

मेडीकल कॉलेज के निर्माण में जब इस प्रकार का भ्रष्टाचार देखा कि जहां नं० एक की ईंट लगानी चाहिये वहां कच्ची ईंटें लगाने लगे हैं, तो बहुत से पत्रकारों ने इसकी मुखालफत की। मैंने भी मन्त्री महोदय को बताया, कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिये। पर जिन्होंने खिलाफत की उनके खिलाफ मुकदमें चलते हैं, उनके खिलाफ बयान दिये जाते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से मुखालफत की। पर मैं कहना चाहता हूं होस्टल के निर्माण का आपने तय किया था तो यह तय किया था कि इस साल वह कार्य पूरा हो जाना चाहिये, लड़के आते हैं तो उनको रहने के लिये सुविधा मिलनी चाहिये। चार लाख का खर्चा हुआ पर वह पूरा नहीं हुआ। पहले जिसको टेन्डर दिया गया १३७ पर्सेंट का टेन्डर दिया। चार महीने तक का टेन्डर मंजूर होने के बाद भी यहां के अधिकारियों ने स्वीकृति नहीं दी, मंजूरी का समय निकल गया तो उसने कहा कि मैं नहीं बनाता।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

पहले १३० पर्सेंट का फिर १३१ पर्सेंट का और फिर १३७ पर्सेंट का आया। उसको मंजूर नहीं किया गया। अब सरकार ने अपने हाथ में कार्य लिया है। पर इसकी जांच तो की जाय कि यहां के लोगों ने कॉन्ट्रेक्टर से कुछ मांगा है कि हमारा पर्सेंटेज तो दे जाओ, वह देने को तैयार नहीं हुआ तो उसको स्वीकृति नहीं दी गई, इसकी छान-बीन भी तो करनी चाहिये।

दूसरी बात निर्माण के बारे में मैं जो बताना चाहता हूँ वह यह है कि जितनी भी बिल्डिंग्स हैं चाहे वेटरनरी कॉलेज की बिल्डिंग हो चाहे दूसरी हो आज वेटरनरी कॉलेज में होस्टल बने एक साल हुआ है। साल भर में पट्टियें टूट जाती हैं, दीवारें क्रेक हो जाती हैं। आप जल भंडार बनाते हैं वह भी फट जाता है। आखिर इसकी जिम्मेदारी किस पर है? आखिर किसी न किसी पर तो इसकी जिम्मेदारी होनी ही चाहिये। आपको या तो उन लोगों को जिन्होंने इसका ठेका लिया उनको जिम्मेदार बनाना होगा या फिर उसकी देख रेख करनेवाले जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदार ठहराना होगा। अगर आप इस प्रकार नहीं करते तो काम में अच्छाई कभी आप ला नहीं सकेंगे और कोई भी अच्छा और मजबूत काम नहीं हो सकेगा। इसलिये मैं बीकानेर के निर्माण कार्य के लिये आप से कहता हूं कि आप निष्पक्ष होकर देखें। आपको वहां पर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर का दफ्तर कायम करना चाहिये था मगर आपने वह नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Vyas, I hope, you will take the second cut motion also.

श्री मुरलीधर व्यास : इसको तो मैं इतने में ही समाप्त करता हूं। आपको इतने बड़े बड़े काम कराना है तो आपको चाहिये कि अच्छे अच्छे इंजिनीयर और अधिकारी उसके लिये रखें। आपको वहां पर सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर का ऑफिस खोलना चाहिये। मगर जब इसके लिये कहा

(श्री मुरलीधर व्यास)

जाता है तो यह कहा जाता है कि अकाउन्ट्स सेक्शन मंजूर नहीं करता है । आखिर आपको निर्माण का कार्य कराना है, वह तो आपको करना ही होगा । इसके लिये आपको योग्य व्यक्तियों को भेजना होगा । यह मानते हैं कि आपके पास काम बहुत है । लेकिन आप निर्माण के कार्य के लिये नये पास हुए व्यक्तियों को भेज दें तो वे बड़े काम में सहायक नहीं हो सकते हैं । बड़े कामों में तो आपको योग्य आदमियों को और ज्यादा संख्या में भेजना चाहिये ताकि काम ठीक ढंग से हो सके ।

दूसरा मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में भीमसेनजी पहले बोल चुके हैं और मैं भी कुछ प्रकाश ज्यादा नहीं डालना चाहता ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि पी० डब्ल्यू० डी० वर्क्स फेडरेशन है उसकी क्या हालत है ? उन लोगों को कहीं से कहीं जंगलों में सड़कों पर काम करना पड़ता है और उनको निर्माण का काम करना पड़ता है । इसी प्रकार बागायत में काम करने वाले लोग काम करते हैं । आज जहां तक बागायत का प्रश्न है, आज हर आदमी इस बात को महसूस करेगा कि राजस्थान बनने के बाद में कोई महकमा सुधरा है तो वह बागायत का महकमा है जो सुधरा है । क्योंकि जो बाग राजा—महाराजाओं के जमाने में थे उनसे कई मामलों में आज वे सुधरे हैं । आज हर आदमी इसकी तारीफ करता है और मैं भी इसकी तारीफ करता हूं । इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : बाग हर जगह नहीं हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : बाग हर जगह नहीं हैं मगर जहां कहीं भी हैं वहां पर उनकी हालत सुधरी है और पहले से बहुत अच्छी हुई है, उसकी इनको तारीफ करनी चाहिये । लेकिन किन कर्मचारियों ने इसको अच्छा बनाया ? आज आप जिन क्यारियों में रंग बिरंगे फूल देखते हैं उसको लगाने वाला और पैदा करने वाला कौन है ? उसको आपने क्या इनाम दिया है ? उसको क्या इनाम मिलता है ? वह तो वही ३५) रु० या ४०) रु० माहवार पाने वाला कर्मचारी है । उसको तो वही वेतन पहले मिलता था और वही अब भी मिलता है । तारीफ की बात तो यह है कि जिसने राजस्थान में सबसे अच्छा काम किया उसको आप कुछ नहीं देना चाहते हैं । आपने सब के ५) रु० की बढ़ोत्तरी की, एक दफे, दो दफे । मगर इस विभाग के लोगों का नम्बर इसमें, ५) रु० की बढ़ोत्तरी में नहीं आया और उनके ५) रु. नहीं बढ़े । जो विभाग सबसे अच्छा काम करे और जिसके बारे में तारीफ करते उनको ३५)रु. या ४०)रु. मिलते हैं और जिस समय लोगों के ५) रु० बढ़ाये तो इनको छोड़ दिया और दूसरे लोगों को दिया गया । इसके अन्तर्गत मैं यह कहूंगा कि पी. डब्ल्यू. डी. के अन्तर्गत ये लोग आते हैं । इसका इंजीनियर एक होता है । वाटर वर्क्स भी इसके अन्तर्गत आता है और मजदूर जो वाटर वर्क्स में काम करते हैं उनको अलग कर दिया है । आपने बहुतों को छुट्टी की सुविधा दे दी है लेकिन जो लोग बागायत में काम करने वाले हैं और जिनको आज काम करते करते २० वर्ष हो गये मगर बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि उनको अभी तक आपने कुछ भी सहूलियत नहीं दी। आपने दूसरों को पर्मानेन्ट कर दिया है मगर इन लोगों को तो वही ४०) रुपये दे रहे हैं इससे ज्यादा नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा २० वर्षों से काम करते हैं मगर फिर भी वे कच्चे के कच्चे ही रहे हैं। आदमी को इतना ही इत्मिनान होता है कि आज हमारा जीवन सुरक्षित है, हम कच्चे नहीं हैं, हमको जब चाहे कोई नहीं निकाल सकेगा। वे यह सोचने तो लगे कि उनका जीवन एक ढांचे में ढल गया है और आदमी को एक निश्चिन्तता होनी चाहिये वह निश्चिन्तता नहीं है। जब उन्होंने हड़तालें कीं तो आपने फैसला किया फरवरी, ५६ में और आपने उनसे एग्रीमेंट किये कि कम से कम दो वर्ष से ज्यादा जिनकी सर्विसेज़ होंगी उनको सेमी पर्मानेन्ट करेंगे और उसके बाद में पर्मानेन्ट कर देंगे। आपने उन लोगों से समझौता किया इस समझौते के आधार पर भी आपने उनको पर्मानेन्ट नहीं किया। आपने उनको यह आश्वासन दिया था कि ३१ मार्च के पहले पहले सब प्रबन्ध कर देंगे। आपने इस संबन्ध में ऑर्डर ज़रूर निकाल दिये। ऑर्डर की नकल मेरे पास है मगर आपने उस ऑर्डर के मुताबिक कोई कार्यवाही नहीं की है। ये मजदूर पिछड़े हुए लोग हैं। इन लोगों को जहां दो पैसे देने और उनके जीवन में निश्चिन्तता लाने का प्रश्न आया तो आपने बजट में उनके लिये कुछ नहीं किया है। समझौता आप उनसे करते हैं मगर जब तक आप बजट में पैसा नहीं लेते तो उसका क्या मतलब निकलता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन बागायत के कर्मचारियों और पी. डब्ल्यू. डी. के कर्मचारियों के संबन्ध में, जो निर्माण का काम करते हैं उनके बारे में आपने समझौता किया है मगर उसके मुताबिक कदम नहीं उठाया है, वह उनको उठाना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे सारी स्थिति पर विचार करेंगे कि हमने उनके साथ क्या समझौता किया और मैं यह आशा करता हूँ कि उन कर्मचारियों के हित के लिये कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। मैं इस बात को मानता हूँ कि आपने उनको हड़ताल का पैसा दिया और उन्होंने आपके कहने से हड़ताल को तोड़ी। आपने उनको आश्वासन दिया और उनके साथ आपने समझौता किया। उन लोगों ने तीन दफे आपकी बात को मान कर हड़ताल तोड़ी मगर फिर भी आपने जो उनके साथ समझौता किया उसका आप पालन नहीं करते हैं। जब वे लोग फिर हड़ताल पर जावेंगे तो आप कहेंगे कि यह लोग निर्माण के काम में बाधा डालते है। आपने जो उनके साथ समझौता किया है उसके अनुसार आप उनसे बचन बद्ध है, आपको उनका पालन करना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

३.५५ म० प०

(श्री मोतीलाल सभापति, पदासीन)

श्री लच्छूराम (मंडावा) : सभापति महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव ठेका प्रथा बन्द करने पर विचार करने हेतु है।

अभी माननीय सदस्यों की चारों तरफ

(श्री लच्छूराम)

से यही आवाज है कि जितने नागरिक निर्माण के कार्य हो रहे हैं वे बहुत भद्दे तरीके से हो रहे हैं और इसमें बड़ी गड़बड़ी होती है। अगर इस चीज को ठंडे दिमाग से सोचें कि इसका कारण क्या है तो आपको मालूम होगा कि आज जितने भी कार्य पी० डब्लू० डी० के जरिये कराये जाते हैं वे ठेकेदारों द्वारा कराये जाते हैं और ठेकेदार क्या करते हैं कि मैं ज्यादा मुनाफा उठाने की नीयत से वे लोग काम करते हैं और वह काम खराब हो जाता है। इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है कि इस ठेकेदारी प्रथा को क्यों नहीं समाप्त किया जावे और इसका अंत शीघ्रता से हो।

ठेकेदारी की प्रथा यों ही सिद्धान्त के खिलाफ पड़ती है। आज की सरकार का उद्देश्य है कि देश के अन्दर समाजवादी समाज की रचना हो और समाजवाद लाने के लिये और समाजवादी व्यवस्था कायम करने के नाते हमारी सरकार प्रयत्नशील है तो फिर इस प्रकार से ठेके की प्रथा को प्रोत्साहन देकर हम व्यक्तिगत पूंजी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों न हम इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करें ? एक तरफ हम एक व्यक्ति को अधिक मुनाफा देने से वंचित रखते हैं और दूसरी तरफ ऐसा करते हैं कि लोगों को ठेका देते हैं। इसके लिये हमने जिस प्रकार से काश्तकारों के मामलों में एक सीलिंग का बिल पास किया है कि एक काश्तकार के पास एक हद तक जमीन रहनी चाहिये जिससे उसको ज्यादा मुनाफा न मिल सके। इसलिए हमने सीलिंग बिल पास किया। दूसरी ओर इस ठेकेदारी प्रथा को प्रोत्साहन देकर हम पैसे वालों को और ज्यादा पैसे वाले बना रहे हैं। इसलिए यही कारण है कि आज जो ठेकेदार लोग हैं वे इस प्रकार से धांधली करते हैं और मैं समझता हूं कि ठेकेदारी प्रथा को खत्म न करने में गवर्नमेंट का हाथ है क्योंकि ठेकेदारों का एक प्रतिशत बंधा हुआ है, कुछ वे ले लेते हैं और कुछ वे कमाते हैं। १००) रु. में से ३३ रु० का काम नहीं होता है। यह गंदी प्रथा क्यों न खत्म कर दी जावे जब कि दूसरे दूसरे काम हैं ? नागपुर अधिवेशन के बाद सहकारिता पर अधिक जोर दिया गया और दिया जा रहा है। गवर्नमेंट की यह पॉलिसी है कि सहकारिता को अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। यदि ठेका कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जावे तो एक व्यक्ति को मुनाफा न मिल कर अधिक आदमियों को मिले, आज जो पूंजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया जा रहा है यह खत्म हो जाय। मैं तो चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट की ओर से ही निर्माण का कार्य हो। जहां जहां पर भी ठेके द्वारा काम कराया गया है वह असफल रहा है। जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, कहीं एक वर्ष के बाद दीवारें गिर गयीं। एक माननीय सदस्य ने एम. एल. एज़ क्वार्टर्स के बारे में ही कहा, असेम्बली के नीचे ही यह है, जहां माननीय सदस्य रहते हैं, उन क्वार्टर्स की बारह महीने के बाद ही छतें चूने लग जाती हैं और जो राजधानी से दूर काम होते हैं तो इससे ज्यादा भद्दे-गंदे होते होंगे। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस ठेकेदारी प्रथा के कारण निर्माण कार्यों में बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए इस ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दिया जाना चाहिये और विभागीय निर्माण कार्य शुरू कराये जाने चाहिये। इससे निर्माण के कार्य सुधरेंगे और इसमें जो करप्शन फैला हुआ है वह भी बन्द होगा। जिसका कि जैसे एक

Page No.111

(श्री लच्छूराम)

आम रिवाज़ चल गया है। मेरा यही कट मोशन है कि इस ठेकेदारी प्रथा को बन्द कर दिया जावे और डिपार्टमेंटल काम कराया जाय और यदि यह एक दम संभव न हो सके तो सहकारी समितियों को यह काम दिया जाय और उनसे यह काम कराया जावे। यह भी एक—दो साल तक ही कराया जाना चाहिये जब तक कि डिपार्टमेंट काम कराने की स्थिति में न हो, वैसे डिपार्टमेंट से ही कराना चाहिये जिससे कि निर्माण के कार्य ठीक तरह से हो सकें।

४, १. म. प.

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभा-महोदय, मेरे ११ कट मोशन्स हैं। कट मोशन्स ६, २७, ४३। सबसे पहले मैं अपना कट मोशन जो नं० ६ पर है उसके ऊपर बोलना चाहूंगा। कट मोशन नं० ६ है वह है लेवल क्रॉसिंग गेट फुलेरा—कुचामन के बीच बनाने का। यह कट मोशन लाया हूं सिर्फ इस बात को इलस्ट्रेट करने के लिये कि यह जो विभाग है इसमें गवर्नमेंट मशीनरीज़ में रेड टेपिज्म कितना चलता है और गवर्नमेंट का कितना केलोसनेस रहता है पब्लिक कन्वीनियेन्स की तरफ, इसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए। जिस एरिया का मैंने बताया है, एक रेलवे लाइन के आसपास में दोनों साइड में गांव हैं। काश्त के समय काश्तकार एक गांव से दूसरे गांव में गाड़ी लेकर जाना चाहते हैं। दोनों गांव पास पास में हैं, स्ट्रेट डिस्टेन्स आधा मील भी नहीं है। आधा से एक मील का डिस्टेन्स रेलवे क्रॉसिंग है, वहां काश्तकार खाद वगैरह, बीज वगैरह गाड़ी में डाल कर नहीं लेजा सकता है। यदि इस तरफ ३ मील और इस तरफ १।। मील जाय तो जाकर रेलवे क्रॉसिंग मिलता है। तो चक्कर काट कर एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है जब कि आमने—सामने दोनों गांव हैं। इससे वहां के लोगों को काफी परेशानी है। इसके सम्बन्ध में कुछ रिप्रेजेन्टेशन वहां के गांव के लोगों ने किये और मार्केटिंग सोसाइटी है वहां के मंत्री ने भी लिख कर दिये, गांव वालों ने काफी संख्या में दस्तखत करके रिप्रेजेन्टेशन दिये। मैंने २५ तारीख को उस रिप्रेजेन्टेशन की कॉपी मिनिस्टर इन्चार्ज के पास भेजी और एक कॉपी रिप्रेजेन्टेशन की रेलवे अधिकारी को दीया। रेलवे अधिकारी को जो रिप्रेजेन्टेशन की कापी भेजी थी उसका जवाब मुझे १५ जुलाई को मिल गया था और उस जवाब में यह कहा था कि एक सड़क है, गांव वालों ने कहा था कि हम अपने श्रम—दान से इस टुकड़े को बना देंगे, रेलवे को भी यह लिखा कि 'सी' क्लास गेट है, लेवल क्रॉसिंग है, आपको खर्चा भी नहीं पड़ेगा केवल आपकी इजाज़त होनी चाहिये, रेलवेज़ एक्ट की धारा ११ सब-क्लॉज ३ 'बी' के मातहत वे कहते हैं कि जो सड़क बनानी है उसको रेलवे तब बना सकती है जब कि स्टेट गवर्नमेंट इनकी अन्डरटेकिंग ले, इसके मेन्टीनेन्स वगैरह का सारा खर्चा है वह स्टेट गवर्नमेंट उठायेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जरूरी समझे तब बनेगी। इस कॉपी को लेकर फिर स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। ८ अक्टूबर को रेलवे की तरफ से नोटिस आता है कि स्टेट गवर्नमेंट को एप्रोच किया या नहीं ? क्या डिसिज़न हुआ, नहीं हुआ है तो हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। इसके बाद हमने ८. १०. ५८ को जगजीवन बाबू को लिखा। जगजीवन बाबू की एक

(श्री पी० के० चौधरी)

चिट्ठी आती है। जनवरी में भी उन्होंने लिखा है कि यह स्टेट गवर्नमेंट का कार्य है क्योंकि दस साल के अन्दर रेलवे क्रॉसिंग बनानी हो तो रेलवे अपने इनीशियेटिव से बनाती है, नहीं तो स्टेट बनायेगी। मैंने २५ मई को स्टेट गवर्नमेन्ट को लिखा। एक्नॉलेजमेन्ट की उसकी, रसीद मेरे पास मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात है कि रेलवे को लिखा नहीं गया कि कच्चा गेट बना दे। यह केलोसनेस, रेड-टेपिज्म है। मंत्री महोदय को इसके एक्नॉलेजमेन्ट के नम्बर मैं दे देता हूं जिससे उनको फाइल ट्रेस आउट करने में सहूलियत रहेगी। एक्नॉलेजमेन्ट नं० है २३४७ दिनांक १३-६-५६ For a katcha level Crossing on Phulera-Sambhar line. Signed by P. A. to Minister for P. W. D., Badri Lal or somebody. यह उनका एक्नॉलेजमेन्ट है मेरे पास। दो साल हो गये एक कच्चे ट्रैक्ट के लिए। जहां स्टेट गवर्नमेन्ट खर्चा करने के लिए तैयार न हो, जहां ग्रामवासी लोग श्रमदान लगा कर बनाने के लिए तैयार हैं केवल आपको तो रेलवे को एक चिट्ठी लिखनी है कि स्टेट गवर्नमेन्ट बनाने को तैयार है। मिसाल के तौर पर यह मैंने पेश किया है। दो साल से परस्यू करने के बाद भी यह नहीं हो पाया। दो साल पहले केबिनेट मीटिंग के सामने भी यह रखा था, पहले जब सारे जिले के एम. एल. एज़. केबिनेट से मिलते थे तो उस समय उसके सामने रखा, आज तक एक चिट्ठी लिख नहीं पाये। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे और चिट्ठी लिख कर इस लेवल क्रॉसिंग की व्यवस्था करवायेंगे।

दूसरा कट मोशन ४३ पर है, उस पर मैं बोलूंगा। कट मोशन ४३ है वह यह है कि राजस्थान में इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स की जो सड़कें हैं उनकी काफी कमी है। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि किसी स्टेट के विकास के लिए, कम्युनिकेशन्स, यातायात के साधन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। हम यदि राजस्थान का विकास करना चाहें तो कम्युनिकेशन्स के साधन न हों तो तब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। आज के जमाने में कम्युनिकेशन के साधन तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब कि ज्यादा से ज्यादा रोड्स का हम इन्तजाम करें। रेलवे का कम्युनिकेशन है वह सफीशियेन्ट नहीं है। आज सारी दुनिया में रोड ट्रान्सपोर्ट है, वह बहुत जरूरी माना गया है। इस लिहाज़ से राजस्थान में सड़कों का विकास करना बहुत जरूरी है। दूसरी स्टेट्स के मुकाबले हमारी स्टेट का नम्बर तीसरा है जिसका एरिया बहुत ज्यादा है। हमारे यहां जो फीगर्स हैं, कच्चा पक्का और फेयर वेदर रोड सब मिला कर करीब १४ हजार मील की सड़क है। इसमें से करीब ५ हजार मील की फेयर वेदर रोड्स हैं जिनको केवल पगडंडियां कह सकते हैं। कच्चा रास्ता है तीन हजार मील का, पक्का रास्ता है वह केवल ६ हजार मील के करीब रहता है। इस तरह से आपको पता लग सकता है जिस स्टेट के अन्दर इतने कम मार्ग हों वहा के कम्युनिकेशन्स का क्या इन्डेक्स हो सकता है कितना बैकवर्ड है। जहां तक रोड के डेवलपमेंट का सवाल है राजस्थान बहुत पीछे है। इसी सम्बन्ध में मैंने दो साल पहले एक सवाल किया था हमें सेन्ट्रल रोड फण्ड से कितना रुपया मिलता है? हमने १६५७-५८ में सिर्फ डेढ़ लाख रुपया सेन्ट्रल रोड फण्ड

Page No.113

(श्री पी० के० चौधरी)

से लिया था। दूसरी स्टेट्स ने हमारे दस गुना और बीस गुना तक अधिक लिया है। इस साल हम ३० लाख रुपये के करीब ले सके हैं। मैंने तलाश की तो पता चला कि हमारी जो स्कीम्स तैयार होती हैं वह प्रोपरली नहीं होतीं। अगर हम ठीक प्रकार से स्कीम बना कर देते हैं और उसके लिये स्कीमें प्रेस करें तो हमें काफी रुपया अवेलेबल हो सकता है। हमें सेन्ट्रल रोड फण्ड्स को प्राप्त करने के लिये हम अपनी स्कीम्स अच्छी बनायें ताकि प्रेस कर सकें। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सवाल है। उसको अच्छा पैसा मिले किसान को अपनी फसल का, उसके लिये भी कम्युनिकेशन के साधनों की आवश्यकता है। ऐसे रास्ते हों जहां से बसेज़ ट्रक्स आदि का चलन हो तो किसान भी अपने माल को अच्छी जगह मार्केट में लाकर ठीक कीमत हासिल कर सकता है, नहीं तो क्या होता है कि जो बनिया होता है उसी को चीप रेट्स पर उसे बेचना पड़ता है। अगर रोड्स का इन्तज़ाम हो, बसें या ट्रक्स का रास्ता हो तो he can take it to the bes t market.

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी भी सड़कें हम बनाने जा रहे हैं उसका भी डिस्ट्रिब्यूशन इक्वल नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट्स-डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर भेदभाव रखा जाता है। मैंने इस साल का बजट देखा है जयपुर डिविज़न जो इन्जीनियरिंग डिविजन है उसमें और दूसरे डिविजनस में क्या क्या अलॉटमेंट हुआ है, उसके फिगर्स देखे हैं। सारे जयपुर डिविजन के अन्दर हम ७॥ लाख रुपया रोड्स के लिये खर्च करने जा रहे हैं उसमें दो लाख खर्च कर रहे हैं जयपुर डिविजन जो सब से बड़ा डिविजन है उसके लिये। Metalled road from Malpura to Jaipur. यह जयपुर डिविजन के अन्दर हम देखते हैं, सभी सड़कें मालपुरा से शुरू होती हैं चूंकि वहां माल रहता है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : चूंकि माल मंत्री हैं वहां के।

श्री पी० के० चौधरी : मैं फिगर्स बताकर यह कहना चाहता हूं कि फंड्स का जो अलॉटमेन्ट हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है In Jodhpur Division the total cost of roads is Rs. 71,25,000/—. इसमें से ६,७६,८०० रुपया जोधपुर डिविजन में रखा है। इसके अनुसार जो काम हो रहा है विकास हो रहा है, वह कम हो रहा है if you take the State as a whole हम यदि गांवों का विकास करना चाहते हैं लेकिन जो रोडस् के लिये जो डिस्ट्रिब्यूशन किया गया है it is basd cn one side. किसी एक जगह हो रहा है किसी दूसरी जगह-जगह कुछ नहीं हो रहा है।

जयपुर की सड़कों को लीजिये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ५३८ मील की सड़क है। मेटल्ड और अनमेटल्ड मिला कर लगभग ४०० मील पक्की और फेअर वेदर रोड है। बेसिक स्टेटिस्टिक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दूसरी जगहों से यह बहुत कम है। उदयपुर में १७२४ मील भरतपुर में ६०० मील। जयपुर बिगेस्ट डिविजन है उसमें रोड डेवलपमेन्ट की बहुत कमी है। स्टेट में रोड्स के विकास सिर्फ इकोनोमिकल डेवलपमेन्ट के लिये ही जरूरी नहीं, स्टेट में होमोजिनिटी पैदा करना चाहते हैं तो एक दूसरे से मिलने-जुलने के, आवा-

(श्री पी० के० चौधरी)

गमन के साधन बढ़ाने होंगे। जितनी भी डवेलपमेन्ट रोड्स हैं उनका इक्वीटेबल डिस्ट्रिब्यूशन होना चाहिये सब डिस्ट्रिक्टस को सब जिलों को कुछ न कुछ मिले, ऐसी स्कीम हमें तैयार करनी चाहिये। इसके सिवाय मैं अपने अमेन्डमेन्ट पर और ज्यादा बोलना नहीं चाहता। ये सारे के सारे अमेन्डमेन्टस २७ से लेकर ३५ तक हैं जो सब मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से संबन्धित हैं। I don't want to speak much on it. अनफोर्चुनेटली मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूएन्सी से आता हूँ जहां पर एक भी सड़क नहीं है, not a single road in the entize constituency. जयपुर से फुलेरा सड़क नहीं। सात मील का चक्कर देकर सड़क है। जयपुर से अजमेर सड़क है जो फुलेरा से ४० मील होकर जाती है, उसके बारे में भी कट मोशन है जयपुर से फुलेरा कनेक्ट करना चाहिये यह इसलिये भी जरूरी है कि हमारे मंत्री महोदय को यदि बीकानेर या जोधपुर जाना होता है तो वे फुलेरा पर जाकर ट्रेन पकड़ते हैं। ६२ मील का दौरा करके गाड़ी फुलेरा में पकड़ते हैं जहां पर दो घंटा पड़ी रहती है। जयपुर से फुलेरा का लिंक कर दें, फुलेरा को अजमेर और जयपुर सड़क के साथ मिला दें, ये बीस मील कट जाते हैं। इस तरह से फुलेरा का जयपुर के साथ लिंक हो जाता है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में फुलेरा से सांभर तक का ३ या ४ मील का टुकड़ा है, इसके अलावा कहीं पर भी सड़क नहीं है।

जयपुर से रेनवाल तक सड़क बनायी है। हरसोली से रेनवाल तक टीक कर दी गई है। मेरे हिसाब से मेरी कॉन्स्टिट्यूएन्सी में कोई सड़क नहीं है सिर्फ एक सड़क चाहता हूं फुलेरा टू जोबनेर ताकि आयन्दा इलेक्शन में जीप से तो हम जा सकें। यह इन्तजाम चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय इस पर अवश्य ध्यान देंगे।

एक माननीय सदस्य : हवाई जहाज से जा सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : हवाई जहाज से या पैदल जाना पड़ता है अभी तो जीप को रेते में भी चलाते हैं।

दूसरी बात जो मैंने कटमोशन के अन्दर रखी है गर्ल्स मिडिल स्कूल के मकान की रिपेयर्स के बारे में। मकान बहुत खराब कन्डीशन में है इसलिये इसकी तुरन्त रिपेयर होनी चाहिये। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने जैसा कि डिक्लेअर किया इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि इसके लिये नई इमारत बनवा दी जाय तो अच्छा रहेगा, हाईस्कूल में लड़कियां अच्छी तरह से पढ़ सकेंगी।

३४ नंबर का कटमोशन है, फुलेरा में हाईस्कूल है उसके रिपेयर्स के बारे में। मैं समझता हूँ रिपेयर्स से ज्यादा आवश्यक है वहां चार कमरे और बना दिये जाय। जहां मेरे सड़कों के लिये कटमोशन हैं उसको मन्त्री महोदय खुद पढ़ लें तो समझ जायेंगे कि कौन कौन सी सड़क मैं चाहता हूं।

एक बात यह है कि फुलेरा की एक तहसील है वहां तहसील हैड क्वार्टर होने पर भी किसी गांव से, किसी सड़क से इसका कनेक्शन नहीं है। इसलिये यह जरूरी है कि तहसील हैडक्वार्टर होने के कारण तहसील से लगती एक सड़क हो जाय तो आसपास के

(श्री पी० के० चौधरी)

लोग आसानी से आ-जा सकते हैं इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०) : माननीय सभापति महोदय, निर्माण कार्य पर मेरा एक कट मोशन है। और यह मैंने इसलिये रखा है कि निर्माण कार्यों की प्रगति सन्तोषप्रद नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, पहली योजना में जिन सड़कों के लिये धनराशि स्वीकृत की गई थी, दूसरी योजना पूरी होने जा रही है पर अभी तक पहली योजना के काम पूरे नहीं हो सके। इसका खास कारण यह है कि गर्मी और सर्दी में ये पी० डब्ल्यू० डी० वाले उन सड़कों पर मिट्टी डाल देते हैं और बरसात होते ही वह बह जाती है। हमारे मन्त्री उनको देखने के लिये टूर भी करते हैं पर सही बात उनके नोटिस में नहीं आती। पन्द्रह—बीस दिन पहले ही उनके टूर का कार्यक्रम इनको मिल जाता है और एक दम से न मालूम कहां से ये पी० डब्ल्यू० डी० वाले स्पेशल गैंग लगा लगा कर उन सड़कों के खड्डे पूरे करवा देते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): अब तो आपके मन्त्री हर महीने आवेंगे।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो इसकी आलोचना तो अगले बजट पर करूंगा, तभी तक इसका असर पड़ेगा।

श्री सभापति : अब तो सन्तोष होना चाहिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : सन्तोष तो अब होगा, और जैसा होगा आगे बजट पर बतलाऊंगा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): सड़क बना दें तब तो सन्तोष होगा?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो मैंने प्रोग्राम बनाया। निर्माण मन्त्रीजी तो हमारी सड़कों की दशा देखना नहीं चाहते। मैंने सोचा कोई प्रोग्राम बना कर यह सड़क मुख्य मन्त्रीजी को बताऊं। हो सकता है उनके पधारने से वह पूरी हो जावे। मैंने एक खानपुर हाई स्कूल के उद्घाटन के बहाने से उनको निमन्त्रित किया और सोचा कि उनको ऐसे रोड से गुजारें जहां दो—दो, तीन—तीन फीट ऊंचे हिलना उछलना पड़े जीप में। पर पी० डब्ल्यू० डी० वालों ने क्या किया कि न जाने कहां से रातोंरात और दिन भर में तीन, चार, पांच सौ मजदूर लगा कर सारे खड्डे पूर दिये। मन्त्री महोदय कहने लगे कहां तो पचास-साठ मील का रास्ता तै करके आना पड़ता यहां १६—बीस मील में ही खानपुर आ गया। यह रोड तो बड़ी शॉर्ट कट है कनवास से खानपुर! तो यह हालत है। जब हम पूछते हैं तो कह देते हैं मन्जूरी नहीं है। हालांकि पहली योजना में १,५० हजार मन्जूर हुए थे। और लोग तो गांव और शहरों में स्वागत करते हैं पर मैंने तो मन्त्री महोदय को स्वागत के लिये उस जगह बुलाया जहां धूल पड़ी थी, गांव के किनारे पुलिया को देख जावें। यही आपका स्वागत है।

श्री सोहनलाल भटनागर : आपका कोई स्वार्थ होगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। तो आज भी वे जो

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

गड़े हैं पूरे नहीं हुए। मैं जब मिर्धा साहब से कहता हूँ तो कहते हैं एक बार प्लान बनाइये, सभी अपने अभाव-अभियोग पार्टी में रखो और हम सुनेंगे। जिलेवार एम० एल० एज़० को बुलाने लगे। ऐसा लगा कि सभी के अभाव पूरे करेंगे ! पर हमने जो सुझाव दिये वे आज तक पूरे नहीं हुए। उन पर जब दबाव आता है तो न जाने क्या क्या कारगुजारियां कर गुजरते हैं पर जब हमारी मांगों का समय आता है तो उनको पूरा करने को तैयार नहीं होते हैं।

अब मैं भवनों की दशा बताऊं।

श्री सभापति : आपका कट मोशन इस पर नहीं है ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह है, पी० डब्ल्यू० डी० में दोनों आते हैं। तो कभी भवन और कभी सड़कें बीच बीच में सड़क और भवन ऐसे ही चलेगा तब तो ठीक होगा। खानपुर में एक हाई स्कूल की बिल्डिंग हमने बनाई, जिसमें जनता की तरफ से ५३ हजार रुपये खर्च किये गये।

इसके लिये चौधरी रामचन्द्रजी जब निर्माण मन्त्री बने तो मैंने एक किसान सम्मेलन के बहाने टूर कराके वह भवन दिखाया। मन्त्रीजी ने कहा कि जनता के उत्साह को देख कर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं और जनता के इस श्रमदान की सराहना करता हूं। सरकार श्रमदान करने वालों की कद्र करना चाहती है, यह बिल्डिंग आप सरकार को दे दो, सरकार पूरी करा देगी। यहां क्या था हमने तुरन्त कह दिया आप लो, सारी बिल्डिंग सम्भाल लो। उन्होंने घोषणा की कि १५ हजार सालाना लगा कर तीन साल में ४५ हजार से इसे ठीक पूरा करवाएगी सरकार।

वह पहली घोषणा का तो पन्द्रह हजार मिला। बाकी तीस हजार का पता ही नहीं।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : वे फिर मन्त्री ही नहीं रहे।

श्री सोहनलाल भटनागर : इसलिए वापिस बनाया है अब।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : मैं इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सरकार अपनी उस घोषणा का पालन करे और तीस हजार लगा कर अब उसे पूरा कर दे।

अभी हमारे यहां लड़कियों के बैठने के लिए कुछ नहीं था। हमने सोचा हमारे यहां मिडिल स्कूल चल रही थी, उसका पुराना भवन था। अगर लड़कियों के लिये स्कूल नई बना देंगे तो मिडिल स्कूल के लड़के हाई स्कूल में चले जावेंगे। तो यह एक पुरानी गवर्नमेंट की बिल्डिंग है जिसमें लड़कियां बैठने लग जावेंगी क्योंकि उनके लिये कोई बैठने का प्रबन्ध नहीं है, बरसात में उनकी किताबें भीग जाती हैं। बच्चों की बहुत बड़ी हानि इस तरह होती है। तो बच्चों की तो यह दशा हमारे वहां है।

डग और गंगधार रोड ५४ में मन्जूर हुई थी। रोड तो पूरी हो गई।

श्री सम्पतराज जैन (असलेरा) : नहीं हुई।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पर यह तो उनका क्षेत्र है। पुलियाओं का काम अधूरा पड़ा हुआ है।

श्री सभापति : अब पूरा हो जावेगा आपका।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : पंच-पहाड़ सूले रोड का भी यही हाल है। यह क्यों रह जाती है एक शिकायत है पी० डब्ल्यू० डी० विभाग वालों के अधिकारियों के बारे में! वे ठेकेदारों को वक्त पर पैसा नहीं देते। टेन्डर बार बार लेते ही रहते हैं, स्वीकार नहीं करते। बार बार लौटाने और पैसा समय पर नहीं देने के पीछे भी रहस्य है। माननीय सभापति महोदय, ठेकेदारों से एक बन्धी रकम है, वह रकम जब तक इन विभागवालों को नहीं मिलती वे उनको बार बार चक्कर देते हैं, टेन्डर मन्जूर नहीं करते, पैसा समय पर नहीं देते। अब ठेकेदारों के पास स्वयं का इतना पैसा नहीं कि वे उसको एक बार में ही पूरा कर दें। क्योंकि रोज़गारी चलाने के लिये तो ठेका ले तो लेते हैं पर इतनी रकम नहीं होती उनके पास। अब कोई बन्धी रकम दे देता है तो क्या होता है उस रोड पर पत्थर पटक कर, पट्टी की तरह फरशी जैसा होना चाहिये, नहीं करते, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं और जो बन्धा हुआ पैसा होता है दे देते हैं। तुरन्त ही इन्जीनियर साहब पहुँच जाते हैं। पास कर देता है। ठेकेदार कहता है अब तो रोलर दिलवाइये सब ठीक कर दूंगा। तो इस तरह से जिस तरह से ठीक सही रूप से सड़क बननी चाहिये, नहीं बनती। ऐसी सड़क बरसात में साफ हो जाती है। पटपड़े पर मिट्टी जो डाली वह बह जाती है। पुरानी पक्की टाटी की सड़कें कई बनी हुई हैं। उनकी आज भी मिट्टी जमी हुई है। नई रोड का आज यह हाल है कि साल भर चलना मुश्किल है, बरसात में साफ हो जाती हैं। मन्त्री महोदय पधारते हैं तो वे खड्डे पूर दिये जाते हैं। फिर उनकी मोटर भी बड़ी तेज रफ्तार से निकलती है, खड्डे भी नजर नहीं आते। आहिस्ता से चलें तो उनको भी मालूम पड़ सकता है।

दूसरी चीज़, कोई भी सदस्य किसी अफसर की आलोचना करता है तो मन्त्री महोदय उनका बचाव करते हैं, उनकी और बड़ाई कर देते हैं। माननीय सदस्य ने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है उनकी यह हिम्मत इस तरह करने की बढ़ती जाती है और कोई भी जनता का प्रतिनिधि या एम० एल० ए० या कोई भी उनकी आलोचना करके क्या ले लेगा, इस तरह की बातें वे ऊपर से और करते हैं। हम भी देखते हैं, आज उनकी बात ठीक उतर रही है। हम कितनी भी ठीक और सही बात कहें मन्त्री महोदय हमें ऊटपटांग जवाब देकर चुप करने की कोशिश करेंगे और उनका पक्ष करेंगे। इस तरह से जनतन्त्र आपका नहीं चलेगा। अगर जनतन्त्र आपको चलाना है तो यह रवैया बदलना होगा। जनता में विश्वास पैदा करना है तो जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हां, यह ठीक है कि आप जांच करिये। अगर जनता के प्रतिनिधियों की बात गलत निकले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिये और सही निकले तो आप कैसा भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो वैसा ही एक्शन उसके साथ लीजिये। पर माननीय सभापति महोदय, होता क्या है, ये उनका पक्ष ले लेते हैं। इससे नीचे के ओवरसियर भी बेचारे

Page No.118

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

घबराते हैं और दूसरे दूसरे लोग उन अफसरों से घबराते हैं कि मेरी अगर शिकायत हो गई तो मेरा तो कुछ न कुछ हो ही जावेगा, भले ही इन बड़े बड़ों का कुछ न हो। तो माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर यही नीति रही, जैसी कि अभी तक है कि विधान सभा के सदस्य ने कोई आलोचना की और उनका झूटमूठ जवाब दे दिया तो इससे क्या असर होता है राज्य के अधिकारियों पर कि उनके दिमाग पर किसी भी बात का असर नहीं होता और वे ऐसा सोचते हैं कि एम० एल० ए० लोग तो ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं, ऐसी उनकी भावना है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कहूँगा कि अगर हमें जनता के दिल में शासन के प्रति विश्वास पैदा करना है तो यह देखना पड़ेगा। आज मंत्री लोग उद्घाटन करने के लिए पहुँच जाते हैं। वहां जाकर ऑफिसरों को बुला लेते हैं और उनसे बातें करने में लग जाते हैं और उद्घाटन किया और बस चल दिए। वहां कागज कोई नहीं देखेंगे वह जैसा कह देंगे सुन कर और उद्घाटन करके चले जाते हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारे मंत्री लोग दौरा करें और खूब करें पर वह वहां ऑफिसेज़ में जायें और वहां के कागजात देखें। और देखें कि वहां की क्या हालत है? तो इससे हालत सुधर सकती है।....

एक माननीय सदस्य : आप भी फिर किसी मिनिस्टर को बुला लीजिए।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो माननीय सभापति महोदय, मैंने तो बताया कि जनता के स्वार्थ के लिए ही मिनिस्टरों को लाया जाता है, नहीं तो मिनिस्टरों को पूजने के लिए नहीं ले आते हैं। आगे कालेरा से मनोहरपुरा थाना रोड है उसकी पुलिया अधूरी पड़ी है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई ...

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) : उसके टेन्डर हो गए।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : टेन्डर तो हो गए होंगे, पर मंजूर नहीं हुए होंगे।

श्री सभापति : आप उनकी बातों का ख्याल न करें, अपना भाषण शीघ्र ही समाप्त कर दें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जो रोड थाना से छीपा बड़ौद जाती है वहां एक कालीखाड की नदी है और वह बिल्कुल मनोहरपुरा थाना के पास है उसमें सैकड़ों मवेशी बह जाते हैं। वहां पर पुरुष और स्त्रियों के खेत परली पार होने के नाते उस नदी में कई बच्चे-बच्चियां बह जाते हैं। वहां की बहुत खराब हालत है। पहली पंचवर्षीय योजना के समय में मैंने वह जगह श्री भोलानाथजी को बुला कर दिखाई थी और उसके लिए उस समय भी नकशा बनवा लिया गया था वह नकशा बन करके न जाने कहां गया। उसका अभी तक कोई पता नहीं तीसरी पंचवर्षीय योजना भी शुरु होने वाली है....

(घंटी)

श्री सभापति : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : राज्य-

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

पाल महोदय के भाषण पर भी मुझे अवसर नहीं दिया गया और वित्त मंत्री महोदय के भाषण पर भी अवसर नहीं दिया गया और उस समय यह कह दिया गया था कि यह जो गांव से आने वाले विधान सभाई हैं इनको कट मोशन के समय बहुत मौका मिलेगा और अब आप रोकने लग गए ...

श्री सभापति : आपको समय काफी मिल गया है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं अब ही तो बोल रहा हूं ।

(हंसी)

श्री सभापति : अब आप दो मिनट में ही समाप्त कर दें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो माननीय सभापति महोदय, यह छोटा सा टुकड़ा बगाना घोबड़पुर और यह मध्य भारत को जाने वाला टुकड़ा है । आगे तो जीरापुर वगैरह का रोड बना हुआ है और इस टुकड़े को उस समय भोलानाथजी को भी बताया था । उन्होंने कहा था कि इसको तो जल्दी बनवा देंगे और इसीलिए हमने जनता को विश्वास दे दिया कि यह जल्दी बनेगा और वह अभी तक नहीं बना है । जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वह कहते हैं कि अब झूठ बोल करके हमारे बीच में आते हो । इसमें मंत्री महोदय का तो कुछ नहीं बिगड़ता और जनता के सामने तो हमें ही जाना होता है । हम कम से कम पूरी आलोचना तो कर दें, ताकि आगे उस पर ध्यान रखा जाये । आपने तीसरी बार में तो विश्वास खो दिया । पहले भोलानाथजी आये फिर दूसरे फिर तीसरे आये पर किसी ने भी उस टुकड़े को पूरा नहीं करवाया और आपने तो तीसरी बार भी विश्वास खो दिया....

श्री सभापति : आप तो कुछ नई बात बोलिये, पुरानी छोड़ दें ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अच्छी बात, यह भी पूरी हो जावेगी ।

(हंसी)

झालावाड़ से बारां जामर रोड है उसके लिए मैंने गई साल एक न्यूज़ निकाली कि भारत सरकार के मंत्री मनोहरपुर थाना पहुँच रहे हैं तारीख फलां को और वहां से सम्मेलन में जा रहे हैं । यह खबर आई तो पी० डब्ल्यू० डी० वाले सड़क को ठीक करने में लग गए और उस पर मिट्टी डालने लग गए । वह दिन आने के ८ दिन पहले फिर एक खबर निकाल दी कि किसी खास कारण की वजह से उन्होंने अपनी स्वीकृति नहीं दी । तो माननीय सभापति महोदय, आज मैं इस तरकीब से काम निकाल लेता हूँ । तो मैं आज कह सकता हूं कि यह मैंने तरकीब से काम लिया है । नहीं तो आज कोई भी मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि मैं किसी मंत्री के घर कोई काम करवाने के लिए गया हूं । मैंने किसी मिनिस्टर का बंगला नहीं देखा है । लेकिन तरकीब ही तरकीब से कोशिश करता रहता हूं ।

(हंसी)

तो माननीय सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूं, इसलिए मंत्री महोदय ध्यान दें ताकि मुझे मेरी तरकीब नहीं लगानी पड़े और

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

आप ही काम करा दें। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो माननीय सभापति महोदय, एक तो कन्या मिडिल स्कूल, खानपुर और गुलरा की बिल्डिंग आप वहां बनवा दें। वहां की जनता को बहुत श्रमदान देना पड़ेगा तो यह दो बिल्डिंग तो सरकार बना दे। कन्याओं के लिए तो दान देते हैं और आप सरकार वाले कन्याओं के लिए बिल्डिंग भी बनवाकर दान नहीं देते हैं, यह शर्म की बात है। चाहे लड़कों को न दें पर लड़कियों को तो दहेज में देते हैं। तो एक स्कूल तो आप सारे विधान सभा के सदस्य मिल कर लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग तो दहेज में दे दें। तो माननीय सभापति महोदय, यह दो कन्याओं के पाठशाला की बिल्डिंग तो सरकार जल्दी से जल्दी बनवावें। इन शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सभापति महोदय, मांग संख्या २३ में मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है "भरतपुर जिले की सड़कों की बढ़ती हुई दुर्दशा पर विचार करने हेतु"। सभापति महोदय, यह मैंने शब्द जो कटौती के प्रस्ताव में रखे हैं बढ़ती हुई दुर्दशा पर विचार करने हेतु' यह इस निमित्त रखे हैं कि भरतपुर की सड़कों की जो दुर्दशा है वह अब की नहीं बहुत लम्बे अर्से की है और वह दूरी के अन्दर ६०० मील जैसी लम्बी है पर वह जितनी लम्बी है उतनी ही उसकी दुर्दशा है, ऐसा मेरा दावा है ......

श्री सभापति : तो आप भी मिनिस्टर को बुला लें।

४ म. प.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वहां ने मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, लेकिन सड़क को ठीक नहीं करते। जिस स्थिति में वह सड़कें पिछले पांच-सात साल से रही हैं उसके बाद में उनके सुधार की तरफ ध्यान कम दिया गया है। यह भरतपुर जिले का ही सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि भरतपुर में होकर एक सड़क आगरा-जयपुर या अजमेर जिसको कहें वह आती है, जिसके ऊपर नित्य प्रति मैं समझता हूं ६०-७० टूरिस्ट्स का आवागमन रहता है। मैं जब भी इस सड़क पर से होकर महीने में दो-तीन बार भरतपुर जाता हूँ और मैं जिस वाहन से जाता हूँ, मेरे वाहन में भी लगभग वह सारे ही झटके पटके होने चाहिए वह होते हैं लेकिन हम लोग तो अभ्यस्त हैं। लेकिन वास्तव में मुझे खेद होता है और शर्म आती है जब कि हम देखते हैं कि हमारे टूरिस्ट्स जो कि बाहर के दूसरे मुल्कों से आते हैं आगरा के ताजमहल को देख कर आगरा, की साइड से आते हैं, वहां की बहुत ही समतल सड़क है और उस पर से आते हैं लेकिन ज्योंही भरतपुर जिले में उनका प्रवेश होता है लगभग ८-६ मील उस साइड में और लगभग २६ मील जयपुर साइड में वह सड़क ऐसी है जहां कि ४ मील का कोई

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

टुकड़ा ऐसा नहीं होगा जिसमें २–२॥ मील सड़क खराब न हो। कहीं टूट–फूट हो गई है, कहीं दांचियां पड़ी हुई होंगी। दांचियां और टूट-फूट साधारण गाड़ियों से नहीं होती हैं, यानि बड़ी बड़ी व्हिइक्लस या टनर्स चलते हैं इसलिए नहीं हुई हैं बल्कि वहां पर जिस प्रकार की बरसात होती है उस वर्षा का भी असर उन सड़कों पर पड़ता है। अब से दो वर्ष पूर्व जब भरतपुर में असाधारण वृष्टि हुई उसके कारण से खास तौर से जयपुर–आगरा सड़क कितनी ही जगह से टूट गई और कितनी ही जगह से नीचे दब गई है और कितनी ही जगह का पेंटिंग निकल गया है। लेकिन दुःख इस बात का है कि दो साल पूरे होने को आये हैं कोई २–३ महीने ही बाकी होंगे उस पर कुछ जगह पेंटिंग करने के अतिरिक्त कोई मेजर काम नहीं हुआ है। मैंने कई बार इस सदन में इस ओर ध्यान दिलाया है कि सड़क का लेवल इतना नीचा है कि हर साल कितना ही रुपया लगाते रहियेगा जब तक उसका लेवल ऊंचा नहीं किया जायगा वह सड़क ठीक तरह से नहीं रह सकती है। सबसे अधिक दुर्दशा इस खास सड़क की है जिसके लिए, मैं आशा करता हूं, दो–तीन साल से आशा दिलाई है वह पूरी कहां तक होगी वह भगवान् ही जाने। इधर से राष्ट्रीय मार्ग निकलने वाला है उसका यह एक अंग है लेकिन आज जो हालत है वह इस प्रकार की है।

इसी तरह से भरतपुर से डीग जो कि सब-डिविजन है वहां से कांसी, कामां, कितनी ही जगह जाते हैं। उस सड़क की भी जो कि बरसात में जहां जहां खराब हुई है उस पर अब तक सिवाय मिट्टी डालने के ठीक तरह की मरम्मत नहीं की गई है। जितनी भी और पुरानी सड़कें हैं, कामां, पहाड़ी का खास तौर से उदाहरण के लिए यहां सवाल भी आता रहता है कि जो सन् ३५ में शायद बनाई गई थी। उसके बाद में उसकी मुकम्मिल मरम्मत आज तक नहीं हुई। कभी एक मील का टुकड़ा करके २–३ साल के लिये छोड़ दिया जाता है फिर एक मील हो जाता है। इस तरह से एक जगह बन कर तैयार होती है तब तक दूसरा खत्म हो जाता है।

पुरानी सड़कों के अतिरिक्त भी नई सड़कों के बनाने में ५–७ साल लग गये हैं। उनमें भी कहीं पर २, ३, ४ जगह मिट्टी पड़ गई है तो कहीं पर कॉन्क्रीट डाल दी गई है, लेकिन पूरी मुकम्मिल सड़क उनमें से नहीं हो पाई है जिस पर हर मौसम में यातायात हो सके। सीकरी, पहाड़ी सीकरी, नगर से जो जयपुर रोड़ तक आती है उस सड़क के लिए पहले ठेकेदार को ठेका दिया गया लेकिन वक्त पर उसने कोई काम पूरा नहीं किया। फिर कुछ ध्यान दिलाये जाने पर

(घंटी)

डिपार्टमेंट ने उस काम को लिया। मैं जहां तक समझता हूँ डिपार्टमेंट की प्रगति भी कोई संतोषजनक नहीं है। वहां पर कहीं थोड़ा मैटीरियल इकट्ठा कर देते हैं यह कहने के लिए कि साहब हम काम कर रहे हैं। यहां प्रश्नों के उत्तर में कहा जाता है कि वहां पर मेटीरियल क्लेक्ट किया जा रहा है और वह मेटीरियल ३–४

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

साल तक उसी हालत में है। कभी कोई बजरी आदि जमाने का काम किया गया हो, ऐसा नहीं हुआ है।

मेरी खास तौर से शिकायत इस बात की है, जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने भी की है, यदि कोई बहुत ही हाई एन्ड फास्ट रूल बने हुए हों तो भी इस निति को छोड़ देना चाहिए। होता क्या है कि सड़क बनाई जाती है और बीच बीच में २-३ मील पर पुलियाएं आती हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है और कहते हैं कि इनका ठेका अलग से देते हैं। अलग से भी देते हों लेकिन उसको साथ साथ चला सकते हैं। सड़क बन जाती है लेकिन कहीं पर ५ मील, कहीं ४ मील और कहीं २ मील पर पुलिया नहीं होती है, फिर एक दो मील का टुकड़ा आता है और पुलिया नहीं होती है। उसका नतीजा यह होता है कि बरसात के दिनों में ३, ४ महीने वह सड़क बनी हुई भी किसी काम में नहीं आती है। मैं यहां ऐसा चाहता हूँ कि भरतपुर की सड़कों का उदाहरण देकर राजस्थान भर के लिए इसका एक सिद्धान्त निश्चित कर लेना चाहिए निर्माण विभाग द्वारा कि सड़कों के निर्माण के साथ साथ में पुलिया भी साथ साथ बनाते जांय ताकि साथ साथ होने में जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

(घंटी)

लेकिन जितना हिस्सा बने वह मुकम्मिल बनता चला जाय।

नई सड़कों के विषय में, भरतपुर से धौलपुर को एक सड़क निकाली है। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य की यह शिकायत वाजिब है कि उनको आगरा होकर इतना फासला तय करके भरतपुर जाना पड़ता है क्योंकि भरतपुर से धौलपुर हम सड़क पूरी नहीं कर पाये हैं। कहीं पर मेटीरियल कलेक्ट किया हुआ पड़ा है। इसी तरह से और भी सड़कें हैं। एक सड़क, नगर से नदबई की सड़क है, वह तीन साल हो गये अभी पूरी नहीं हुई है। कभी एक मील का टुकड़ा बनता है और कभी २ मील का। नदबई से जयपुर सड़क ६ मील है। वह सड़क इतने दिनों से खराब पड़ी है और आज तक दुरुस्त नहीं की गई है। मेरे उदाहरणों से अनुभव किया जा सकता है कि सड़कों की दुर्दशा किस प्रकार की है। एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि लम्बाई की दृष्टि से भरतपुर में सड़कें बहुत है, लेकिन दुर्दशा उतनी ही ज्यादा है। मैं सभापति महोदय आपकी मार्फत जो माननीय निर्माण मंत्री हैं उनको इन चीजों के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस दृष्टि से इसको देखें कि इनमें अब तक जैसी भी हालत रही है वह उसी तरह की न रहे और कम से कम यह जो मैन रोड है, आगरा-अजमेर रोड जिसे कहते हैं इस सड़क को जितना जल्दी से जल्दी हो सके और अच्छे ढंग से, खाली पेच वर्क से काम नहीं चलेगा, मामूली सा तारकोल डाल कर थोड़ा सा चिप्स डाल दिया, इस तरह का काम नहीं चलेगा बल्कि इस सड़क को अच्छे ढंग से बनाना पड़ेगा जिससे कि हर वेदर में ठीक तरह से सड़क काम में आ सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): माननीय चेयरमैन महोदय, मेरे चार कटौती

(श्री चन्दनमल वैद)

प्रस्ताव हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आज ही समाप्त कर दूं ।

श्री सभापति : आप ५ मिनट में ही समाप्त कर दें ।

श्री चन्दनमल वैद : पांच मिनट में ४ कटौती प्रस्ताव ? मैं उनको पढ़ भी नहीं सकूंगा इस टाइम में ।

श्री सभापति : पढ़ने की जरूरत नहीं है ।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय चेयरमैन महोदय, ५ मिनट में चार कटौती प्रस्ताव कैसे पेश कर सकता हूं ?

श्री सभापति : वह तो आप पेश कर चुके हैं ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं कोशिश करूंगा कि आज ही समाप्त कर दूं ।

श्री सभापति : यह कोशिश करें कि दूसरे सदस्यों को भी मौका मिले ।

श्री चन्दनमल वैद : तो चेयरमैन महोदय, मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव है वह इस प्रकार से है कि ताल छापर, रतनगढ़, सरदारशहर से तारानगर रोड को रिपेअर करने में तथा मैन्टेन करने में सरकार नाकामयाब रही है, उस पर विचार करने हेतु । माननीय चेयरमैन महोदय, मैं थोड़ा सा इस सड़क का इतिहास बताना चाहता हूं । जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो देश अलग अलग हुए तो उस समय भारत सरकार ने यह उचित समझा कि पाकिस्तान से लगते हुए बोर्डर पर एक सड़क बनाई जाय और दिल्ली से बीकानेर को लिंक करने के लिए यह जो मिसिंग लिंक था १०० मील का वह उस समय भारत सरकार ने बनवाया और बनवा कर यह सड़क भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को एक गिफ्ट में दे दी यानि इस सड़क के बनाने में राजस्थान सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ । भारत सरकार ने गिफ्ट देते हुए कहा कि यह सड़क आप मेन्टेन कीजियेगा, आप रिपेअर वगैरह करायें लेकिन बड़े दुःख की बात है कि १० साल राजस्थान सरकार को हो गये लेकिन राजस्थान सरकार ने रिपेअर करने के लिए या उसको ठीक कन्डीशन में रखने के लिए आज तक कुछ नहीं किया । सड़क की दुर्दशा यह है कि बड़े बड़े गढ्ढे पड़े हुए हैं । कभी कहा जाता है तो आसपास की बालू उठा कर उन गढ्ढों में डाल देते हैं । मजा यह है कि कम से कम ३ साल से उनको इस बारे में कहते हुए हो गये हैं तथा और भी माननीय सदस्य जो कि बीकानेर डिविजन से आये हैं उन्होंने भी सड़क की दुर्दशा की ओर ध्यान खींचा है तो १० साल में राजस्थान सरकार ने बड़ी कृपा करके, बड़ी मेहरबानी करके १० मील रिपेयर का विचार किया है, वह भी उस जगह नहीं, १०० मील में ५ जगह किया है । दो—दो मील के टुकड़ों पर डामर डाल कर यह बताया है कि जो क्रिटिसिज्म सदन में करते हैं उस ओर ये कितना ध्यान देते हैं । १० माइल में ५ जगह पर दो—दो मील के टुकड़ों पर डामर कर दिया । मुझे ऐसा लगता है कि पी. डब्ल्यू. डी. ने इसको बंद कर दिया है यह कह कर कि हम इसको मेन्टेन करने वाले नहीं हैं । हम बार बार भारत सरकार को

(श्री चन्दनमल वैद)

कहते हैं कि रिपेअर्स के पैसे आप दीजिये। उधर भारत सरकार कहती है कि हमने सड़क बना कर दे दी, अब रिपेअर्स आप कराइये और राजस्थान सरकार कहती है कि हम रिपेअर्स के पैसे लेकर रहेंगे। यह जो सड़क हमको मिली थी उसमें राजस्थान सरकार का पैसा नहीं लगा था और अब इसकी मरम्मत नहीं होने से बर्बादी हो रही है। यदि दो-चार साल तक यही हालत रही तो यह बालू के नीचे डूब जायेगी। फिर इसके लिये कौन जिम्मेदार होगा? मैं वार्निंग के रूप में या प्रार्थना के रूप में . .

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): दोनों साथ नहीं चल सकते।

श्री चन्दनमल वैद : कोई बात नहीं। खतरा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समय रहते इस सड़क को बचाया नहीं तो यह बालू के समुद्र के नीचे डूब जाने वाली है। इसलिये इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं यह नहीं कहता, जैसा कि धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं मोटी पर्त डालिये, मैं कहता हूं कि आप मोटी पर्त मत डालिये, पतली डालिये या कंकड़ लेकर उस पर डाल दीजिये, इतना भर ही काफी होगा...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): वहां पर पानी नहीं भरता है।

श्री चन्दनमल वैद : आपकी कृपा रहेगी तो पानी पड़ता रहेगा। अब मैं अपने दूसरे कटौती प्रस्ताव पर आता हूं...

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): क्षेत्रीय भावना है।

श्री चन्दनमल वैद : कोई क्षेत्रीय भावना नहीं है। बीकानेर डिविज़न के लिये कहता हूं। यदि और जगह की बातें कहूंगा तो आपको बुरा मालूम होगा।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है: "To discuss the failure of the Government in constructing Bikaner-Sardar Shahar road and getting it included in the defence road."

चेयरमैन महोदय, दूसरा मजेदार किस्सा है। बीकानेर-सरदारशहर रोड को राजस्थान सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर प्लान किया इसलिये यह स्टेट रोड होगी। सेकिन्ड फाइव इयर प्लान की जो पुस्तिका मिली है उसमें लिखा है: "State Highways :—At the end of the Second Plan Period, Rajasthan will have 2,582 miles of State Highways as follows :—

Bikaner-Sardar Shahar-Tara Nagar Road.

कहने का मतलब यह है कि सेकिन्ड फाइव इयर के तीन साल गुजर जाने तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। कहने को तो यह बीकानेर सरदारशहर हाइवे होगी आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अभी तक वहां पर खड्डे नहीं खुदे हैं, डाकबेल नहीं पड़ी है, सर्वे नहीं हुआ है। मुझे ताज्जुब यह होता है कि सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के अंत तक यह हाई वे बन कैसे जायगी? १०० मील लम्बी यह सड़क है। अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। फिर यह कैसे बन सकेगी? इस पर कम से कम ३० लाख रुपये खर्च होने के हैं। हमको जो आंकड़े

(श्री चन्दनमल वैद)

राज्यपाल महोदय के भाषण में और वित्त मंत्री महोदय के भाषण में देखने को मिले हैं उनके अनुसार यह कहा गया है कि ६६ पर्सेन्ट काम पूरा कर लेंगे। १०० मील लम्बी यह सड़क बननी शुरू नहीं हुई तो फिर ये ३० लाख रुपये गये कहां? एक तरफ तो आप कहते हैं कि ६६ पर्सेन्ट टार्गेट पूरा होगा और दूसरी तरफ ३० लाख रु० लगने वाली सड़क शुरू नहीं हुई तो फिर ये रुपये गये कहां? फिर तो मुझे यही मानना पड़ेगा जैसा कि लोग कहते हैं कि अलग अलग योजनाओं से निकाल कर किसी खास जगह पर पैसा लगाया जाता है। यदि यह बात सही है तो मैं माननीय मंत्रीजी से, जो नये आये हैं, निवेदन करूंगा कि वे इसकी जांच करें कि जिन जिन स्थानों पर सड़कें बनने की थीं और जो किताब में छप गई हैं वहां बनी हैं या नहीं? अगर बिना बने ही प्लान का टार्गेट पूरा होता है तो फिर यह पैसा गया कहां? इसकी जांच करके इन क्षेत्रों पर ही खर्च किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है: "To discuss the failure of the Government in maintaining and repairing Taranagar-Sahwa road." इसका किस्सा भी विचित्र है। सन् ५२-५३ में यह सड़क बनी थी और आज उसकी यह हालत है कि शायद मैं समझता हूं नये मंत्रीजी को यह सलाह दी जायगी कि यह सड़क कभी बनी नहीं, अब बनानी है क्योंकि इसकी मरम्मत कभी नहीं की गई और सड़क बेसड़क हो रही है। इसकी मरम्मत करवाने के बारे में मंत्रीजी सोचेंगे, ऐसी मुझे आशा है।

इसी तरह का मेरा चौथा प्रस्ताव है। लेकिन क्योंकि दूसरे सदस्य उतावले हो रहे हैं इसलिये उसको मैं पेश नहीं करूंगा नहीं तो वे कहेंगे कि ज्यादा टाइम ले रहे हैं।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के जरिये सरकार का ध्यान झुन्झुनूं जिले में सड़क और मकानों की जो अव्यवस्था है उस ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, झुन्झुनूं जिला राजस्थान के उस भाग में है जहां मिट्टी ही मिट्टी है और आवागमन के साधन कम हैं और आवागमन के साधन कम होने से व्यापार में और लोगों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमारे यहां फर्स्ट फाइव इयर प्लान में और सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में कुल मिला कर ५० मील सड़क मुश्किल से बनी है...

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : इतनी बन तो गई, हमारे यहां इतनी भी नहीं बनी।

श्री शिवनाथसिंह : यह तो अपना अपना भाग्य है।

श्री चन्दनमल वैद : सड़क में ही भाग्य बंधा है क्या?

श्री शिवनाथसिंह : सिर्फ पत्थर जमे हुए हैं, डामर नहीं पड़ा है, मुश्किल से ८-१० माइल पर पड़ा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा बनना था वह शुरू नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था हमारे यहां की सड़कों की है।

(श्री शिवनाथसिंह)

किसी जिले में सड़क का काम हुआ होगा यह मान सकते हैं, लेकिन हिसाब से खर्चा होना चाहिये। कुछ जिले ऐसे हैं जहां बैकवर्ड क्लासेज़, भील या आदिवासी अधिक हो सकते हैं। हमें गुरेज़ नहीं है कि उनके लिये खर्च नहीं होना चाहिये लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां दुर्भाग्य से ये लोग नहीं हैं या बहुत कम हैं तो दूसरे आइटम्स पर खर्च होना चाहिये। झुन्झुनूं जिले में नहर नहीं जा सकती। हम वहां पर अगर नहर लाने के लिये कहें तो यह कहा जा सकता है कि गलत बात के लिये कहते हो। लेकिन नहर नहीं आ सकती तो क्या सड़क भी नहीं बने, यह बात नहीं होनी चाहिये।

यही हाल भवन-निर्माण का है। इस बारे में मेरा कटौती प्रस्ताव है : "प्राइमरी हैल्थ सेन्टर, उदयपुरवाटी के भवन निर्माण में अनावश्यक देरी पर बहस करने हेतु १ रु० की कटौती की जाय।"

सभापति महोदय, इसके लिये हर साल रकम अलॉट होती है और लैप्स हो जाती है। इसके लिये कुल २५,००० रु. खर्च होने हैं लेकिन चार साल में नहीं हो सके। फर्स्ट फाइव इयर प्लान में वहां के सेकिन्डरी हाई स्कूल का एक्सटेन्शन होने वाला था वह १० साल में खत्म हुआ है। इस तरह से रुपये खर्च करने के तरीके में कोई न कोई गलती जरूर है। आपका डिपार्टमेन्ट एक जगह अधिक खर्चा करता है और दूसरी जगह कम करता है। कुछ वर्ष पहले सड़क में सुधार हुआ था अधिकारियों ने दिलचस्पी ली थी। लेकिन पिछले डेढ़ साल में वह मामला फिर आ गया। जो सेंक्शन होती है वह लैप्स होती है, यदि लैप्स नहीं होती है तो रिन्यू होती है। झुन्झुनूं प्रोपर में ४० हज़ार की आबादी है लेकिन वहां पर एक सड़क मिलेगी जो बाज़ार नई कॉलोनी की ओर होकर जाती है। वह भी आधी सड़क बनी है, डामर नहीं पड़ा है। उसकी वजह से दिक्कत यह है कि दो-दो फीट के गड्ढे पड़े हैं। तांगें, मोटर गाड़ियें आने मे दिक्कत होती है। इसमें मुश्किल से ५ हज़ार का खर्चा है। यदि यह खर्चा हो जाय तो लोगों को सहूलियत हो सकती है। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है। मंत्रीजी जिन्होंने अभी चार्ज लिया है उनसे मैं आशा करता हूं कि वे इस ओर ध्यान देंगे और कमियें पूरी करेंगे।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करोल।

कुछ माननीय सदस्य : टाइम हो गया है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ बजे सायं दिनांक २४-३-६० के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २३ मार्च, १९६०)

	स्तम्भ		स्तम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	४४२६		
श्री कैलाशप्रसाद माथुर द्वारा झालावाड़ स्टेट बैंक से लिया गया ऋण ।			
पाली तहसील में गिरालिया बांध का कार्य ।			
कृषि संस्थाओं में पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण रिसर्च की सुविधा ।			
मजदूरों के मुकद्दमों की कन्सी-लियेशन प्रोसिडिंग्ज़ ।			
ग्राम पंचायत, इसरदा के सरपंच का चुनाव ।			
कैटल ब्रीडिंग फार्म, बस्सी हेतु घास की खरीद में अनियमितता ।			
किशोरपुरा पंचायत की बैठकें पंचायत भवन में नहीं किया जाना			
इम्पोर्टेड न्यूज़ प्रिन्ट पर सेल्स टैक्स ।			
बस्सी, नागोर एवं अलवर के कैटल ब्रीडिंग फार्म्स पर खर्चा हेतु स्वीकृत धन-राशि ।			
		भीलवाड़ा नगरपालिका के कर्म-चारियों द्वारा घोटाले ।	
		राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत अनिवार्य करों को लागू करना ।	
		नवयुग प्रेस के व्यवस्थापक व मालिक के खिलाफ स्टेट इन्श्यो-रेन्स कॉर्पोरेशन द्वारा दावा ।	
		पाली तहसील में बकाया बीज की वसूली ।	
		ग्राम पडिहारा, तहसील रतनगढ़ के अस्पताल को सम्पूर्ण ग्रामों के बीच में लाना ।	
		सहकारी प्रशिक्षण शालाओं के प्रिन्सिपल ।	
		ग्राम पंचायत झाडली, जिला सीकर ।	
		पाली शहर के कॉम्प्रिहेन्सिव वाटर सप्लाई स्कीम के इन्जीनियर के बंगले का फल्टिर हाउस के पास निर्माण ।	
		रतनगढ़ राजकीय अस्पताल में अव्यवस्था ।	

स्कम्भ

प्रान्त में खोले गये विकास खंड ।

जोधपुर शहर में सेनीटेशन की दुर्व्यवस्था ।

जिला गंगानगर की पंचायतें ।

चौगान, जयपुर शहर में कोलियों की बस्ती के लिए प्लॉट देना

जोधपुर म्युनिसिपल क्षेत्र के लिए फूड इन्सपेक्टर्स ।

जयपुर शहर की गंदी बस्तियों के सुधार की व्यवस्था ।

म्युनिसिपल कौंसिल जयपुर द्वारा फायर फाइटिंग यूनिट की खरीद ।

जिला पाली की ग्राम पंचायत, सादड़ी में नगरपालिका कायम करना ।

ग्राम पंचायत जोगीवाला के भूत-पूर्व सरपंच द्वारा किए गये गबन में कार्यवाही ।

बाईस गोदाम (जयपुर) के आस-पास की भूमि की अवाप्ति हेतु जारी किए गये नोटिसेज़ ।

जयपुर में एम. एल. एज़. के लिए निर्मित बंगलों के निर्माण में खर्चा ।

स्कम्भ

पंचायत समितियों द्वारा कृषकों को तकावी ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर ४५०१

(१) कृषि प्रदर्शनी, देहली में राजस्थान कृषि विभाग की ओर से रखा गया सामान ।

(२) कृषि फार्म, चित्तौड़गढ़ ।

(३) सरकार द्वारा खरीदा गया गेहूं।।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति । ४५०५

श्री हीरा भाई, सदस्य, विधान सभा को दिनांक ४ से १५ मार्च, १९६० तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई ।

कार्य-सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन । ४५०५

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन किया ।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन

स्कम्भ

द्वारा स्वीकार किया गया :-

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है"

मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा। ४५०६

(अग्रेत्तर विचार-विमर्श एवं मतदान)

उपरोक्त मांग पर आज भी विचार किया गया तथा २१ कटौती-प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, मंत्री, चिकित्सा विभाग एवं श्री भीखाभाई, मंत्री, आयुर्वेद विभाग के उत्तर के पश्चात् इस मांग पर प्रस्तुत कुल ८३ कटौती-प्रस्तावों में से ४५ कटौती-प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

स्कम्भ

मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ५० व ५० क-नागरिक निर्माण कार्य आदि। ४६१७

उपरोक्त मांग श्री हरिश्चन्द्र सार्वजनिक निर्माण मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई। इस मांग पर आज ३१ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत।

तदनन्तर सदन की बैठक ठीक ५-०० बजे गुरुवार, दिनांक २४ मार्च, १९६० को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

गुरुवार, २४ मार्च, १९६० की कार्य-सूची

(१) मांग संख्या २३-नागरिक निर्माण कार्य (अग्रेत्तर विचार-विमर्श)

(२) मांग संख्या ४-वन।

(३) जन-लेखा समिति एवं प्राक्कलन समिति (१९६०-६१) के हेतु निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६०. का उत्तर देखिये)

STATEMENT 'A'

Details of Jhalawar State Bank Loan outstanding against Shri Kala Pd. Jhalawar.

S. N.	Date of loan.	Rate of Interest.	Security	Date of re payment.	Loan advanced	Interest	Total	Recoveries	Balance		
									Principal.	Interest.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	20-2-50	6%	Tractor and Other implements mentioned in the bill.	2yrs.	15,000/-	1961.37	16,961.37	22-1-55 510.86 np., 2-4-56 69.37 np., 26-7-56 164.85 np., 6-2-57 158.37 np.,	14,096 75	1,961.37	16,058.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	9-6-50	6%	Sigma type pump 8"x 8" with fast & loose pulley on a trolley worth Rs. 1,289.06 np.	2yrs.	989.06	110.75	1,099.81		989.06	110.75	1,099.81
3.	23-6-50	6%	Machinery Purchased for tractor worth Rs. 12,000/- Iron wheel worth	2yrs.	15,000/-	2,093.75	27,093.75		25,000/-	2,093.75	27,093.75
	31-3-51		Rs. 1,500/- and between Borlia and Bhatwara 500 Bighas other articles also pledged before for the loan.		10,000/-						
4.	2-11-50	6%	Steel wheel worth Rs. 1,500/- Pump with pipe Rs. 1,500/-	2yrs.	6,000/-	766.75	12,266.25		11,500	766.25	12,266.25
	5-8-51		Sowing Machine Rs. 3,500/- Spare part Rs. 1,500/-		4,000/- 1,500/-						
			Total :—		52,489.06	4,932.12	57,421.18	903.25	51,585.81	4,932.12	56,517.93

स्टेटमेंट 'ब'

तफसील सामान कुर्क शुदा श्री कैलाशप्रसाद माथुर, झालावाड़ ।

न० शु०	नाम वस्तु	रिमार्क
१.	ट्रैक्टर ओलीवर स्टेन्डर्ड ४४.४० हॉर्स पावर ।	
२.	वाईस इंजिन टाइगर २२ हॉर्स पावर ।	
३.	सीड ड्रील मशीन । ओसीवर डबल डिलस ।	
४.	प्लाव । ओसीवर ३ फ़रो ।	
५.	कल्टीवेटर । रैन्सम नाईन टाइन ।	
६.	मुवर ।	
७.	हैरा । क्लाई मिक्स ।	
८.	पम्प २ ।	
९.	पाईप ३ इन्चवाली ६०० फीट करीबन ।	
१०.	पाईप ४ इंचवाले १२५ फीट करीबन ।	
११.	चद्दर टीन काली २१, सफेद ७ फीट वाली नालीदार ३ चद्दर १० फीट वाली नालीदार ५, प्लेन सफेद ८ फीट वाली ३६,	
१२.	ऐंगिल २ इन्च चौड़े व १८ फीट लम्बे १२, डेढ़ इन्च चौड़े १८ फीट लम्बे १९, जुमला ३१.	
१३.	टायर व्हील २ ।	
१४.	बैलगाड़ी २ ।	

मवेशियान

१. गाय २,

२. बैल ३,

३. नारकिया १,

४. केड्टा १,

तफसील फसल

१. तिल्ली १५ मन, २६॥ सेर,

२. जुआर ५८।३

३. मूंग ।ऽ७॥

स्टेटमेंट 'स'

तफसील सामान कुर्क शुदा श्री कैलाशप्रसाद माथुर जो नीलाम हो चुकी है।

मशीनरी

१. चद्दर टीन काली २१, सफेद ७ फीट वाली, नालीदार ३,
चद्दर १० फीट वाली नालीदार ५, प्लेन सफेद ८ फीट वाली ३६,

२. ऐंगिल २ इंच चौड़े व १८ फीट लम्बे १२,
डेढ़ इंच चौड़े १८ फीट लम्बे १६, जुमला ३१,

३ बैलगाड़ी २,

मवेशियान

१. गाय २,

२. बैल ३,

३. नारकिया १,

४. केड्डा १।

तफसील फसल

१. तिल्ली १५ मन, २६॥ सेर,

२. जुआर ५८।३,

३. मूंग ।ऽ ७॥

स्टेटमेंट 'द'

तफसील सामान मास्टर कैलाशप्रसाद जो कुर्क होकर अभी नीलाम नहीं हुआ है

नं० शु०	नाम वस्तु	रिमार्क
	(मशीनरी)	
१.	ट्रैक्टर श्रोसीवर स्टेन्डर्ड ४४.४० हॉर्स पावर	
२.	श्राइल इंजिन टाइगर १२ हॉर्स पावर	
३.	सीड ड्रील मशीन (श्रोसीवर डबल डिस्स)	
४.	प्लाव (श्रोसीवर ३ प्रेरी)	
५.	कल्टीवेटर (रैन्सन नाईन टाई न)	
६.	मुश्रर	
७.	हेरा (क्लाई मिक्स)	
८.	पम्प २ ।	
९.	पाईप ३ इंच वाली ६०० फीट करीबन	
१०.	पाईप ४ इंच वाले १२५ फीट करीबन	
११.	टायर व्हील २ ।	

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर देखिये)

LIST OF INTAKE CAPACITY OF EACH OF THESE INSTITUTIONS AND THE ACTUAL NUMBER OF STUDENTS ON THEIR ROLL :—

	Name of the Institution.	Intake capacity. I year class	Total No. of Students at present on roll.
1.	Rajasthan College of Agriculture, Udaipur.	160 per year.	352
2.	S. K. N. Govt. College of Agriculture, Jobner.	80	207
3.	Dayanand College, Ajmer. (Private)	40	20
	Total :—	280	588

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE CONCILIATION PROCEEDINGS PENDING BEFORE THE VARIOUS LABOUR OFFICERS IN THEIR RESPECTIVE JURISDICTION.

Labour Officer, Jaipur.

S. No.	Case No.	Name of Parties: Employee	Name of Parties: Employers.	Date of Registration.	Remarks.
1	2	3	4	5	6
1.	39/59	Sarvjanik Nirman Vibhag Karamchari Sangh, Jaipur.	Chief Engineer B&R, P. W. D., Raj.	30. 7. 59.	
2.	56/59	P. W. D. Workers Union, Bharatpur.	Asstt. Engineer P. W. D., Karauli.	1. 11. 59.	
3.	57/59	P. W. D. Workers Union, Hindaun.	Asstt. Engineer, Karauli.	12. 11. 59.	
4.	60/59	Indian Hume pipe Co., Labour Union, Jaipur.	Manager, Indian Hume pipe Co. Pr. Ltd, Jaipur.	18. 11. 59.	
5.	63/59	Motor Mazdoor Union Sikar Distt., Sikar.	Motor operator, Sikar.	24. 11. 59.	

1	2	3	4	5	6
6.	64/59	Rajasthan Nal Bijli Karamchari, Jaipur.	Supdt. S. M. S. Hospital, Jaipur.	24. 11. 59.	
7.	66/59	P. W. D. Karmchari Sangh, Bharatpur.	Executive Engineer, Irrigation, Bharatpur.	1. 12. 59.	
8.	68/59	Nagarpalika Karamchari Sangh, Jaipur.	Administrator Municipal. Councel,. Jaipur.	1. 12. 59.	
9.	71/59	Motor Mazdoor Union, Sikar Distt., Sikar.	Shri Chandi Pd. Ji, Khetari Sikar.	28. 12. 59.	
10.	72/59	-do-	Amalgamated Route, Sikar Danta Ramgarh Sikar.	31. 12. 59.	
11.	1/60	Shri Ram Narain Mohd. Bhisti.	Secretary, King Adward Trust, Jaipur.	2. 1. 60.	
12.	2/60	President, Jaipur Spg. and Weaving Mills, Labour Union, Jaipur.	Management Jaipur. Spinning & Weaving Mills Ltd., Jaipur.	2. 1. 60.	
13.	3/60	Secretary, Motor Mazdoor Union, Jaipur.	Manager, Central Transport Co, Jaipur.	2. 1. 60.	
14.	4/60	P. W. D. Karamchari Sangh, Bharatpur.	Chief Engineer B&R Rajasthan, Jaipur.	2. 1. 60.	

परिशिष्ट

1	2	3	4	6	6
15.	5/60	Rajasthan Municipal Karamchari Sangh, Udaipur.	Chairman, Municipal Board Bharatpur.	2. 1. 60.	
16.	6/60	Secretary, Petroleum Workers Union, Jaipur.	Burmah Shell Oil storage of Co., Private Ltd., New Delhi.	2. 1. 60.	
17.	7/60	President, Cinema Karamchari Union, Jaipur.	Manager, Man Prakash Talkies, Jaipur.	2. 1. 60.	
18.	8/60	Pagala Khan Mazdoor Union, Dausa.	Shri Harish Chandra Golecha Pro. Jaipur.	2. 1. 60.	
19.	2/60	-do-	Chief Engineer B&R Rajasthan, Jaipur.	2. 1. 60.	
20.	11/60	Shri Deep Chand, Ex. Booking Clerk, Motor Operators, Bharatpur.	President Motor operators Union, Bharatpur.	2. 1. 60.	
21.	-13/60	Shri Shiva Charan Madan Singh Etc. Deeg.	M/S Hanuman Oil and Floor Mills Deeg.	22. 2. 60.	
22.	14/60	President, Saranjain Udyog Karmchari Union, Jaipur.	-Secretary Rajashan Khadi Gramodyog, Jaipur.	23. 2. 60.	

1	2	3	4	5	6
23.	15/60	Secretary, Ajmer Div. P. W. D. Employees Union, Jaipur.	Executive Engineer P. W. D., B&R, Alwara.	28. 2. 60	
24.	16/60	Shri K. C. Gupta, Ex. Sales Man of Brook-Bond Depot, Sikar.	Manager, Brook Bond India Private Ltd., Ajmer.	29. 2. 60.	
25.	17/60	President, Jaipur Spg. and Weaving Mills Labour Union, Jaipur.	Management Jaipur Spg. and Weaving Mills, Jaipur.	29. 2. 60.	
26.	18/60	Govt. Central Press Employees Union, Jaipur.	Supdt. Central Govt. Press, Jaipur.	29. 2. 60.	
27.	19/60	Secretary, Ajmer Div. P. W. D. Employees Union, Jaipur.	Executive Engineer, Survey and Investigation, Irrigation Dept., Jaipur.	29. 2. 60.	
28.	20/60	General Secretary, P. W. D. Workers Union, Jaipur.	Chief Engineer, B.&R, Rajasthan, Jaipur.	29. 2. 60.	
29.	21/60	Secretaty, Ajmer Div. P. W. D. Union, Jaipur.	Executive Engineer B&R. Tonk.	29. 2. 60.	

परिशिष्ट

LABOUR OFFICER, JODHPUR.

1.	2.	3.	4	5
1.	1. 9. 58.	Secretary, Jodhpur Region Motor Mazdoor for Moti Chand.	Shri Ajit mal Bhadan Union, Jatabas.	The workers are organised with a Trade Union but the Bus Operator are not. Hence difficulties of binding ever employer to attened conciliation meetings.
2.	30. 10. 58.	Ratan Singh, Balotra	Municipal Board, Balotra.	
3.	14. 2. 59.	Makananlal Jodhpur.	Chawarmal Misurimal, Jodhpur.	
4.	14. 2. 59.	Nasia Ali.	Nathu Nasureedin, Truck Operator, Merta City.	
5.	20. 5. 59.	Secretary, Bhartiya Palledar Mazdoor Sangh, Marwar Jun.	M/S Dalal and Co., Ahmedabad.	
6.	1. 8. 59.	Hari Das, Pali.	Maharaja Shri Umaid Mills, Pali.	
7.	1. 8. 59.	Pema S/O Petha.	-do-	
8.	13. 8. 59.	Secretary, Textile Labour Union, Red Fleg ,Pali.	-do-	
9.	6. 10. 59.	Munilal, Jodhpur.	Secretary, Rashtrya Kala Mandar, Jodhpur.	

1	2	3	4	5
10.	24. 10. 59.	Secretary Garalu Karamchari Sangh, Jodhpur.	Hignainess Properties, Jodhpur.	
11.	4. 11. 59.	Smt. Kassam.	Secretary, Bhartiya Kalamandar, Jodhpur.	
12.	26. 11. 59.	Mangilal.	Kanhiyalal Manaklal, Jodhpur.	
13.	16. 12. 59.	1. Secretary, Textile Labour Union. 2. Suti Mill Mazdoor Sabha. 3. Rashtrya Mazdoor Congress, Pali.	Manager M. S. Umaid Mills, Pali.	
14.	2. 3. 60.	Secretary, Jodhpur Press Mazdoor Union, Jodhpur.	M/S Marwar Textile Press, Jodhpur.	

Page No.142

परिशिष्ट

LABOUR OFFICER. BIKANER.

S. No.	Date on which complaint received.	Parties.	Subject.
1.	4. 5. 59.	Shri Sadul Textile Mazdoor Union, Sri Ganganagar. V/S Shri Sadul Textile Ltd., Shri Ganganagar.	Demand. Demands.
2.	23. 7. 59.	Bikaner Press Karamchari Sangh, Bikaner. V/S	-do-
3.	1. 8. 59.	13. Press Workers, Bikaner, Mundra Metal Workers Union, Bikaner. V/S Mundra Metal Works (P) Ltd. Bikaner.	Reinstatement of Sri Sawa Singh.
4.	24. 12. 59.	District Motor Transport Workers Union, Ganganagar. V/S 8 employers (bus owners).	Demands.
5.	5. 2. 60	Mundra Metal Works, Union, Bikaner. V/S Mundra Metal Works (P) Ltd., Bikaner.	-do-

परिशिष्ट

1	2	3	4
6.	11. 2. 60.	Shri Sadul Textiles Rastriya Mill Mazdoor Sangh, Ganganagar' V/S Shri Sadul Textiles Ltd.	Degrading & Turning out of Shri Murarilal.
7.	15. 2. 60.	Shri Sadul Textiles Mazdoor Union, Sri Ganganagar V/S Shri Sadul Textiles Ltd , Shri Ganganagar.	Shown on leave to the Sardar Singh without application.
8.	18. 2. 60.	Shri Sadul Textile Mazdoor Union, Sri Ganganagar. V/S Shri Sadul Textile Ltd., Shri Ganganagar.	Dismissal of Sri Deen Bandhu.

LABOUR OFFICER, BHILWARA.

S. N°.	Name of parties.	Date of concilia-tion proceedings commencement.	Remarks.
1.	(A) Mill Mazdoor Sangh, Bhilwara. (B) Suti Mill Mazdoor Sabha Bhilwara. V/s. The Management of the Mewar Textile Mills Ltd., Bhilwara.	25.11.59	The dispute could not be resolved because of the sudden suspension of the work by the M. T. Mills, Bhilwara and the consequent lay off. As soon as the Mills resume normal working the matter will be taken up witd the parties.
2.	Khan Mazdoor Congress, Bhilwara V/S. M/S Duduwala & Co., Bhilwara.	10.11.59	The case could not be taken further mutually to post-pone the conciliation proceedings for the time being as the expect settlement by mutual discussions.

LABOUR OFFICER. KOTA.

There is only one pending dispute of the P. W. D. workers Union Kota, in which conciliation proceedings have been commenced with effect from 9.11.1959. The Union has put general demands covering all the P. W. D. workers.

LABOUR OFFICER. AJMER.

	Date of taking INTO CONCILIATION.
1. Demand Notice by Ajmer, State Elec. Employees, Union, Ajmer.	3.6.59

The final conciliation date in this case has been fixed to 4.3.60. The parties were having direct talks for coming to any voluntary negotation or arbitration.

2. Demand by Kishangarh Municipal Employees Union, Kishangarh for re-instatement.	29,10.1959,

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ का उत्तर देखिए)

राजस्थान के न्यूज प्रिंट के विक्रेताओं से प्राप्त बिक्री–कर की तालिका
सन् १९५६–५७ से १९५९ – १९६० तक

संख्या	विक्रेता का नाम	जिला	मूल्य	कर	मूल्य	कर	मूल्य	कर	मूल्य	कर
			१९५६–५७		१९५७–५८		१९५८–५९		१९५९–६०	
१.	२.	३.	रु. ४.	रु.	रु. ५.	रु.	रु. ६.	रु.	रु. ७.	रु.
१.	सूरजमल धनराज	जोधपुर	५,३४६)	१६७.१२	६,७६५)	२११.३७	६,७१२)	२७१.३७		
२.	मोतीलाल मदनराज	,,	६,३४६)	१६७.३७	५,४१८)	१६६.३७	७,७०१)	३०८.०६		
३.	उत्तम पायोनियर स्टोर	,,	७,२५१)	२२६.६२	६,३७३)	१६८.१२	२,२५१)	६०.०६	३०२)	१२.०६
४.	गणेशदास बस्तीमल	,,	१,८२७)	५७.०६	३,४०३)	१०६.३१	१,३७३)	५४.६४	१,०७२)	४२.८७
			२०,७७३)	६४६.१६	२१,६५६)	६८५.१६	१८,११७)	७२४.४४	१,३७४)	५४.६४

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
५. उम्मेद पेपर्स	कोटा	३,२०४)	१००)	३,१४६)	६८)	४,०५६)	१६२)	६,६४०)	२६६)
६. विठ्ठलनाथ प्रेस	,,	६५५)	२०.४७						—
		३,८५६)	१२०.४७	३,१४६)	६८)	४,०५६)	१६२)	६,६४०)	२६६)
७. नवयुग ग्रन्थ कुटीर	बीकानेर	३,५००)	११०)	३,०००)	६४)	२,७००)	१०८)	३,०००)	१२०)
८. मक्खनलाल दम्मानी	,,	४,०००)	१२५)	४,५००)	१४०)	५,०००)	२००)	५,०००)	२००)
९. देहली स्टोर्स	,,	६३०)	२०)	६६५)	२१)	३,१४६)	१२५)		
१०. बी. एन. सिंह	,,	५००)	१६)						
		८,६३०)	२७१)	८,१६५)	२५५)	१०,८४६)	४३३)	८,०००)	३२०)
११. शंकर प्रेस	गंगानगर	३५०)	१०)६४	४५०)	१८)	१८५)	७)४०	३२०)	१२)८०
१२. अग्रवाल साहित्य सदन	,,	६५२)	२६)७५	२३२)	९)२८	२७३)	१०)६२	२१५)	८)६०

Page No.148

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१३.	अग्रवाल ब्रादर्स	गंगानगर	१८७)	५)८५	१,४८०)	५१)२०	१,६००)	६४)	१८)५०	७४)
१४.	लक्ष्मी प्रिन्टिंग प्रेस	,,	१५०)	४)६६	२१०)	८)४०	४५०)	१८)	२००)	८)
१५.	सेवक प्रेस	,,	१७५)	५)४७	२१५)	८)६०	२१०)	८)४०	३२५)	१३)
१६.	मलहोत्रा प्रेस	रायसिंहनगर	१२५)	३)९०	१९०)	७)६०	२२५)	९)	११०)	४)४०
१७.	गुप्ता ब्रादर्स	गंगानगर	४००)	१२)५०	३५०)	१४)	३००)	१२)	३२५)	१३)
			२,३३९)	७३)१०	३,१२७)	१२५)०८	३,२४३)	१२९)७२	३,३४५)	१३३)८०
१८.		अजमेर	—	—	—	—	—	१२५)	—	२००)
१९.		अजमेर शहर	—	—	—	—	—	—	—	—
२०.	दीवानचन्द्र रामरिचपाल	अलवर	१,११४)७५	३४)८७	८३८)२५	२६)१६	१,०८७)१२	४३)५०	८५०)	३२)२०
२१.	राष्ट्रीय प्रिन्टिंग प्रेस	,,	—	—	—	—	६०)२४	३)५६	३७)१५	१)४८

१	२	३				४			
२२. नवयुग प्रेस	भरतपुर	४३५)	१३)६२	८४५)७५	३२)८७	—	—	—	—
२३. राष्ट्रदूत प्रेस	जयपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
२४. लोकवाणी	,,	—	—	—	—	—	—	—	—
२५. नवयुग	,,	—	—	—	—	—	—	—	—
२६. अमर ज्योति	,,	—	—	—	—	—	—	—	—
२७. जे. एन. सिंह त्रिपोलिया बाजार	,,	१,००,८१२)८३	३,१५०)५१	१,८१,६१३)६७	५,८०२)४६	२,००,३८१)२७	८,०२०)२८	—	—
२८. नवयुग प्रेस	,,	—	—	—	—	—	—	—	—
		१,०२,३६२)५८	३,१६६)	१,८३,५१७)६७	५,८६१)५२	२,०१,५५८)६३	८,१६२)३४	८८७)१५	२३३)६८
कुल योग:—		१,३७,६६३)५८	४,३११)७६	२,१६,६६४)६७	७,०२४)७६	२,३८,८२३)६३	६,६४१)५०	२०,२४६)१५	१,००८)४२

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ का उत्तर देखिये)

सन् १६५८-५६ में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम मवेशियों की तालिका

अलवर फार्म

क्र० सं०	कम से कम मवेशी अक्टूबर, ५८ में विवरण	संख्या	ज्यादा से ज्यादा मवेशी फरवरी, ५६ में विवरण	संख्या
१.	गाय दूध में	५०	,,	६६
२.	गाय सूखी	५१	,,	५२
३.	बछड़ियां	२२	,,	८
४.	सांड	५	,,	५
५.	बैल	६	,,	६
६.	२ साल से ऊपर बछड़े	४	,,	६
७.	२ ,, ,, ,, बछड़ियां	२६	,,	२६
८.	१ ,, ,, ,, बछड़े	६	,,	६
६.	१ ,, ,, ,, बछड़ियां	२२	,,	२२
१०.	१ साल से नीचे बछड़े	१५	,,	२७
११.	१ ,, ,, ,, बछड़ियां	१८	,,	३३
१२.	दूध पीते बछड़े	२४	,,	३०
१३.	दूध पीती बछड़ियां।	२३	,,	२५
१४.	राय रीपरीग बुल्स	४	,,	४
१५.	मेवात रीपरीग ,,	३	,,	१
		२५२		३१५

सन् १९५८-५९ में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम मवेशियों की तालिका

नागोर फार्म

क्र० सं०	कम से कम मवेशी दिसम्बर, १९५८ में विवरण	संख्या	ज्यादा से ज्यादा मवेशी अप्रेल, १९५८ में विवरण	संख्या
१.	गाय दूध में	२५		३५
२.	गायें सूखी	४०		४०
३.	बछड़ियां	१०		२
४.	सांड बड़े	८		५
५.	सांड भैंसा	१		१
६.	बैल	४		४
७.	सांड दो साल से ऊपर	१२		१०
८.	बछड़ियां दो साल से ऊपर	२९		२५
९.	सांड बछड़े १ से २ साल	२१		३०
१०.	बछड़ियां ,, ,,	२५		२२
११.	१ साल से नीचे बछड़े	२६		३२
१२.	१ ,, ,, बछड़ियां	२४		३४
१३.	रोयटीग सांड	१		१
१४.	बकरा	१		१
१५.	देशी मुर्गियां			१२
१६.	सफेद चिक्स			२३
		२३४		२७७

सन् १६५८-५६ में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम मवेशियों की तालिका

बरसी फार्म

क्र० सं०	कम से कम मवेशी जनवरी, १६५८ में थे विवरण	संख्या	सबसे ज्यादा पशु मई, १६५८ में थे विवरण	संख्या
१.	गाय दूध में	४८		३५
२.	गायें सूखी	५६		७१
३.	गायें ब्याई हुई	१		२
४.	बछड़ियां	२३		११
५.	सांड बड़े	८		२०
६.	२ से २½ साल तक	३		२०
७.	१ से २ ,, ,,	११		२८
८.	१ वर्ष से नीचे	३१		२३
६.	बैल	१७		१३
१०.	बछड़ी २ से २½ वर्ष	१५		२१
११.	,, १ से २ वर्ष	३२		२६
१२.	,, १ वर्ष से नीचे।	२६		३१
		२७७		३०४

STATEMENT SHOWING THE SANCTIONED BUDGET AND EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT CATTLE BREEDING FARM, ALWAR.

S. No.		Detailed Head	Sanctioned Budget.	Expenditure
1.		T. A.	700.00	683.57
2.		Service Postage	150.00	150.00
3.		Light & Water.	1,500.00	1,432.03
4.		Books & Periodicab	25.00	20.40
5.		Repairs Furniture	100.00	98.00
6.		Approns of Gwalas	400.00	400.00
7.		Feed of Animals	28,000.00	27,548.96
8.		O. P. I.	3,000.00	2,999.45
9.	h-14.	Indigenous bull	41,000.00	40,915.80

STATENENT SHOWING THE BUDGET GRANT AND ANNUAL EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT CATTLE BREEDING FARM, NAGAUR.

S. No.	Heads of Accounts	Budget grant.	Annual expenditure.
1.	T. A.	1,100.00	1,085.79
2.	S. Postage & Tele.	150.00	150.00
3.	Books & Periodicals	25.00	25,00
4.	Light & Water.	50.00	48.50
5.	Repairs & Renewal of Furniture.	100.00	92.00
6.	Approns for Gwalas	400.00	399.97
7.	Feed of Animals	64,640.00	64,640.00
8.	Other Petty Items	3,000.00	2,999.99
9.	Printing	100.00	9.00
10.	Stationery	125.00	51.78
11.	Purchase of Breeding Stock.	4,000.00	4000.00
		73,690	73,502.03

STATEMENT SHOWING THE BUDGET GRANT AND ANNUAL EXPENDITURE OF THE GOVERNMENT CATTLE BREEDING FARM, BASSI.

S. No.	Budget Head	Sanctioned Amount	Expenditure
1.	T. A.	400.00	341.27
2.	Service stamps	60.00	60.00
3.	Books	25.00	19.98
4.	Furniture	100.00	99.51
5.	Approns	400.00	399.61
6.	Light & Water.	50.00	48.25
7.	Other Petty Items	3,000.00	2,999.84
8.	Feeds of Animal	72,000.00	71,999.84
9.	Other Charges		
	h 14-Indigenous bulls	26,000.00	25,999.97
		1,02,035.00	1,01968.27

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६१५ का उत्तर देखिये)

LIST OF SLUM AREAS.

S. NO.	CHOWKRI.	SLUM AREA.
1.	Ghat Gate.	(a) Raigaron Ki Kothi.
		(b) Sikarion ka Gher.
		(c) End of Rasta Maniram Ki Kothi.
		(d) Lawan Walon Ka Gher.
		(e) Harijan Basti, Near Purani Kotwali.
		(f) Thakur Samariya ka Gher.
2.	Bisheshwarji.	(a) Beheind Prem Prakash Talkies-Ex. Rasta Patwan and Telipara.
		(b) ...do...near Pail Depot.
3.	Modikhana.	(a) End of Rasta Maniyaron.
		(b) End of Kasliwal ka Rasta.
4.	T. K. Desh.	(a) Both sides of Rasta Topkhana.
		(b) Near Normal School.
		(c) End of Rasta Kalyanji.
		(d) Neender Raoji ka Rasta.
5.	Purani Basti.	(a) Rasta Balanandji.
		(b) Gulab Bari.
		(c) Nadi Area.
6.	Sarhad	(a) Near Sardool singh ki Nal.
		(b) Chelon Ka Bas; Near Bazdaron ki Mori.
		(c) Rajamal ka Talab on Katcha Bunda Road.

1	2	3	4	5
		(d) Rajamal ka Talab near Madho Bilas.		
7.	Brahampuri.	(a) Kalion ki Basti.		
		(b) Near the hill Kalion ki Basti.		
8.	H. S. S. Shumali.	(a) Khatikon ki Mandi with round about all area.		
		(b) Hida ki Mori.		
9.	Gangapole.	(a) Chakaron ka Rasta, below City wall.		
10.	Ramchandarji	(a) Ghora Nikas Road.		
11.	T. K. Hazuri.	(a) Balji ki kothi ka Rasta.		
		(b) Paharganj.		
12.	Outside city walls	(a) Hassanpura.		
		(b) Jahipura.		
		(c) Kassabpura.		
		(d) Nari ka Naka.		
		(e) Bassi Sitarampura.		
		(f) Mandi Khatikon.		
		(g) Area behind Bhawani Talkies.		
		(h) Barodia.		
		(i) Hathroi.		
		(j) Area Opp. Jamna Dairy (Ashokpura).		
		(k) Madram Pura.		
		(l) Area between Motidoongri Road and Adarsh Nagar.		
		(m) Maliyan ki Basti, outside Chandpole Gate.		

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न (१ ए. सी. एन.) का उत्तर देखिये)

सर्व प्रथम कृषि कक्षा में राजस्थानी कृषक के परिवार व गृहस्थ जीवन की झांकी दिखाई गई है। किसी भी गांव के जिले अथवा प्रदेश की कृषि का अध्ययन करने के लिए वहां के कृषक परिवार के रहन-सहन, पहनाव, खान-पान और औजारों का समझना अनिवार्य है। इन मूक पुतलों से यह आभास होता था कि राजस्थान में कृषक जीवन क्या है और उसके जीवन में परिवर्त्तन लाने का क्या अभिप्राय है। दीवालों पर कृषक वर्ग की सामाजिक, आर्थिक प्राचीन और वर्तमान दशा चित्रात्मक-ढंग से प्रस्तुत की गई थी। यह कोरे चित्र ही नहीं थे पर राजस्थानी ग्रामीणों और महिलाओं की भाव, भंगिमाएं, यहां के दैनिक जीवन के उतार-चढ़ाव, रीति-रिवाज का क्रम प्रदर्शन था। बीच में राजस्थान का घूमता मान-चित्र था। जिसमें राजस्थान की प्रमुख फसलें आकर्षक ढंग से कौच की नलियों में भरी दिखाई थी। इसी पर एक निरन्तर घूमता हुआ हल हमारे प्रयासों और राजस्थान की जर्रे-जर्रे जमीन को हल के द्वारा जोता जाना चाहिये जिससे हमारा कृषि उत्पादन बढ़ता ही रहे द्योतक था।

दूसरे प्रकोष्ठ में राजस्थान की समस्त फसलें उन्नतशील बीज, फलों की विभिन्न किस्में प्रति वर्ष का उत्पादन क्षेत्रफल-सुन्दर ढंग से आंकड़ों द्वारा प्रदर्शन किया हुआ था। राजस्थान के कई मान-चित्र पृथक-पृथक यहां की मिट्टी की किस्में, वर्षा का वितरण, बांटे गये उन्नत शील बीज, खाद औजार का अंकड़ों द्वारा उल्लेख करते थे। एक मान-चित्र विभिन्न सिंचाई सुविधाओं को नहरों, कुओं तथा दूसरे उपलब्ध होने वाले साधनों को प्रगट किये हुए था प्रकोष्ठ के बीचों बीच एक आदर्श सीड स्टोर का काष्ठ का मॉडेल था जिससे किसान अधिक बीज को सुव्यवस्था से भविष्य में होने वाले बीमारी और गोदाम के कीटाणु से सुरक्षित रख सके। इसके समीपवर्ती राजस्थान में भविष्य में बनने वाले एक वर्क शॉप का मॉडेल रखा था जो सभी तरह की औजारों की आवश्यकता को पूरा करेगा।

ठीक इससे लगे हुए तीसरे प्रकोष्ठ में एक ओर कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे मिट्टी और कुओं के पानी के परीक्षण करने की सुविधा, पौध-कीट विज्ञान, पौध व्याधि विज्ञान तथा मय नमूने और उनके संरक्षण के उपाय कृषकों के सम्बन्ध की बहुत ही कुछ उपयोगी सामग्री उपलब्ध थी। फसल पद्धतियों के विवरणात्मक पैनल लगे हुए थे। ठीक इसके समक्ष सुन्दर व उपयोगी औजार जैसे कई किस्म के हल जो भिन्न-भिन्न मिट्टी के लिये उपयुक्त होते है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सीड ड्रील पेड़ी, ओशान धान ऊफानने की मशीन हाथ खुरपे खर पतवार निकालने के साधन इत्यादि अन्य औजार उनकी कीमत-मिलने का स्थान, काम करने की क्षमता आदि के विवरण के साथ सजाये गये थे। कृषि यंत्रों के पास ही राजस्थान में मार्केटिंग मण्डियों और मण्डी समाचार सेवाओं का उल्लेख चित्ताकर्षक रूप में प्रदर्शन किया गया था। इसी प्रकोष्ट दरवाजे के ऊपर राजस्थान में कृषि विभाग आॅर्गेनाइजेशन और कृषकों की कब किस से अपनी कठिनाइयों को दूर करने के लिये, परामर्श करने के लिये सूचना दी गई थी।

चौथा प्रकोष्ठ मुख्यत: पौध संरक्षण से सम्बन्धित था। इसमें पौध संरक्षण विज्ञान की अनुसन्धात्मक प्रवृत्तियों का ब्योरेवार मॉडल व सचित्र विवरण दिया गया था। राजस्थान की विभिन्न फसलों में पाये जाने वाले कीटों और बीमारियों की रोकथाम के लिये क्या अनुसंधान किये गये हैं और उन्हें रोकने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं प्रदर्शन था। समय समय पर होने वाले टिड्डी दल के आक्रमण के प्रसव और नाश का सुन्दर चित्रण था। कृषि कक्ष की एक विशेषता यह थी कि प्रदर्शनी का पूरा विवरण किसान परिवार ही बयान करता है जैसे वह कहता है कि राजस्थान की कुल जन संख्या का लगभग ८० प्रतिशत किसान है, किन प्राकृतिक कठिनाइयों के बीच मैं व मेरे भाई भूमि से किस प्रकार पैदावार बढ़ा रहे हैं, हमें कृषि अनुसंधान द्वारा क्या क्या नई जानकारी व उन्नत साधन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे बुजुर्गों के तजुर्बे जो कई खेतों के रूप धारण कर चुके हैं हमें हमारे कृषि व्यवसाय में किस प्रकार सहायक हैं।

इस तरह किसान के मुख से मेरी कहानी के आधार पर सचित्र प्रदर्शनी कृषि मेले की निरीक्षण समिति ने विशेष उल्लेख व प्रशंसा की है।

पांचवें व अन्तिम प्रकोष्ठ में सिंचाई योजनाओं रेगिस्थान में बनने और मिटने वाले रेतीले टीबों की रोकथाम व जंगल लगाने का क्रियात्मक विश्लेषण था। इसके अलावा भू-संरक्षण के अन्य साधन आन्डिडूपट्टीदार खेती करना, सिड्डीदार खेत बर्बाद होती जमीन को उपजाऊ और उपयोगी कर लेना महत्वाकांक्षक रूप से दिखाये गये थे। खाद बनाने के निराले ढंग और उनकी उपयोगिता प्रदर्शित थी। इसके फलस्वरूप राजस्थान के पेवेलियन को चार पुरस्कार प्रदान किए गये हैं और राजस्थान के पेवेलियन को दूसरे पेवेलियनों की प्रतियोगिताएं सबसे ज्यादा पारितोषिक प्राप्त हुए हैं।

——

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ८८४ ए. टी. एम.)का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE INCOME AND EXPENDITURE OF CHITTOR GARH FARM

1	1953-54 2	1954-55 3	1955-56 4	1956-57 5	1957-58 6	1958-59 7	1959-60 8
A-Income from sale of produce	239.00	318.00	90.00	623.00	364.00	26,71.00	5,576.00
B-Expenditure.							
(a) Pay.	—	—	—	—	1,613.00	4,100.00	4006.00
(b) Allowances.	—	—	—	—	830.00	2,244.00	4,013.00
(c) Office Expenses.	—	—	—	—	100.00	74.00	422.00
(d) Levelling and cleaning.	1,992.00	—	—	—	—	—	—
(e) Material	—	—	—	—	2,495.00	853.00	—
(f) Land Cost.	—	—	—	—	1,729.00	—	—

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
(g) Irrigation.	—	—	—	—	4,700.00	1,150.00	—
(h) Fencing.	—	—	—	—	509.00	—	—
(i) Bullock.	—	—	—	—	3,100.00	—	—
(j) Buildings.	—	—	—	—	32,000.00	—	—
(k) Miscellaneous Expenditure i. e.							
Seed, Fertilizer, Cost of cultivation labour, etc.	—	20,445.00	10,24.00	1,089.00	—	—	1'356.00
(l) Implement, equipment & Furniture, wells, tractor.	—	—	2,244.00	—	12,174.00	—	276.00

परिशिष्ट

संलग्न तालिका 'ब'

क्र० सं० १	नाम कर्मचारी २	पद ३	शिक्षण योग्यता ४	अनुभव ५	वेतन व मंहगाई ६
(१)	श्री नागेन्द्रप्रसाद	फार्म मैनेजर	प्रथम श्रेणी में मैट्रीक पास । कृषि बागवानी तथा पशुपालन का ६ वर्ष का डिप्लोमा प्रथम श्रेणी पास ।	८ वर्ष के लगभग कृषि में फील्ड असिस्टेट तथा दो वर्ष तक कोटन ब्रीडिंग असिस्टेन्ट व २॥ वर्ष से फार्म मैनेजर की जगह पर कार्य रहा है ।	१५०) रु० प्रति माह
(२)	श्री भैरवलाल वर्मा	स्टोर कीपर	मैट्रिक तक हाई स्कूल में अध्ययन किया लेकिन मैट्रिक में फैल हो जाने से इस साल फिर मैट्रिक की परीक्षा दे रहा है ।	लगभग ६ साल से कृषि विभाग में फील्डमैन की जगह कार्य किया । व पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में कृषि का कार्य व अन्य कार्य भी कर रहा है । इसके साथ २ कृषि विभाग में स्टोर कीपर के पद का अनुभव है ।	९५) रु० प्रति माह
(३)	श्री भगवानसहाय	ट्रेक्टर ड्राइवर	साधारण हिंन्दी लिखना-पढ़ना ।	७ वर्ष तक खलासी का काम किया, बाद में ट्रेक्टर ड्राइवर की ट्रेनिंग प्राप्त की ।	११८) रु० प्रति माह

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६
(४)	श्री ख्यालीलाल	हाली	साधारण हिन्दी जानता है।	बागवानी के कार्य का अच्छा अनुभव है।	५०) रु० प्रति माह
(५)	श्री दल्ला	हाली	अशिक्षित	घरू खेती का बचपन से ही अच्छा अनुभव है तथा वर्त्तमान पद पर दि० २६-१२-५६ से कार्य कर रहा है।	५०) रु० प्रति माह
(६)	श्री नाना	हाली	अशिक्षित	घरू खेती का बचपन से ही अच्छा अनुभव है तथा वर्त्तमान पद पर दि० २६-१२-१९५६ से कार्य कर रहा है।	५०) रु० प्रति माह

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिए)

तालिका खरीद गेहूं जो विभिन्न जिलों में खरीदा गया

नाम जिला जहां से खरीद की गई	मात्रा गेहूं जो खरीद किया गया
१. श्री गंगानगर	
(क) विभागीय खरीद	२,३१,०६१ मन
(ख) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ द्वारा	१,०३,३५६ मन
२. भरतपुर	१५,०१५ मन
३. बूंदी	६४७ मन
४. सवाई माधोपुर	१,७४७ मन
५. टोंक	४,०३८ मन
६. कोटा	६,०३३ मन
७. झालावाड़	४६३ मन
योग :-	३,६२,३६३ मन ।

शुद्धि-पत्र

(बुद्धवार दिनांक २३ मार्च, १६६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४४२६	११	सामुदापिक विकास सार्वजनिक	सामुदायिक विकास, सार्वजनिक
,,	१४	बोकोलिया	बरोलिया
४४३४	१	intistutions	institutions
४४३७	११	इननी देर	इतनी दूर
४४४४	अन्तिम से ५	इस । वर्ष	इस वर्ष
४४४६	अन्तिम	रही ।	रहे हैं ।
४४५१	अन्तिम से ३	३ .१ । ८	३.१८
४४५२-५३	शीर्ष	-२२ माच,६०-ताराकत	-२३ मार्च, ६० तारांकित
४४५७	७	ीडिंग ाम्र्स	ब्रीडिंग फार्म्स
,,	२०	४०, ६१५।८०।न० पै०	४०,६१५। ८० न० पै.
४४५८	१७	जिस.कैटे-	जिसे केटे-
४४६४	८	रहा ै ।	रहा हैं ।
४४७६	अन्तिम	शपथ ि	शपथ दिला
४४८०	प्रथम	मुआपना	मुआयना
४४८२	अन्तिम से६	(१) राजपु	(१) राजपुरा
४४८६	शीर्ष	-२३ मार्	-२३ मार्च
४४६२	अतिन्मसे ३	मिर्माण मंत्री	निर्माण मंत्री
४५०१	शीर्ष	अतारांकित	तारांकित
४५०४	अन्तिम	श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए	(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)
४५०५	१३	का उपस्पथान	का उपस्थापन
४५०६	शीर्ष	(श्रीसूबेदारसिंह)	(श्री अध्यक्ष)
४५०८	२१ व २६	होस्पीटलस	होस्पीटल्स
५४१२	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
४५१८	११	एड । पोस्ट	एड - पोस्ट
४५१६	८	कोई इजेक्शन	कोई इंजेक्शन
४५२१	१७	दृष्टिकोण से	दृष्टिकोण से
४५२४	शीर्ष	-२३, मार्च	-२३ मार्च,
४५२५	१३	१०० की कटोती रु०	१०० रु० की कटौती
४५२६	१४	जैमा कि	जैसा कि
,,	अन्तिम से४	यह क्या	यह क्या ?
४५२७	३	उसम सब ने	उसमें सबने
४५२६	११	मैं समझता कि	मैं समझता हूं कि
४५३६	अन्तिम से ३	ऐसी स्थित	ऐसी स्थिति

१	२	३	४
४५४०	शीर्ष	मांगों संख्या	मांग संख्या
४५४५	पंक्ति१० के पश्चात्	—	लिये थे आप
४५४६	२२	सोडा बार्ब क्राब	सोडा बाइ कार्ब
४५६८	१०	Hon'lbe	Hon'ble
,,	११	his speec	his speech.
४५७३	१०	disturbi the	disturb the
४५८१	४	इन्टपश्नस	इन्टरपश्नस
४५८७	२२	Order dlegre	Order please
४५९०	१४	श्री सतीशचन्द्र अग्रव	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	२०	सटिफिकेट	सर्टिफिकेट
४५९३	६	किये गये ॥	किये गए ।
४५९७	६	इम्वप्र मेन्ट	इम्प्र वमेंट
४५९८	४	हैं, । ऐसा	हैं, ऐसा
४५९९	२४	श्री जनादनराय नागर	श्री जनार्दनराय नागर
४६०४	शीर्ष	मांगों संख्या १६	मांग संख्या १६
४६०६	१२	(बिराग)	(विराम)
४६१४	शीर्ष	(श्री उपाध्यात्त)	(श्री उपाध्यत्त)
४६१६	शीर्ष	(श्री उपाध्यात्त)	(श्री उपाध्यत्त)
,,	८	श्री उपाध्वत्त	श्री उपाध्यत्त
४६२०	२२	to connec	to connect
४६२२	१	To disutss	To discuss
,,	अन्तिम से ७	प्रस्तुत करेंगे :	प्रस्ताव करेंगे:
,,	अन्तिम से २	nd repoiing	and repairing
४६२४	१८	प्रथामिकता	प्राथमिकता
४६२५	२८	सुपरिन्टेनिंडग	सुपरिन्टेन्डिग
४६२६	अन्तिम से ३	guorum	quorum
४६३०	१४	मतलब यह लाखेरी ऐसी	मतलब यह है कि लाखेरी ऐसी
४६३५	३	के भ्र होते हैं	के भ्र होते हैं
४६४६	१३-१४	सभा- महोदय	सभापति महोदय
४६४७	१३	को दीया ।	को दी ।
४६५०	११-१२	एग्रीकलचरल	एग्रीकल्चरल
,,	२२	best morket	best market
४६५१	२०	it is basd on one	it is based on one
,,	२२	जगह-जगह कुछ नहीं	जगह कुछ नहीं
४६५२	१३	entize constitency	enthire Constituency

(३)

१	२	३	४
४६५६–५७	शीर्ष	२३ मर्चा, ६०–	२३ मार्च, ६०–
४६७४	अंतिम से ४	यह है	यह हालत है कि
४६८५	सीरियल ४का कॉलम ७	76.675	766.25
४६६८	सीरियल १, कॉलम ४ पंक्तिह	witd the Parties	with the Parties
४७०७		Books & Periodicab	Books & periodicals
४७१८	२	३ ाक	३ का